पंचम माला, खंड 29, अंक 8 बुधवार, 1 अगस्त, 1973/10 श्रावण, 1895 (शक)

Fifth Series, Vol. XXIX, No. 8 Wednesday, August 1, 1973/Sravana 10, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र / Eighth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXIX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 8, बुधवार, 1 अगस्त, 1973/10 श्रावण, 1895 (शक)

No. 8, Wednesday, August 1, 1973/Sravana 10, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q.No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
142.	बहराइच, उत्तर प्रदेश के कलक्टरी भवन में आग लगने के बारे में जांच पड़ताल	Investigations into the Fire accident in the Collectorate Building of Bahraich, U.P.	1–2
143.	कर्नाटक में गुलबर्गा में जेबरगी गांव के निकट एक हरिजन की क्रूर हत्या	Harijan tortured to death near Jevergi Village, Gulbarga in Karnataka.	3–5
145.	पांचवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Public Sector Industries in Fifth Plan.	6–7
148.	उत्तर प्रदेश के लिए पांचवीं योजना के आकार में कटौती	Cut in the size of Fifth Plan for U.P.	8–9
149.	विदेशी प्रबंधाधीन मोटर गाड़ी टायर उद्योग का विस्तार	Expansion of Foreign Managed Automobile Tyre Industry.	9–13
151.	भारत आफथेल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का विस्तार	Expansion of Bharat Ophthalmic Glass Limited, Durgapur.	13–16
152.	ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के स्तर पर रहने वाले लोगों के लिये कम मुल्यों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का उपलब्ध कराया जाना	Provision of Essential consumer Goods at Low Prices to people living on Poverty Line in Rural Areas.	16–17

...नों के लिखित उत्तर /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
141.	एक समन्वित राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के रूप में भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख केन्द्र के विकास के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशेषज्ञ का प्रतिवेदन	Report of a UNO Expert on Development of Indian National Scientific Documentation Centre as a Coordinating National Information Centre . . .	17–18
144.	आसाम में विदेशी धर्म प्रचारकों की गतिविधियां	Activities of Foreign Missionaries in Assam. . . .	18

---

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्नों को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the house by him.

*ता० प्र० संख्या *S.Q. No.	विषय / SUBJECT	पृष्ठ PAGES
146.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कर्मचारी संघ (एम्पलाइज फेडरेशन) और वर्कर्स यनियन कलकत्ता से प्राप्त ज्ञापन / Memorandum received from the Federation of C.S.I.R. Employees' and Workers' Unions, Culcutta	18–19
147.	उद्योग में मैनेजर / Managers in Industry	19
150.	डाक व तार विभाग में कर्मचारियों को पुरस्कार / Awards to Workers in P and T Department	19–20
153.	भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षणात्मक उपाय / Safeguards for Linguistic Minorities	20
154.	अनुसंधान तथा विकास के लिये पृथक 'सेल' / Separate Cell for Research and Development	20
155.	डाक तथा तार कर्मचारियों को बोनस की अदायगी / Payment of Bonus to P. & T. Employees	21
156.	अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये उडीसा में प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव / Proposal to open a Coaching-Cum-guidance Centre in Orissa for candidates belonging to Scheduled Castes/Tribes	21–22
157.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय की परियोजना के लिए राशियों में प्रस्तावित कटौती / Cut in the Funds for Project proposed by the Ministry of Information and Broadcasting	22
158.	राजधानी में 'मटका' सट्टा / Matka Gambling in the Capital	22–23
159.	दिल्ली में डाकियों द्वारा पत्रों का वितरण न किया जाना / Non-Delivery of letters by Postmen in Delhi	23
160.	इंजिनियरिंग तथा स्वास्थ्य की अखिल भारतीय सेवायें बनाया जाना / Creation of All India Service in Engineering and Medicine.	24
अता. प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1401.	तारापुर परमाणु संयंत्र में खराबी आ जाने के कारणों का पता लगाने हेतु जांच समिति की स्थापना / Setting up an Inquiry Committee to investigate the Cause of Breakdowns in Tarapur Atomic plant.	24
1402.	लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र के बराबर दर्जा देने की मांग / Demand for Union Territory Status for Ladakh	25
1403.	औद्योगिक डिजाइनिंग और विकास केन्द्र खोलना / Setting up of Industrial Designing and Development Centres.	25
1404.	नारियल जटा उद्योग से बिचौलियों का हटाया जाना / Elimination of Middlemen in Coir industry	25–26

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1405.	गया हवाई अड्डे के निकट सिमारिया गांव में चीन के इश्तहारों का पाया जाना	Recovery of Chinese Leaflets in Simariya village near Gaya Aerodrome . .	26
1406.	थुम्बा के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र कर्मचारियों का अभ्यावेदन	Representation given by the Employees of Vikram Sarabhai Space Centre at Thumba.	26
1407.	अजमेर के उर्स में शामिल होने के लिये भारत आए पाकिस्तानी मुस्लिमों की संख्या	Number of Muslims from Pakistan who visited India for attending the Urs of Ajmer.	27
1408.	मध्य प्रदेश के पिछडे क्षेत्रों में उद्योगों को ऋण देना	Loan to industries in Backward Areas in M P.	27
1409.	फिल्म उद्योग में रोजगार के बारे में एन० एम० चटर्जी समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशें	Recommendations of the N.M. Chatterji Committee Report re : Employment in Film Industry	27
1410.	आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मनीपुर तथा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के पश्चात् आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने संबंधी अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	Number of persons arrested under M.I.S.A. in Andhra Pradesh, Orissa, Manipur and U.P. after imposition of President's Rule .	27–28
1411.	आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का तैनात किया जाना	Deployment of C.R.P. in Andhra Pradesh . .	28
1412.	केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा टेलीफोन के प्रयोग पर हुआ व्यय	Expenditure on Telephones used by Union Ministers.	28–29
1413.	मध्य प्रदेश में भूमिगत पाकिस्तानी राष्ट्रको की संख्या	Number of Pakistani Nationals gone underground in Madhya Pradesh State . . .	29
1414.	मध्य प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज खोला जाना	Opening of Automatic Telephone Exchanges in M.P.	29–30
1415.	मध्य प्रदेश के अकोला और नागपुर जिलों के स्वतंत्रता सैनानी	Freedom Fighters for Akola and Nagpur Districts of Madhya Pradesh . .	30–31
1416.	"प्लानर्स एटीट्यूड अपसेटस साइंटिस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News Report entitled, "Planners Attitude Upsets, Scientists"	31
1417.	भारतीय वन सेवा के अधिकारियों से प्राप्त शिकायतें	Complaints received from members of Indian Forest Service	31–32
1418.	लखनऊ विश्वविद्यालय में सेना की यूनिटें	Army Units in Lucknow University	32

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1419.	कोयले की कमी के कारण पश्चिम बंगाल की फाउन्ड्रियों में गंभीर स्थिति	Grave Situation in foundries in West Bengal due to Coke Shortage . . .	32–33
1420.	शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था करने की गुजरात की योजना	Gujarat Scheme for providing employment to educated unemployed	33
1421.	27 मई को पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी में मारे गये सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारी	B.S.F. Personnel Killed by Pak Firing on May 27 .	33–34
1422.	राजस्थान के एक गांव में पाकिस्तानी मुजाहिदों और सीमा सुरक्षा बल के गश्ती के बीच मुठभेड़	Encounters between Pak Mujahids and B.S.F. Patrol in Rajasthan Village .	34
1423.	किड्डरपुर गोदी में कतिपय महत्वपूर्ण उपकरणों की तोड़फोड़ की कार्यवाही में रिचर्ड बिन होरिक्स का कथितहाथ होना	Alleged Involvement of Richerd Vin Horrocks in sabotaging certain vital Equipment in Kidderpore Docks	34–35
1424.	जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी एजेंटों की घुसपैठ	Infiltration of Pakistani Agents in Jammu and Kashmir	35
1425.	गुजरात की परियोजनाओं पर सीमेंट की कमी का प्रभाव	Effect of shortage of Cement on Projects in Gujrat . .	35–36
1426.	देश में से हिप्पियों का निष्कासन	Expulsion of Hippies from the Country	36
1427.	उत्तर प्रदेश में सीमेंट की कमी	Shortage of Cement in U.P.	36–37
1428.	चौथी योजना अवधि में केन्द्र तथा राज्यों के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाना	Additional Resource Mobilisation for the Centre and States for the Fourth plan period	37
1430.	मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड द्वारा विदेशी मुद्रा संबंधी नियमों का उल्लंघन किया जाना	Violation of Foreign Exchange Regulations by M/s Kores India Limited . . .	37
1431.	अर्थ संबंधी अपराधों के लिये मारुति लिमिटेड के अंशधारियों के विरुद्ध जांच	Inquiries against shareholders of Maruti Limited for Economic offences . .	37–38
1432.	केन्द्रीय सचिवालय केन्द्र सरकार के स्टैनोग्राफर ग्रेड–II की अनुभाग अधिकारियों हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में बैठने हेतु पात्रता	Eligibility of Stenographers Grade II of Central Secretariat to sit in Limited Departmental Section officers' Competitive Examination .	38

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1433.	तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच करते समय सीमा सुरक्षा बल की कल्याण निधि योजना को अन्य जगह लागू करने संबंधी अध्ययन करने का प्रस्ताव	Proposal to study Welfare Fund Scheme of B.S.F. for operation elsewhere while examining Third Pay Commission's Recommendations	38–39
1434.	गुजरात के प्रमुख नगरों में सूक्ष्म–तरंग प्रणाली	Micro-wave system in major cities of Gujarat . .	39
1435.	सरकार द्वारा अधिग्रहीत कपड़ा मिलों में हथकरघों के लिये धागे का उत्पादन	Production of yarn for Handlooms in Textile mills taken over by Government	39
1436.	गजरात की सीमेंट की आवश्यकता और उसकी सप्लाई	Requirement and Supply of Cement to Gujarat . .	39–40
1437.	महालक्ष्मी मिल्स कं० लि० व्यावर (राजस्थान) के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	Dearness Allowance to the Workers of Mahalaxmi Mills Co. Ltd. Beawer (Rajasthan)	40
1438.	कनाडा तथा भारत के बीच चल रहे डालर घोटाले का पता लगाया जाना	Unearthing of Doller Racket operating between Canada and India . . .	40
1439.	कनाडा द्वारा भारत को परमाणु रियेक्टरों के लिये कल पुर्जों की बिक्री	Sale of Components for Nuclear Reacters by Canada to India.	41
1440.	दिल्ली में प्योर ड्रिंक्स का बंद होना	Closure of "Pure Drinks" in Delhi	41
1441.	वर्ष 1973–74 के दौरान भारतीय प्राचीन वस्तुओं का अनाधिकृत नियति	Unauthorised Export of Indian antiques during 1973-74 .	41–42
1442.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इलैक्ट्रानिक्स का विकास	Development of electronics during Fifth Plan . .	42
1443.	इलैक्ट्रानिक्स के विकास के लिये भारत–रुस करार	Indo-Soviet Agreement for Development of Electronics	42–43
1444.	विभिन्न राज्यों में विज्ञान संग्रहालयों की स्थापना	Setting up of Science Museums in various States . .	43
1445.	केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ गुजरात में माध्यमिक शिक्षा संबंधी विधेयक	Bill on Secondary Education in Gujarat for Centre's Consent	43–44
1446.	दिल्ली में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	Nature History Museum in Delhi	44

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1447.	तारापुर परमाणू बिजलीघर की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये गठित की गई समिति	Committee set up to review the Protection System of Tarapur Atomic Power Station.	44
1448.	विदेशी कम्पनियों द्वारा भारतीय उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय ब्रडों के अंतर्गत बिक्री	Sale of Indian Products under International Brand by Foreign Companies . .	45
1449.	सदर बाजार, दिल्ली में साम्प्रदायिक उपद्रव उकसाने वाल इस्तिहार (पोस्टर) जारी करने के आरोप में दिल्ली जनसंघ के सचिव की गिरफ्तारी	Arrest of Secretary, Jan Sangh, Delhi on the Charge of issuing a poster inciting Communal Disturbances in Sader Bazar, Delhi . .	45–46
1450.	दिल्ली में खुली जेल का निर्माण	Construction of an Open Jail in Delhi	46
1451.	मध्य प्रदेश में विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance for Development schemes in Madhya Pradesh	46
1452.	भारत रक्षा नियमों के अधीन हिरासत में लिये गये व्यक्ति	Retention of persons under Defence of India Rules .	46
1453.	उत्तर प्रदेश में पी० सी० एस०/ गैर–पी० सी० एस० पदाली के सब–डिवीजनल अधिकारी	Sub-Divisional officers of P.C.S./Non-P.C.S. Cadre working in U.P. . . .	47
1454.	संगीत और फिल्म निर्माण क्षेत्रों में अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता	Assistance to be provided to Afghanistan in the fields of Music and Film making .	47
1455.	विभिन्न विषयों में तकनीकी शिक्षा–प्राप्त व्यक्तियों के क्षेत्र जो राज्यों की तुलनात्मक स्थिति का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया अध्ययन	Study Conducted by C.S.I.R. on Comparative position of states, in the field of Technically Educated Persons in verious subjects . .	48
1456.	बिहार के भोजपुर जिले के चौरा गांव में हरिजनों तथा भूमिहीन श्रमिकों की 'हत्या की जांच' करने के लिए केन्द्र से विहार को भेजा गया अधिकारियों का दल	Team of officers from the Centre sent to Bihar to enquire into Murder of Harijans and Landless Labourers in village Choura in Bhojpur District, Bihar	48–49
1457.	ट्राम्बे की रेडियोलाजिकल लेबोरेटरी में रेडियों फार्मास्युटिकल्स का उत्पादन	Production of Radio-Phamaceuticals in Radiological Laboratories in Trombay	49
1458.	पांचवी पंचवर्षीय योजना में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं को हटाना	Removal of Bottlenecks in the Atomic Energy Projects during Fifth Plan . .	49

अता० प्र० संख्या० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1459.	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये किये गये उपाय	Steps taken to curb corruption in Central Government Offices and Public Undertakings	50
1460.	देश में बिजली और ईंधन के लिए योजना	Plan for Powers and Fuel in the Country . . .	50
1461.	पांचवीं योजना के लिये प्रावधान में कमी	Reduction in outlay for Fifth Plan . . .	50–51
1462.	बाल फिल्म सोसायटी को भंग करना और इसके कार्यकरण की जांच	Dissolution of Children Film Society, Delhi and Enquiry into its working . .	51
1463.	उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सशस्त्र पुलिस द्वारा गडबड़ी में शामिल उच्च-अधिकारियों पर मुकदमा न चलाया जाना	Officers at Higher-levels involved in P A.C. troubles in U.P. Exempted from prosecution. . . .	51–52
1464.	बम्बई में स्कूलों में वन्दे मातरम् का गायन	Singing of Vande Mataram in Bombay . . .	52
1465.	एक राष्ट्रीय आर्थिक आसूचना एजेंसी की स्थापना	Establishment of a National Economic Intelligence Agency	52
1466.	केवल पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिये कुछ उद्योगों को औद्योगिक लायसेंस दिया जाना	Issue of Industrial Licences r certain Industries for ackward Areas alone	52–53
1467.	भड़ौच (गुजरात) का विकास	Development of Broach (Gujrat)	53
1468.	उद्योग लगाने के लिए ऋण लेने वाले छोटे उद्योगपतियों का लापता हो जाना	Disappearance of small Industrialists who took loan for setting up industries .	53
1469.	आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान की पिछड़े क्षेत्रों के बारे में सर्वेक्षण रिपोर्ट	Survey Report of Backward Areas by Economic and Scientific Research Foundation	53–54
1470.	डाक से भेजी गई वस्तुओं के चोरी की गतिविधियां	Activities of Postal Thieves	54
1471.	स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन दिये जाने के बारे में आवेदन पत्रों का शीघ्र निपटान	Speedy Disposal of Applications for Grant of Pens on to Freedom Fighters .	54–55
1472.	केरल में टिटेनियम उद्योग समूह	Titanium Complex in Kerala	55
1473.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशकों द्वारा की गई अनियमितताएं	Irregularities Committed by the Directors of National Laboratories of C.S.I.R.	55–56

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1474.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों का बंद होना	Closure of Industrial Units in West Bengal . . .	56
1475.	सरकारी तथा निजी क्षेत्र में विदेशी तकनीशन	Foreign Technicians in Public and Private Sector . .	56–57
1476.	पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने हेतु उड़ीसा में स्वयंसेवी संगठनो को अनुदान	Grants-in-Aid to voluntary organisations in Orissa for Ameliorating the Conditions of Backward Sections .	57
1477.	ठेकेदारों द्वारा जनजातियों के शोषण को रोकने के लिये विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों की सहायता हेतु उडिसा सरकार को धनराशि	Amount to Orissa Govt. in order to help the various types of Cooperatives for preventing Exploitation of Tribals by Contractors	58
1478.	अधिकांश रूप सें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्रों में पेय जल, कुओं, पम्पों तथा छोटे तालाबों की व्यवस्था हेतु उड़ीसा सरकार को राजसहायता	Subsidy to Orissa Govt. for the Provision of Drinking Water Wells, Pumps and small Tanks in Areas Predominently inhabited by Scheduled Castes/Tribes . . .	58–59
1479.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में एजन्सी प्रणाली का अपनाया जाना	Adoption of Agency system in N.S I.C. . . .	59
1480.	बिहार के पलामाऊ जिले के गारवा सब डिवीजन के राका और बलड़रिया ब्लाकों में प्रचलित सौंकिया प्रथा	Saunkia system prevalent in Ranka and Bamdaria Blocks of Garwa, Sub-division in Palamau District, Bihar	59
1481.	देश में सिमेंट की कम सप्लाई के कारण निर्माण गतिविधियों की धीमी गति	Short Supply of Cement Responsible for slowing down Building Activities in the Country	60
1482	अराकान पहाड़ियों के जंगलों में छापामार युद्धों का प्रशिक्षण पा रहे मिजो	Mizo getting Guerilla Training in the Forest of Arakan Hills	60
1483.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता	Financial Aid to Industrial Projects in West Bengal .	60–61
1484.	दिल्ली में चोरी की घटनाएं	Thefts in Delhi . . .	61–62
1485.	पंजाब सर्किल में डाक व तार कर्मचारियों की कमी	Shortage of P and T staff in Punjab Circle . . .	62
1486.	शिक्षा मंत्रालय तथा संबंधित राज्यों के सहयोग से औपचारिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी तथा उनके प्रसारण की योजना	Plan for Preparation and Broadcasts of various programmes of Informal Education in Collaboration with M.of Education and States Concerned	62–63

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1487.	पहाड़ी क्षेत्रों को टेलीफोन तथा टेलीग्राफ लाइनों के लिए सामान का आवंटन करने में प्राथमिकता	Priority in Allotment of stores for Telephone and Telegraph Lines in Hill Areas . .	63
1488.	दैवी आपदाओं के दौरान सहायता के लिए आपात योजना	Emergency Plan for Relief During Natural Calamities	63
1489.	राज्यों द्वारा पांचवी योजना का पुनरीक्षण	Revision of Fifth Plan by States	64
1490.	आयात नीति का पुनर्विलोकन तथा संगणकों का प्रयोग	Review of the Policy of Import and use of Computers .	64
1491.	अत्यावश्यक वस्तुओं के व्यापार को नियंत्रण में लेना	Take-over of Trade in Essential Goods	64–65
1492.	ब्रिटिज पूंजी निवेश के लिए भारतीय अधिकारी की लंदन यात्रा	Visit of Indian official to London for British Investment	65
1393.	निजी क्षेत्र के औद्योगिक एकको में श्रमिक अशांती	Labour unrest in Industrial units in Private Sector	65
1494.	बड़े व्यापार गृहों द्वारा सीमेंट सयंत्रों की स्थापना	Setting up of cement plant by big Business Houses . .	66
1495.	केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पांचवीं योजना के बारे में बैठक	Meeting of Central Govt. and State Govts. on Fifth plan	66–67
1496.	बड़े औद्योगिक गृहों का विस्तार	Expansion of Larger Industrial Houses	67
1498.	बड़ौदा में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची	Waiting List for Telephone Connections at Baroda.	67–68
1499.	बड़ौदा में टेलीफोन सेवा	Telephone Service in Baroda	68
1500.	मैसूर में आणविक विद्युत संयंत्र	Atomic Station in Mysore	68
1502.	दिल्ली टेलीफोन विभाग में बिल बनाने की प्रणाली की जांच के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee set up to examine the billing system of Delhi Telephones	68–69
1503.	पुलिस प्रशिक्षण स्कूल महरौली के एक कान्स्टेबल की नई दिल्ली में सार्वजनिक पार्कों में सशस्त्र डकैतियों के आरोप पर गिरफतारी	Arrest of a Constable of Police Training School Mehrauli for Committing armed robberies in public parks in New Delhi. . . .	69
1504.	आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियों में वृद्धि	Spurt in the Naxalite activity in Andhra Pradesh and U.P.	70

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1505.	राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली स्थापित करने के लिये टास्क फोर्स की स्थापना	Setting up of a Task Force for establishing National Satellite System . . .	70–71
1506.	केरल में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए गैर सरकारी पार्टियों और केरल सरकार की एजेंसियों को 'आशय-पत्र' जारी करना	Issue of letters of Intent to private parties and Kerala Government Agencies for setting up Industrial Units in Kerala	71
1507.	केरल में टेलीफोन की एस० टी० डी० पद्धति	Subscriber Trunk Dialling System in Kerala . .	71–72
1508.	केरल से केन्द्रीय रिजर्व पोलिस और केन्द्रीय औदयोगिक सुरक्षा बल के लिए नियुक्तियां	Recruitments from Kerala to C.R.P. and C.I.S.F. .	72
1509.	केरल सर्कल में एक एस० डी० ओ० (फोन) के विरुद्ध आरोप	Allegation against S D.O. (Phones) in Kerala Circle	72
1510.	दिल्ली नगर निगम में नियुक्त उम्मीदवारों को युद्ध सेवा के लाभ	Benefits of war service to candidates appointed in M.C.D.	72–73
1511.	काश्मीर पुलिस द्वारा चरस के तस्करों के गिरोह का पता लगाना	Unearthing a gang of charas smugglers by Kashmir police	73
1512.	देश में सी० आई० ए० की गतिविधियां	Activities of C. I. A. in the Country	73–74
1513.	पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak Nationals .	74
1514.	राज्यों में आयोजना व्यवस्था को सुदृढ़ करना	Strengthening of Planning Apparatus in States . .	74
1515.	औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production .	74–75
1516.	समय पर भारतीय सीमेंट निगम द्वारा सीमेंट कारखाने स्थापित करने में असफलता होने के कारण सीमेंट की कमी	Shortage of Cement due to Failure of Cement Corporation of India in Setting up Cement Plants in Time	75
1517.	उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सशस्त्र पुलिस में उत्पन्न असंतोष के संबंध में केन्द्रीय आसूचना का पूर्व सूचना देने में असफल रहना	Failure of Central Intelligencies to report Trouble Brewing in P.A.C. of U.P. . .	75–76
1518.	टेलीफोन उपकरण में निर्माण में विदेशी सहयोग समाप्त हो जाने के पश्चात वैकल्पिक प्रबंध	Alternative Arrangements after Terminating Foreign Collaboration in the Manufacture of Telephone Equipment	76

अता० प्र० संख्या० U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1519.	आकाशवाणी द्वारा नियंत्रण और स्वागत अधिकारी (इन्विटेशन एण्ड हास्पिटैलिटी आफिसर) की नियुक्ति	Appointment of Invitation and Hospitality officers by A.I.R.	76–77
1520.	बोम्बे टी० वी० स्टेंडर्ड फाल्स फर्दर" शीर्षक के अंतर्गत समाचार	News Item 'Bombay T.V. Standard Falls Further'	77
1521.	विदेशी मिशनरियों की गतिविधियां	Activities of Foreign Missionaries	77–78
1522.	कुछ आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार से अभ्यावेदन	Representation from Government of Himachal Pradesh for declaring certain Tribal Belts as Scheduled area	79
1523.	त्रिपुरा में जनजाति विकास निगम	Tribal Development Corporation in Tripura . . .	79
1524.	राज्यों में हरिजनों को जलाये जाने सम्बन्धी मामले	Cases of Burning of Harijans in States	79
1525.	बिहार के भागलपुर जिले में आटोमैटिक (स्वचालित) टेलीफोन एक्सचेंज	Automatic Telephone Exchange in Bhagalpur District of Bihar	79–80
1526.	भागलपुर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन पत्र	Application for installation of Telephone Connection in Bhagalpur . . .	80
1527.	मंत्रियों के विदेशों के दौरों पर प्रतिबंध	Ban on Foreign Tours performed by Ministers .	80
1528.	इरविन रोड, नई दिल्ली पर फटाखा विस्फोट के बारे मे जांच	Investigation into the Cracker Explosion on Irwin Road, New Delhi . . .	80–81
1529.	दंगा-फसाद पर नियंत्रण करने के लिए राज्यों को नये अश्रु गैस ग्रेनेड सप्लाई करना	Supply of New Teargas Grenades to States to Control Riots	81
1530.	राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली पर हुई दुर्घटना में कुमारी पेट्रिशिया की मृत्यु	Death of Miss Patricia in a Road Accident at Rajendra Prasad Road, New Delhi	82
1531.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में कर्मचारियों के वेतन की बकाया राशि की अदायगी	Payment of Arrears of Pay of Employees in N.S.I.C. .	82–83
1532.	दिल्ली में जनसंघ सत्याग्रह के दौरान पथराव से घायल हुये व्यक्तियों की संख्या	Number of Persons injured as a Result of Brick-Batting during Jan Sangh Satyagrah in Delhi . . .	83
1533.	पी० टी० डी० सी० ओखला, नई दिल्ली में मंत्रालयी कर्मचारियों के कार्य के समय को युक्तिसंगत बनाना	Rationalisation of Timings of Ministerial staff at P.T.D. Okhla, New Delhi . .	83

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1534.	पंचायती राज को सफल बनाने के लिये मध्य प्रदेश के लिये ग्रामीण इंजिनियरिंग सेवा की योजना	Rural Engineering Service Scheme for Madhya Pradesh to make Panchayati Raj a Success	83–84
1535.	शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार	Employment for Educated unemployed . . .	84
1536.	संयुक्त बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन	Constitution of Joint Bundelkhand Development Board	84
1537.	डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी की स्मृति में डाक टिकट	Commemorative Postal Stamps in Memory of Dr. Shyama Prasad Mukherjee . .	84–85
1538.	चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में एक व्यक्ति के पास से 410 बोर की विदेशी रायफल के कारतुस किया जाना	Recovery of Cartridges of 410 Bore Foreign Rifle from a Person in Chanakyapuri, New Delhi . . .	85
1539.	औद्योगिक कारखानों में अनुसंधान के लिए उप-कर लगाया जाना	Levy of Cess for Research in Industrial units . . .	85
1540.	गलत व्यक्तियों को ताम्रपत्र देने के बारे में शिकायतें	Complaints Regarding Award of Tamrapatra to wrong Persons . . .	85–86
1541.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आई० सी० एस०, आई० ए० एस०, आई० पी० एस० तथा भारतीय वन सेवा अधिकारी	Scheduled Caste/Scheduled Tribe, ICS, IAS, IPS officers and Indian Forest Service officers	86
1542.	बांगलादेश से बिहारी मुसलमानों का भारत में आगमन	Influx of Bihari Muslims from Bangla desh into India .	86–87
1543.	फिल्म परिषद् की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to Set up a Film Council	87
1544.	भारत सरकार के प्रतिनिधि, श्री पार्थसारथी तथा जनमतसंग्रह मोर्चे के नेता शेख अब्दुल्ला के बीच वार्ता में प्रगति	Progress of Talks between Emissaries of Government of India, Shri Parthasarthi and Plebiscite Front Leader Shiekh Abdulla . . .	87
1545.	राजधानी के लिये नई व्यवस्था	New set up for the Capital .	87–88
1546.	पिछडे क्षेत्रों का विकास	Development of backward Regions	88
1547.	उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में डाक वितरण प्रणाली	Dak Delivery System in various parts of U. P. .	88–89
1548.	भारत आफ्थैलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर में अप्रयुक्त प्रद्रावण भट्टियां	Idle melting Furnaces in Bharat Ophthalmic Glass Limited, Durgapur . .	89

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1549.	भारत आप्थैलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का विस्तार	Expansion of Bharat Ophthalmic Glass Limited, Durgapur	89
1550.	उत्तर प्रदेश में ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं की प्रगति	Progress of Rural Industries Project in U.P. . . .	90
1551.	बिजली की कमी के कारण हैदराबाद के निकट परमाणु ईंधन कारखानों में संयंत्रों का बंद किया जाना	Closing down of plants in Nuclear Fuel Complex near Hyderabad due to Power Shortage . . .	90
1552.	मुद्रा स्फीति का पांचवी योजना पर प्रभाव	Effect of Inflation on Fifth Plan	90–91
1553.	सरकारी कार्यालयों में फाइलों का जमा हो जाना	Pilling up of Files in Government Offices . . .	91–92
1555.	आन्ध्र प्रदेश के लिये पांचवी योजना	Fifth plan for Andhra Pradesh	92
1556.	आन्ध्र प्रदेश में अडोनी, तेनाली और कडप्पा में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली के बारे में जांच	Enquiry into the Police Firings in Adoni, Tenali and Cuddapah in Andhra Pradesh	92
1557.	सूर्यपेट में शराब पीने से हुई दुखान्त घटनाओं की जांच करने वाली एक सदस्यीय समिति का प्रतिवेदन	Report of the One-man Committee to inquire in to Suryapeta Liquor Tragedy	93
1558.	भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये दण्ड प्रक्रिया को सरल बनाने की योजना	Scheme to simplify Punishment Procedure to Combat Corruption . . .	93
1559.	कलकत्ता में टेलीविजन केन्द्र	Television Centre in Calcutta	93–94
1560.	मद्रास में टेलीविजन केन्द्र	Television Centre in Madras	94
1561.	आकाशवाणी के त्रिचिनापल्ली केन्द्र का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of the Trichinapoly Station of All India Radio	94
1562.	टेलीफोन एक्सचेंज के लिये दोषपूर्ण क्रासबार उपकरण सप्लाई करने के लिए मुआवजा	Compensation for supply of Defective Cross Bar Telephone Exchange Equipment	94–95
1563.	आदिवासी लडकियों में वेश्यावृत्ति कराने वाले एक व्यभिचारी गिरोह का उड़ीसा पुलिस द्वारा पता लगाया जाना	Unearthing a Vice Ring involving Traffic king of Adiwasi Girls by Orissa Police	95
1564.	दिल्ली में बच्चों को उठाकर ले जाने के मामले	Cases of Child-Lifting in Delhi	95–96
1566.	सदर बाजार दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उपद्रवी तत्वों द्वारा फायर बिग्रेड के पानी की पाइप लाइनों का काटा जाना	Cutting off the Water Pipeline of Fire Brigade by Rioters during Communal Riots in Sadar Bazar, Delhi	96
1567.	सदर बाजार, दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान जन धन की हानि	Loss of life and Property due to Communal Riots in Sadar Bazar, Delhi .	96

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1568.	अदालत के जांच अधीन कैदियों के कमरे में पंखे और शौचालयों संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Facilities for Fan and Lavatory in the Room where Undertrials are Lodged . . .	96
1569.	दिल्ली नगर निगम के उपचुनावों के दौरान दिल्ली में हिंसक घटनाए	Disturbances in Delhi during Bye-elections to Delhi Municipal Corporation . . .	97
1570.	चौथी योजना के दौरान सिंचाई, विद्युत और औद्योगिक विकास के लिए आवंटित धन का उपयोग	Utilisation of Amounts Allocated for Irrigation, Power and Industrial Development during Fourth Plan . .	97
1571.	लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रकाशित तथा प्रचारित की गई पुस्तकें	Books published and publicised to give encouragement to Small Industries . .	97–98
1572.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये सेवा अधिनियम बनाना	Framing of Service Act for Central Government Employees	98
1573.	'केबल' उद्योग में एल्यूमीनियम की कमी	Shortage of Aluminium in Cable Industry . . .	98
1574.	राज्यों के लिए स्वायत्तता के बारे में संविधान में संशोधन के लिय तामिलनाडू सरकार के सुझाव	Suggestions of Tamilnadu Government for Amendments to Constitution regarding Autonomy for States .	99
1575.	देश में आत्मसमर्पण करने वाले डाकुओं की संख्या	Number of Dacoits surrendered in the Country .	99
1576.	हैदराबाद में 'टिटैनियम स्पंज संयंत्र'	Titanium Sponge Plant at Hyderabad . . .	99–100
1577.	आकाशवाणी के रांची केन्द्र से व्यावसायिक प्रसारण सेवा आरंभ करने का सुझाव	Proposal to start Commercial Broadcasting Service from A.I.R. Ranchi . . .	100
1578.	बिहार में साम्प्रदायिक और चीन-समर्थक समाचारपत्रों का परिचालन	Circulation of communal and China-supported Newspaper in Bihar . . .	100
1579.	पांचवीं योजनावधि में बिहार में डाक तार संबधी सुविधाएं	P & T Facilities in Bihar during Fifth plan period	100–101
1580.	स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था	Facilities Provided to Freedom Fighters	101
1581.	स्वतंत्रता सेनानियो को मकान बनाने के लिए भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Freedom Fighters for Construction of Houses	101
1582.	स्वतंत्रता सेनानी संसद सदस्यों और राज्य विधान मंडलों को पेंशन देना	Grant of Pension to Freedom Fighters amongst Members of Parliament and State Legislatures . . .	101–102
1583.	स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन-झांकियां	Biographical Sketches of Freedom Fighters.	102

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1584.	आकाशवाणी के संगीत तथा नाटक प्रभाग द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंधों में नाटको का आयोजन करने हेतु आवंटित धन का दुरूपयोग	Misuse of Allocation meant for staging plays concerning India's Freedom Struggle by Song and Drama Division of A.I.R. . .	102
1585.	इंडियन टोबेको कम्पनी की पंजीकृत क्षमता से अधिक क्षमता का उपयोग	Registered Capacity of Indian Tobacco Co.—Exceeded .	102–103
1586.	ग्रामोफोन रिकार्डों में ई० एम० आई०/एच० एम० वी० का एकाधिकार	Monopoly of EMI/HMV in Gramophone Records .	103
1587.	नन्दगाव (महाराष्ट्र) के टेलीफोन प्रयोक्ताओं की शिकायतें	Complaints of Telephone users of Nandgaon (Maharashtra)	103–104
1588.	बड़े उत्पादकों और लघु उद्योग क्षेत्र में टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of TV Sets by Big Producers and in Small Scale Industry . . .	104–105
1589.	आल इंडिया रेडियो के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन	Reorganisation of the Administrative set up of All India Radio	105
1591.	फिल्म सेंसर बोर्ड के कार्यकरण की जांच	Enquiry into the Working of the Film Censors Board	105–106
1592.	वैध दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रीक	Pakistani Nationals Residing in India without valid Documents . . .	106
1593.	देश में दूर संचार लाइनों से तांबे के तारों की चोरी	Thefts of Copper Wires on Tele-Communication Channels in the Country .. .	106
1594.	बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली में टेलीविजन निर्माण केन्द्रों की स्थापना	Setting up of T. V. Production centres in Bombay, Madras, Calcutta and Delhi . .	107
1595.	फिल्म सेंसरों के बारे में खोसला जांच समिती की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Film Censorship . . .	107
1596.	सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योग	Consumer Industries in Public Sector	107–108
1598.	उत्तर प्रदेश सरकार के एक सचिव के विरुद्ध आरोप	Charges against a Secretary to the Government of Uttar Pradesh	108
1599.	भारत औप्थैलमिक ग्लास लिमिटेड द्वारा प्राइवेट पार्टियों को विदेशी मशीनरी की सप्लाई	Supply of Foreign Machinery to Private Parties by Bharat Ophthalmic Glass Limited.	108–109
1600.	अस्थाई नियुक्तियों में संघ लोक सेवा आयोग के विनियमों का पालन न करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मंत्रालयों तथा सरकारी उपक्रमों के विरुद्ध की गई शिकायतें	Complaints made by U.P.S.C. against Ministries and Public undertakings for not following U.P.S.C. Regulations in Temporary Appointments	109

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कृषि मंत्रालय के एक विभाग में परिवर्तित करने का प्रस्ताव	Proposal to convert Indian Council of Agriculture Reserach into a Department of the Ministry of Agriculture	110–116
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में सभा पटल पर रखे गये पत्र	Re. Question of Privilege Papers laid on the Table	119–120
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	
29वां प्रतिवेदन	Twenty-ninth Report .	120
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes . .	
22 वां प्रतिवेदन	Twenty-second Report . .	120
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege . .	120–122
मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों द्वारा सदस्य पर कथित हमला	Alleged assault on Member by Madhya Pradesh Police Officials	
सरकारी क्षेत्र के एक विद्युत संयंत्र को बिरला बन्धुओं को बेचे जाने के समाचार के बारे में	Re: Reported selling of a Public Sector plant to Birlas	122–124
सीमा शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) तथा केन्द्रीय उत्पाद और नमक संशोधन विधेयक	Customs, Gold (Control) and Central Excises and Salt (Amendment), Bill . .	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe . .	124–125
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandr Halder	125–126
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banamali Patnaik	126
श्री फुलचंद वर्मा	Shri Phool Chand Verma	126
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	126-127
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	127
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A. K. M. Ishaque	127
श्री धामनकर	Shri Dhamankar	127
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	127–128
खण्ड 2 से 22 और 1	Clauses 2 to 22 and 1	129–131
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	132–139
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	
निर्मित, वस्तुएं और कृषि उत्पादों के मूल्यों में समानता के सिद्धांत	Principles of Parity Between the Prices of Manufactured Articles and Agricultural Products	139–142
27 जुलाई, 1973 को पुराने सचिवालय भवन दिल्ली के बाहर प्रदर्शन के बारे में वक्तव्य	Statement re. Demonstration outside the old Secretariat Building, Delhi on July, 27, 1973	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	143

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 1 अगस्त 1973/10 श्रावण, 1895 (शक)

Wednesday, August 1, 1973 Sravana 10, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Elevan af the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
[MR. SPEAKER *in the Chair*]]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बहराइच, उत्तर प्रदेश के कलक्टरी भवन में आग लगने के बारे में जांच पड़ताल

*142. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहराइच, (उत्तर प्रदेश) के कलक्टरी भवन में आग लगने की जांच पड़ताल का कार्य उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को सौंपा गया था;

(ख) क्या उक्त दुर्घटना के बारे में कलक्टरी मे काम करने वाले कर्मचारियों और गार्ड के रूप में वहां नियुक्त पुलिस कर्मचारियों के मत भिन्न भिन्न हैं; और

(ग) जांच पड़ताल के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) अभी तक जांच को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

श्री बी० आर० शुक्ल : क्या आग लगने की दुर्घटना का समाचार 9 बजे मध्याह्न पूर्व से पहले बहराइच शहर म दूर दूर तक फैल चुका था और इसके बाद भी पुलिस अपनी जान बचाने तथा इस कुकर्म पर पर्दा डालने के उद्देश्य से समय ही निश्चित करती रही ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : प्राप्त साक्षों के अनुसार आग लगभग 9 बजे मध्याह्न पूर्व लगी, इससे पहले नहीं ।

श्री बी० आर० शुक्ल : "लगभग 9 बजे मध्याह्न से पूर्व" से क्या तात्पर्य है ? क्या इसका तात्पर्य 9 बजे मध्याह्न पूर्व अथवा 9 बजे मध्याह्न पूर्व से पहले अथवा इसके बाद से है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : इसके बारे में जांच चल रही है । साक्ष लिये जा रहे हैं । प्राप्त सूचना के अनुसार आग लगभग 9 बजे मध्याह्न पूर्व लगी । हो सकता है कि आग 1·5 मिनट अथवा आधा घंटा पहले अथवा आधा घंटा बाद लगी हो । लेकिन यह एक दिन अथवा कुछ घंटे पहले की बात नहीं है ।

श्री बी० आर० शुक्ल : क्या अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार आग की दुर्घटना मात्र एक दुर्घटना है अथवा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा आगजनी का मामला है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : गुप्तचर विभाग के पुलिस अधिक्षक की रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना लापरवाही अथवा जानबूझ कर हो सकती है लेकिन जांच अब भी चल रही है ।

श्री बी० आर० शुक्ल : गुप्तचर विभाग के इन्सपेक्टर दुर्घटना होने के कितनी देर बाद घटनास्थल पर गये ?

Mr. Speaker : You have already asked two questions and this is third one?

Shri B. R. Shukla : How many days after he visited the place of occurrence?

Mr. Speaker : I may tell you that you have already asked two questions and now this s a third one?

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister has admitted that it is being investigated by the C.B.I. Does it mean that C.I.D. of U.P. cannot investigate even small acts of *arson* or the Government is not agreeing to the report of C.I.D. of U.P. and that is why it is being investigated through the C.B.I.

श्री एफ० एच० मोहसिन : जी नहीं । पुलिस अधीक्षक इसकी जांच कर रहे थे । गुप्तचर विभाग के पुलिस अधीक्षक को जांच कार्य सौंपा गया क्योंकि राज्य सरकार इसकी जांच गुप्तचर विभाग के पुलिस अधीक्षक के द्वारा करवाना चाहती थी । यह दुर्घटना राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले हुई थी । अतः इसकी जाच करने का कर्तव्य राज्य सरकार का था । उन्होंने इसकी जांच गुप्तचर विभाग के अधीक्षक द्वारा करना उचित समझा ।

Shri Narsingh Narain Pandey : Is the Government taking necessary action to frame charges against some persons keeping in view the fact that the Central Government has received preliminary report.

श्री एफ० एच० मोहसिन : हमें केवल प्राथमिक रिपोर्ट मिली है । अंतिम रिपोर्ट अभी आनी है । जैस कि मैं कह चुका हूं जांच अभी भी चल रही है । साक्ष्य लिये जा रहे हैं । अंतिम रिपोर्ट आने पर इस मामले में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

Shri Narsingh Narain Pandey : I had asked another question. I wanted to kown that since you have received the preliminary report, do you think that some action, on the basis of preliminary report received from the C.I.D. is necessary?

श्री एफ० एच० मोहसिन : प्राथमिक रिपोर्ट आने के बाद चार व्यक्तियों के मुअत्तल किया गया है; हम अभी तक अभियोग की जिम्मेदारी किसी पर निश्चित नहीं कर सके । जांच अब भी चल रही है; साक्ष्य लिये जा रहे हैं; जांच पूरी होने के बाद ही हम अभियोग की जिम्मेदारी निश्चित कर सकेंगे ।

कर्नाटक में गुलबर्गा में जेवरगी गांव के निकट एक हरिजन की क्रूर हत्या

*143 **श्री कृष्ण चन्द हाल्दर :**

†**श्री भान सिंह भौरा :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जून 1973 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कर्नाटक मे गुलबर्गा स लगभग 30 किलोमीटर दूर जैंवरगी गांव के निकट अनाज तथा तांब के बर्तनो की चोरी के आरोप मे तीन व्यक्तियों न एक हरिजन को फासी दे दी;

(ख) क्या सरकार ने इस घटना के बारे कोई जांच की है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार ने 11 जून, 1973 के टाइम्स आफ इण्डिया में सम्बद्ध समाचार देखा है। मैसूर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला गुलबर्गा के गांव जीवंगी की श्रीमती मल्लवा पत्नी श्री सिद्दप्पा ने 4-6-1973 को महागांव थाने में एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे और उसके पति श्री सिद्दप्पा को नीम के एक वृक्ष से बांध दिया गया था और इस बहाने पर कुछ आदमियों द्वारा सताया गया था कि उसके पति सिद्धप्पा ने ताम्बे के बर्तन और ज्वार की चोरी की थी। उसके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया था कि 4 जून 1973 को उसके पति को खोला गया था और एक लाठी से पीटा गया जिसके परिणामस्वरुप उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के साथ पठित भारतीय दण्डसंहिता की धारा 147/148/323/342 के अधीन एक मामला दर्ज किया। सर्कल इन्सपेक्टर और सब इन्स-पेक्टर तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पडताल की। पुलिस उप–अधीक्षक और पुलिसअधीक्षक ने 5 जून, 1973 को घटनास्थल का दौरा किया और जांच पड़ताल में मार्गदर्शन किया। चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और अन्य अभियुक्तों को जो फरार हैं, पकड़ने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार मृत्य घबराहट और तिल्ली में जखम के परिणामस्वरुप रक्तस्राव के कारण हुई थी। जांच पड़ताल लगभग समाप्त हो गई है और आरोपपत्र शीघ्र ही फाइल किया जाना है।

यह एक निजी कुल बैर का मामला प्रतीत होता है।अभियुक्तों में कुछ हरिजन भी हैं और अपराध का आशय जाती भावना प्रतीत नहीं होता।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है :

"डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु घबराहट और तिल्ली में जखम के परिणामस्वरूप रक्तस्त्राव के कारण हुई थी"।

डाक्टरी रिपोर्ट के बारे में संदेह हैं। समाचार पत्रों की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसे फांसी देकर मारा गया। मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि अपराधियों के बीच कुछ हरिजन भी थे। लेकिन आप जानते है की गांवों मे जिम्मेदार लोग विशेषकर गैर हरिजन, हरिजनों की हत्या के लिये हरिजन गुंडों का उपयोग करते है। यदि भारत के किसी नागरिक पर चाहे वह

हरिजन हो अथवा गैर हरिजन, कोई अपराध करने का संदेह हो तो उस पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना चाहिये और यदि वह दोशी पाया जाये तो उसे सजा दी जानी चाहिये। लेकिन इस मामले में, क्यों कि वह हरिजन था ...

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके अपना प्रश्न पुछें।

श्रीकृष्ण चन्द्र हाल्दर : ... तो उसे अपने विधि तथा संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया और उसे फांसी लगायी गयी। उसकी पत्नी को दूसरे वृक्ष से बांधा गया और उसे बुरी तरह से पीटा गया। यह अमानवीय शारीरिक यातना है।

सरकार द्वारा बार बार आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी हरिजनों पर प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि बिहार में मधुबन, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश के बांदा में हो रहा है जहां हरिजन महिलाओं को पीटा गया तथा जिंदा जलाया गया–इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में हाथरस में हरिजन लडकों पर बुरी तरह से हमले किये गये जो हमारे प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री का राज्य है। मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि कांग्रेस राज्य के 25 वर्ष बाद भी सरकार हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में क्यों असफल रही है?

श्री राम निवास मिर्धा : यह बात सच है कि यह एक अमानवीय अपराध है। लेकिन जैसा कि मैं अपने विवरण में कह चुका हूं कि इसके लिये कोई भी जातीय आधार नहीं है क्यों कि चार अपराधीयों मे सें एक लिंगायत है और शेष मोला संप्रदाय के है। मैं माननीय सदस्य तथा सारे सदन से अनुरोध करूंगा कि एक साधारण फौजदारी मामले की व्याख्या इस प्रकार न करें और इसे जातीय रंग न चढ़ाये।

इस मामले में घटना दो तारीख को घटी बताई जाती है, इसकी रिपोर्ट मृतक की पत्नी द्वारा 4 तारीख को दर्ज कराई गई और जांच–अधिकारी और उप–अधीक्षक उसी दिन घटना स्थल पर गए और अभियुक्तों को पकड़ने के यत्न किए गए। इन में से चार पकड़ लिए गए हैं, कुछ भाग हुए हैं जिन्हें पकड़ने के सभी प्रयास पुलिस कर रही है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : जैसा मैं ने पहले कहा है कि अभियुक्तों में से दो हरिजन हैं, परन्तु गैर–हरिजन हरजनों को धमकाते रहते हैं और उन्हें अपने अन्य हरिजनों को मार–पीट के लिए बाध्य करते है। इसलिए मैं मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए क्या सरकार सभी राज्यों में हरिजनों तथा जनता के दुर्बल वर्ग के प्रति अमावनीय व्यवहार को रोकने के लिए विशेष सैल बनाने पर गंभीरता से विचार करेगी और क्या आप देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों संबंधी विषय पर यहां चर्चा की अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय : आप तो मुझ से भी प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा मैंने पहले कहा, यह हरिजनों के दुर्व्यवहार आदि का मामला नहीं है जैसा कि सदस्य महोदय ने कहा है। कुछ समयपूर्व सभा में उन मामलों पर चर्चा की गई थी और हम ने सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख किया था।

जहां तक विशेष सैलों का संबंध है, हम राज्य सरकारों को पहले ही इसकी स्थापना के अनुदेश दे चुके है कि ऐसे सैल बनाए जायें जो डी० आई० जी० जैसे किसी वरिष्ट पुलिस अधिकारी के अधीन हों और अनेक राज्यों में ये बन भी चुके हैं। वे हरिजनों पर होने वाले कथित अत्याचारों की जांच यथासंभव शीघ्र पूरी करने का प्रयास करेंगे।

Shri R. S. Pandey : It is very sad. We See reports of such atrocities in the press very often, sometime from Bihar and at others from elsewhere. May I know whether the Prime Minister has asked the State Chief Ministers to set up a Special Cell to safeguard the interest of weaker section?

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा कि मैं बता चुका हूं, राज्य सरकारों को डी० आई० जी० जैसे वरिष्ठ अधिकारी के अधीन ऐसे सैल बनाने के निदेश दे दिए गए हैं जो मौके पर जा कर जांच कर सकेगा और ऐसे मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं भी कुछ कहना चाहती हूं । सदस्य महोदय ने ठीक ही कहा है कि इस वर्ष के आरंभ में जब मैं राज्यों के मुख्य मंत्रियों से मिली थी तो मैं ने उन्हें स्वयं नहीं बल्कि अपने अधीन सैल बनाने के लिए कहा था, जो हरिजनों तथा अल्प-संख्यकों की शिकायतों की जांच करे अपितु रोजगार के मामलों की भी जांच करेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : What will this Cell do? Does its mere existence guarantees justice to Harijan?

Shrimati Indira Gandhi : I simply answered his question.

Shri Atal Bihari Vajpayee : When her government has not been able to do anything, what can the Cell achieve?

Shri Hukam Chand Kachwai : It has been reported in the press that he was hanged. Do the Government admit the fact that he was murdered in a preplanned manner? Has she received such reports? What have the doctors said in this regard? Will he throw some light on their report? How many persons are absending and what charges have been framed against them? Does the charge pertain to murder or atrocities?

Shri Ram Nivas Mirdha : Sir, Some persons are absconding and efforts are aloot to apprehend them but it has not been indicated as to how many of them are absconding. According to information received from the State Government. I may state that four persons have been arrested. Regarding Medical report, it has been stated that the deceased was first tried to a Neem tree and there he was mercilessly beaten to death. As inquirry is in progress, it is difficult to say as to how many person s would be held guilty of this crime.

Shri Madhu Limaye : Such atrocities have been perpetrated on Harijan in my former Constituency, Monghyr. Yesterday, some persons from Bharatpur came to me....

Mr. Speaker : He may ask a question relevant to this question.

Shri Madhu Limaye : Sir, I wanted to give a suggestion and also wanted some information. In Bharatpur, one Harijan, named Chhote was beaten up so mercilessly while in Police custody, that he later died. Similar report had been received from Warangal and I had referred to it here recently. I, therefore, want to know from the Prime Minister, whether the Chief Ministers would also be asked to submit a fortnightly report to the Centre about the action taken in regard to such atrocities in their state, when they have been asked to appoint a Cell under them, though informally? If such report is brought before the House, it would mean some supervision and would help in curbing such incidents?

Shri Ram Niwas Mirdha : The suggestion of the hon. Member to call for fortnightly report would not be administratively feasible. They inform the Centre periodically and we are in constant touch with State Governments to curb such incidents.

पांचवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का सम्मिलित किया जाना

*145 **श्री पी० गंगादेव :**

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पांचवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को सम्मिलित करने के लिए प्रारूप प्रस्तावों पर अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों से बातचीत की है;

(ख) क्या राज्य सरकारों से भी बातचीत हुई है;

(ग) क्या राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपने प्रस्ताव भेजें; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने अब तक प्रस्ताव भेजे है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के प्रस्तावों, जिसमें सरकारी क्षेत्र के उद्योग भी शामिल हैं, पर इस समय विचार-विमर्श चल रहा है। अब तक अनेक केन्द्रीय मंत्रालयों तथा कुछ राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया जा चुका है। आन्ध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उडीसा, पंजाब, राजस्थान और त्रिपुरा की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। अन्य राज्यों से प्रस्ताव शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

श्री पी० गंगादेव : निर्माण-लागत में अपूर्व वृद्धि को देखते हुए क्या पांचवी योजना के परिव्यय अनुमानों की तैयारी में इस पहलू पर भी ध्यान दिया गया है ? यदि हां, तो यह कार्य किसे सौंपा गया है ?

श्री मोहन धारिया : हमने योजना आयोग में संसाधन ग्रुप बनाया है जो वर्तमान मूल्य-वृद्धि सहित सभी आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखेगा और जो अन्तिम परिव्यय निश्चत करने में हमारी सहायता करेगा। इस ग्रुप का कार्य चालू है।

श्री पी० गंगादेव : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्योंकि उड़ीसा को पहले की योजनाओं में पर्याप्त योजनाएं नहीं दी गई हैं, अत: क्या अन्य राज्यों की अपेक्षा इस राज्य को राज्य के सहकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है और क्या अल्पविकसित राज्यों को अधिक परियोजनाएं दी जाएंगी, यदि हां, तो कितनी ?

श्री मोहन धारिया : अभी वह अवसर नहीं आया है। जैसा कि सभा को विदित है छठा वित्त आयोग इस समय सक्रिय है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक होगी जिसमें निर्णय किए जाएंगे। जैसा कि पहले हुआ है आगामी योजना में पिछड़े राज्यों एवं क्षेत्रों का उचित ध्यान रखा जाएगा।

प्रो० मधु दंडवते : निर्माण कार्यों में कठिनाई और अखबारी कागज की कमी को देखते हुए सरकार सरकारी क्षेत्र में नया संयंत्र कब तक लगा देगी ?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : यह प्रश्न पांचवीं योजना में शामिल किए जाने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रारुप प्रस्तावों से सम्बधित है, और जैसा कि पहल बताया जा चुका है केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से विचार विमर्श चल रहा है और अभी निष्कर्ष की स्थिति नहीं आई है। अत: इस समय यह बताना कठिन है कि पांचवीं योजना में कौन-कौन सी परियोजनाएं शामिल की जाएंगी। हां, इन सभी बातों पर विस्तार से विचार किया जाएगा

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जबकि पांचवीं योजना में शामिल किए जाने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बारे में विचार हो रहा है, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विषेश प्रयास कर रही है कि नए कारखाने लगाने से पूर्व वर्तमान कारखानों में पड़ी अप्रयुक्त क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग हो ?

श्री० डी० पी० धर : मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रश्न भी पांचवीं योजना के संदर्भ भी असामयिक है । परन्तु साधारणतया वर्तमान कारखानो की अप्रयुक्त क्षमता का पूरा उपयोग किए जाने तक नए कारखाने न लगाना ठीक कदम नहीं है क्योंकि इससे विद्यमान कारखानों की क्षमता के उपयोग और नये स्थापित किए जाने वाले कारखानों में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा जो मेरी राय में बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं होगा ।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : यद्यपि सरकार समय-समय पर पिछड़े राज्यों में विभिन्न उद्योग लगाने के आश्वासन देती रही है और मैं इस समय मंत्री महोदय से इस समय विवरण देने के लिए भी नहीं कह सकता, फिर भी क्या वह कम से कम सभा को यह आश्वासन देने को तैयार है कि जहां तक पांचवी योजना में पिछड़े राज्यों में उद्योग लगाने के वचनों का संबंध है, उन्हें तोड़ा नहीं जायेगा और उन क्षेत्रों को वही प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री डी० पी० धर : पांचवी योजना की मूल आवश्यकता पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन देना है, और स्वाभाविक है कि जहां आर्थिक संभाव्यता सिद्ध हो जाएगी, वहां पिछड़े क्षेत्रों को उद्योगों की स्थापना में प्राथमिकता दी जाएगी ।

श्री परिपूर्णानन्द मैन्यूली : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में अभी बताया है कि योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है । तो, मैं जानना चाहता हू कि क्या उसके प्रस्ताव पूरे-पूरें मान लिए गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकारी क्षत्र की कुछ परियोजनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के तीन सबसे पिछड़े क्षेत्रों में लगाई जाएंगी ?

श्री डी० पी० धर : मैंने उत्तर प्रदेश की योजनाओं पर चर्चा के बारे में कुछ नहीं कहा है, अतः यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो सामान्य प्रकार का है ।

श्री डी० बसुमतारी : क्योंकि स्वतंत्रता-प्राप्ति से ही अनेक सरकारी कारखाने पिछड़े क्षेत्रों— मुख्यतया आदिवासी क्षेत्रों में लगाए गए हैं और क्योंकि वहां से अनुसूचित जनजातियों के लोगों को निष्कासित किया गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय स्पष्ट आश्वासन दें कि पांचवी योजना में किसी योजना की स्थापना का प्रस्ताव रखते समय इन लोगों को पुनर्वास सहायता दी जाएगी और भूमि के बदले भूमि भी दी जाएगी ? यह बात आयोजना में ही शामिल होनी चाहिये ।

श्री डी० पी० धर : जब भी किसी परियोजना की स्थापना से स्थानीय लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, तब उस परियोजना, उद्योग और सरकार का यह प्रथम कर्तव्य होगा कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाये ।

श्री नवल किशोर शर्मा : वास्तव में ऐसा होता तो नहीं है

श्री पिलू मोदी : क्या वह कह सकते हैं कि पीछे ऐसा ही हुआ है ?

श्री डी० पी० धर : मैं तो पांचवीं योजना की बात कर रहा था, और जहां तक योजना आयोग का संबंध है यह सिद्धान्त पूरी तरह लागू किया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश के लिए पांचवी योजना के आकार में कटौती

*148. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए पांचवीं योजना के प्रारुप में लगभग 1500 करोड़ रूपये की कटौती करने का संकेत दिया है; यदि हां, तो इस कटौती के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने पांचवीं योजना प्रारूप के प्रस्ताव योजना आयोग के विचारार्थ भेजे हैं। राज्य की पांचवीं योजना के आकार के बारे में अन्तिम निर्णय राज्य सरकार के साथ विचार–विमर्श कर तथा सभी सम्बद्ध घटकों पर विचार करने के बाद लिया जायेगा।

श्री आर० के० सिन्हा : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। समाचार पत्रों में भी ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ है कि 1500 करोड़ रुपये की राशि की उत्तर प्रदेश की आगामी पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्तावित राशि से कटौती की गई है। क्या यह भी सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की पहली पंचवर्षीय योजनाओं में सफलतापूर्वक उपेक्षा की गई है और वास्तव में उत्तर प्रदेश देश में प्रतिव्यक्ति विकास के राष्ट्रीय औसत की तुलना में एक योजना पीछे है। क्या योजना आयोग चाहता है कि उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर निरन्तर वर्ष बनी रहे और क्या उत्तर प्रदेश में 10 प्रतिशत व्यक्तियों से भी कम कर विकास उत्तर देश के पिछड़ेपन को और गम्भीर नहीं बनायेगा ?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : इस समय हमारे सामने यह कठिनाई है कि हमने उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हू कि राज्य के लिये पूंजीनिवेश की पद्धति निश्चित करते समय विशिष्ट परिस्थितियों को तथा उत्तरप्रदेश के पिछड़ेपन को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री आर० के० सिन्हा: मंत्री महोदय ने समस्या के प्रति औपचारिक दृष्टिकोण लिया है क्यों कि विचार तो किया गया है, हो सकता है यह प्रस्ताव स्तर पर ही किया गया हो। उत्तर प्रदेश में 1,12,624 गांवों में से केवल 24,800 गांवों में बिजली लगाई गयी है। उत्तर प्रदेश गम्भीर रूप से पिछड़ा हुआ प्रदेश है। औद्योगिक पिछड़ापन, बेरोजगारी, कृषि के क्षेत्र में पिछड़ापन उत्तर प्रदेश को देश में सबसे पिछड़ा हुआ स्थान देता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले पिछड़े हुये है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, पिछड़े हुये क्षेत्र इतने पिछड़े गये हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन करने के कार्य से सम्बद्ध किये गये विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या बहुत कम है। हमारे लोगों को रोजगार पाने के लिये बम्बई जाना पड़ता है...

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को यह बात बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न काल है वाद-विवाद काल नहीं।

श्री आर० के० सिन्हा : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं परन्तु प्रश्न पूछ रहा हूं। पिछड़े क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी हुई है और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले पिछड़े हुये हैं। क्या योजना आयोग अगली योजना में तथा उत्तर प्रदेश के लिये नियतन करते समय इन बातों को ध्यान में रखेगा ?

श्री डी० पी० धर : मैंने कोई औपचारिक उत्तर नहीं दिया है। यह वास्तविक उत्तर है कि हमें पंचवर्षीय योजना पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत करने का अवसर नहीं मिला है। फिर भी मैं

माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पिछड़ा हुआ प्रदेश है और इसलिये योजना आयोग उपेक्षित राज्य को विकास की ओर बढ़ाने का प्रयास करेगा ।

Shri Chandra Bhal Mani Tiwary : May I know from the Hon. Minister whether he will finalise the dealt Plan not by slashing but by increasing the amount of Rs. 3,500 crores proposed by the Government of Uttar Pradesh for the State Plan to cure the State of its backwardness?

Shri D. P. Dhar : We have not yet discussed the proposals received from the State Government but I can assure you that the backwardness of U.P. will be taken into account while the proposals are discussed.

श्री रणबहादुर सिंह : मंत्रीमहोदय के उत्तर को ध्यान में रखते हुये क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विचार करते समय मध्यप्रदेश में आदिवासियों की अधिक जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न उत्तर प्रदेश के बारे में था ।

Dr. Govind Das Richhariya : May I know from the Planning Minister the earliest possible time by which he proposes to discuss the plan proposals with the Government of Uttar Pradesh? I would also like to say that in all the last four Plans, per capita allocation made for U.P. is very little. May I know whether there will be no such difficulty now and allocation will be made according to population?

Shri D. P. Dhar : I don't think there was any injustice with U. P. in the last four plans but we have a special consideration for the development of backward areas in U.P. There are certain other states and their backwardness has to be taken into account and as I have already said we will look into the matter while proposals for Uttar Pradesh are discussed.

Shri Atal Behari Vajpayee : The Hon. Minister has just now agreed that Uttar Pradesh is backward. Eastern district are more backward in the backward state. The Planning Commission had appointed Patel Commission to look in to the matter and suggest development measure for backward areas. Is the Hon. Minister aware of the fact that the report of Patel Commission has been thrown into waste paper basket and no action has been taken on it so far?

Shri D. P. Dhar : I would like to tell Shri Vajpayee that the Planning Minister is not as much unaware about Uttar Pradesh as he thinks him to be. So far as backwardness of U.P. is concerned, we are drawing special plans in that regard. We hope that during this Five Year Plan, special attention would be paid to all the backward areas, whether they are in Uttar Pradesh, Bihar, Bundelkhand or in eastern U.P.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I had asked about the report of Patel Commission. Has our Planning Minister seen it? You might recall that when Shri Nehru was alive and Shri Gahmari was elected to this House from that region then he had gave pathetic rendering of the poverty in Uttar Pradesh. After that Patel Commission was appointed. Is he aware of that? Mr. Speaker, Sir you kindly ask the Hon. Minister ask to what are the recommendations of the Patel Commission?

Shri D. P. Dhar : I have gone through the report. All these things are known to me and I can assure you that all these things will be taken into consideration.

विदेशी प्रबन्धाधीन मोटरगाडी टायर उद्योग का विस्तार

*149. **श्री वयालार रवि** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छः सरकारी औद्योगिक एककों तथा ग्यारह गैर-सरकारी भारतीय एककों को आशय-पत्र जारी करने के बाद भारत में विदेशी प्रबन्धाधीन मोटर-गाड़ी टायर एककों को क्षमताओं के विस्तार करने अथवा उन्हें नियमित करने के लिए दी गई अनुमति की रूप-रेखा क्या है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस समय 80 प्रतिशत से भी अधिक उत्पादन क्षमता वाली विदेशी कम्पनियों के एक साथ विस्तार के कारण इस क्षेत्र में नये एककों को आने में रुकावट पड़ेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणवकुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) विदेशियों के प्रबन्ध में मोटर गाड़ियों के टायर की कंपनियों को उनकी अपनी अधिवापित क्षमता के विस्तार अथवा और अधिक उपयोग के लिये हाल ही में दी गई स्वीकृति का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(1) और अधिक उपयोग हेतु दी गई स्वीकृतियां

कंपनी का नाम	स्वीकृति की तारीख	स्वीकृत अतिरिक्त क्षमता
डनलप इंडिया लिमिटेड	30 अप्रैल, 1973	2, 72, 100 टायर प्रतिवर्ष

(2) अनुमति दिया गया विस्तार

कंपनी का नाम	आशय पत्र मंजूरी किये जाने की तारीख	स्वीकृत क्षमता	स्थान
1. डनलप इंडिया, लिमिटेड, अम्बात्तुर	16 अप्रैल, 1973	केवल 2 लाख संख्या में ट्रकों के टायर	अम्बात्तुर
2. सियेट टायर्स आफ इंडिया, बम्बई	16 जून, 1973	4 लाख संख्या प्रतिवर्ष	तेलंगाना क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश का

जबकि देश में ट्रक के टायरों की भारी कमी को देखते हुए तथा कम से कम समय में इस किस्म के टायरों का उत्पादन बढाने की दृष्टी से मैसर्स डनलप इंडिया लिमिटेड को विस्तार करने की अनुमति दे दी गई है, मैसर्स सियेट टायर्स को राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार एक नया एकक स्थापित करने की अनुमति दी गई है क्योंकि राज्य सरकार का इरादा आन्ध्र प्रदेश के पिछडे तेलगंना क्षेत्र में एक नया एकक लगाने का था ।

(ख) और (ग) विदेशियों के प्रबन्ध वाली कंपनियों के लिए प्रतिवर्ष कुल 42,45,000 टायर बनाने की स्वीकृति/लायसेन्स (हाल ही में स्वीकृत 8,72,100 टायरों की क्षमता सहित) दिये गये है, जबकी, मांग के प्रतिवर्ष 115 लाख टायर होने का अनुमान है तथा पांचवीं योजनावधि के अन्त तक प्रतिवर्ष 140 लाख टायर की क्षमता के लक्ष को प्राप्त करना है । इस प्रकार विदशियों के प्रबन्ध वाली कंपनियों के लिये स्वीकृत क्षमता तथा मांग में अभी पर्याप्त अन्तर है तथा इस आशंका का कोई आधार नहीं है को विदेशी प्रबंध-वाली कंपनियों को और अधिक प्रयोग की स्वीकृति के फलस्वरूप सीमित विस्तार की अनुमती देकर, नये उदयमियों जिन्हें आशय पत्र दिये गये है, अपने योजनाओं के कार्यान्वयन को आगे बढाने में निरुत्साहित होंगे ।

श्री वयालार रवि : विवरण से ज्ञात होता है कि मंत्रालय डनलप कम्पनी के बहुत अधिक पक्ष में है और इसीलिये इस कम्पनी को न केवल विस्तार करने की ही अनुमति दी गई है अपितु क्षमता पूर्ण उपयोग की अनुमति दी गई है। सरकार ने इस के लिये यह औचित्य बताया है कि पांचवी योजना में उत्पादन में अन्तर आ सकता है । मैं मंत्रिमहोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि सरकार की इस महत्वपूर्ण

उद्योग के बारे में क्या नीति है; क्या कमी तथा कालाबाजारी के नाम में सरकार का विचार विदेशी एकाधिकार के विस्तार को प्रोत्साहन देने का है अथवा भारतवासियों को अधिक प्रोत्साहन देने का अथवा इस महत्वपूर्ण उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करने का ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : ट्रक के टायरों की हमारे यहाँ बहुत कमी है और हमने इसीलिये अम्बात्तुर स्थित डनलप इन्डिया लिमिटेड को ट्रक टायरों के 2 लाख मीटरी टन उत्पादन की क्षमता प्रदान की है। शीघ्र उत्पादन करने का यही मार्ग है। मैं माननीय सदस्य से इसके विकल्प का सामना करने का अनुरोध करता हूं अर्थात क्या वह इस क्षेत्र में निरन्तर कमी अथवा कालाबाजारी रखना चाहते हैं अथवा आयात करना अथवा टायरों का भारत ही में उत्पादन। हमने अपनी बुद्धि से यही सोचा है कि टायरों का देश में ही उत्पादन होना अच्छा है, अतः हमने डनलप इन्डिया लिमिटेड से इनका उत्पादन करने के लिये आगे आने के लिये कहा है।

ऐसी बात नहीं है कि हमने इनके भारतीय कम्पनियों द्वारा बनाये जाने की आवश्यकता पर ध्यान न दिया हो। हमने भारतीय कम्पनियों को भी विस्तार कार्यक्रम दिये हैं और भारतीय कम्पनियों के लिये क्षमता की बात को ध्यान में रखते हुये हम विशेषतया राज्यक्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र में भी नये कारखाने स्थापित करने का विचार कर रहे हैं।

श्री वयालार रवि : अपने इस उत्तर से मंत्री महोदय ने की गई कार्यवाही का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया है। जब विदेशी कम्पनियां टायर उद्योग के 80 प्रतिभाग पर नियंत्रण रखती है तब भी मंत्रीमहोदय ने विस्तार लाइसेंसों से टायरों की तथा अन्य चीजों की कमी को पूरा करने का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया है। केवल यही नहीं, गत 40 वर्षों से जब से इस उद्योग की स्थापना हुई है देश में इस क्षेत्र म कोई अनुसंधान तथा विकास नहीं हुआ है। कार्यकारी दल ने अनुसंधान तथा विकास की सिफारिश की थी। विदेशी एकाधिकारवादी भारत से बाहर एक से तीन प्रतिशत तक स्वदेश ले जाते हैं। स्वदेशी पद्धति का विकसित करने तथा अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन क्या प्रस्ताव है ? क्या इसके लिये हमारे पास कोई कार्यक्रम है; और सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग आरम्भ करने के लिये सरकार क्या प्रोत्साहन दे रही है ?

श्री सी० सुब्रहमण्यम : अनुसधान तथा विकास के सम्बन्ध में बड़ी महत्वपूर्ण बात उठायी गई है। दुर्भाग्यवश, हम अब तक केवल कारखाने के फिर से विकास करने में ही नहीं अपितु कारखाना स्थापित करने के मामले में भी विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भर थे।

इसी कारण हम इस बात पर बल दे रहे हैं कि सभी विदेशी स्वामित्व की कम्पनियाँ अपने उद्योगों के भीतर ही अनुसंधान और विकास के प्रयास करें। इसके अतिरिक्त सारे टायर उद्योग के लिए सरकारी क्षेत्र में एक अनुसंधान और विकास संस्थान भी होगा। अतः हम आशा कर रहे हैं कि अगले पाँच वर्षों के दौरान हम देश के भीतर ही और तकनीकी विकास करने में समर्थ होंगे।

डा० रानेन सेन : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि डनलप कम्पनी और सीएट टायर वालों के विकास और अनुसंधान विभाग भारत में नहीं अपितु बाहर के देशों में हैं जिससे कि वह भारतीय विशेषज्ञों को आटोमोटिव टायर उद्योग में होने वाले अधुनातन विकासों से अनभिज्ञ रखते हैं। क्या मंत्री महोदय को इस बात की भी जानकारी है कि भारत में डनलप और सीएट कम्पनी वालों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके बाकी सारे विश्व में पुराने हो चुके हैं और इस प्रकार वह केवल हमें आटोमोटिव पुर्जों के बारे में पुरानी जानकारी दे रहे हैं और यदि मंत्री महोदय को इन तथ्यों की जानकारी है तो सरकार फिर भी इन विशेष कम्पनियों के विस्तार कार्यक्रमों को प्रोत्साहन क्यों दे रही है जोकि ऐसी गलतियों और कामों के लिए दोषी हैं ?

श्री सी० सुब्रहमण्यम : मैं उन्हें ऐसी गलतियों और कामों के लिए दोषी नहीं ठहराता। कमियाँ तो हमारी नीति में है जो हमने उन्हें अब तक देश में तकनीकी सुधार हेतु अनुसंधान और विकास प्रयास करने के लिए नहीं कहा और वे अब तक विदेशों से तकनीक का आयात करते रह। अब हमने

यह निर्णय किया है कि विदेशी विद्यमान तकनीक के संबंध में अथवा जब कभी हम विदेशी तकनीक आयात करने पर बाध्य होंगे हम साथ ही साथ देश में अनुसंधान और विकास प्रयास भी करेंगे ताकि पुनः तकनीकी सुधार देश में ही किए जा सके। यह बात केवल टायर उद्योग के लिए ही नहीं अपितु सारी आयातित तकनीक के संबंध में लागू होगी। अतः इसके लिए ठीक उपाय किए जा रहे हैं।

श्री बी० वी० नायक : मुझे इस बात की खुशी है कि मंत्री महोदय ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि देश में टायरों के सम्बन्ध में बहुत कालाबाजारी हो रही है... (**व्यवधान**) चूंकि कालेबाजार के इस काम में इस कम्पनियों के पुराने स्थायी वितरक सबसे आगे है, क्या सरकार उनकी क्षमता बढ़ाने के समय अथवा किसी अन्य उचित समय यह देखेगी कि जो वितरक पिछले 25 वर्षो से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, उनको हटाया जाए तथा उनके स्थान पर नए वितरक नियुक्त किए जाए।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : बशर्ते कि हमें इस बात की गारंटी दी जाए कि नए आने वाले इन गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। जरूरी बात तो यह है कि देश में वितरण हेतु एक कुशल प्रणाली बनाई जाए। विशेषकर इन वस्तुओं के सम्बन्ध में हम वितरण प्रणाली को और कड़ा कर रहे हैं ताकि चोरबाजारी को कम से कम किया जा सके।

श्री कार्तिक उरांग : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बात का पता लगाया है कि देश में तकनीकी जानकारी उपलब्ध है अथवा कि वह यह समझते हैं कि भारतीय तकनीकी जानकारी से कोई भारतीय यूनिट स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि हां, तो इस दिशा में तकनीकी जानकारी के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि इस प्रकार का एक यूनिट भारतीय तकनीकी जानकारी के आधार पर खोला जा सके।

श्री सी० सुब्रहमण्यम : जहां तक टायर उद्योग का संबंध है उसके लिए हम पूर्णतया आयातित तकनीक पर निर्भर हैं। हम देश के भीतर अनुसंधान और विकास करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि आयातित तकनीक में हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरुप और सुधार कर सकें। यह सही है कि इस संबंध में हमें अभी भारतीय जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि श्री वयालार रवि के प्रश्न में दी गई जानकारी ठीक है तो क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन छः राज्य औद्योगिक यूनिटों और ग्यारह प्राइवेट यूनिटों, जिनको कि आशय पत्र दिए गए हैं, कहां से तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। क्या इनमें देश का कोई एकाधिकार गृह भी सम्मिलित है? यह यूनिट किन पार्टियों का सहयोग लेंगे क्योंकि मंत्री महोदय का कहना है कि देश में तकनीकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इनके सहयोग के बारे में समझौते हुए होंगे जिनको कि मंत्री महोदय ने स्वीकृति दी होगी।

श्री सी० सुब्रहमण्यम : जी हां, सहयोग समझौता देश में विद्यमान टायर कम्पनियों के साथ किया गया है और एक और नई कम्पनी ने भी एक नहीं बल्कि तीन यूनिटों को तकनीकी जानकारी देना स्वीकार किया है। प्रत्येक यूनिट के लिए पृथक से सहयोग प्राप्त करने की अपेक्षा यह अधिक लाभप्रद है। इसी आधार पर हमें लाभप्रत शर्तें प्राप्त हुई हैं। जहां तक मुझे स्मरण है, किसी भी बड़े गृह को टायर निर्माण का लाइसेंस नहीं दिया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने कहा है कि किसी एक कम्पनी ने एक से अधिक यूनिटों को तकनीकी जानकारी देना स्वीकार किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कम्पनी भारतीय है या विदेशी।

श्री सी० सुब्रहमण्यम : यह एक विदेशी कम्पनी है।

श्री हरि किशोर सिंह : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि विदेशी कम्पनियों को देश में अनुसंधान और विकास प्रयास करने के लिए कहा गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह निर्णय कब किया गया था और कितनी कम्पनियों ने यह बात मानी है।

श्री उन्नीकृष्णन : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय ने टायरों की कुल मांग का मूल्यांकन किया है और यदि हां तो क्या उनकी राय गैर सरकारी क्षेत्र के पक्ष में और उनके हित में दी गई है ?

श्री सी० सुब्रहमण्यम : कार्य दल केवल टायरों की आवश्यकता के बारे में मूल्यांकन करता है और निश्चय ही वह सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र के पक्ष में कुछ राय नहीं देता। उसने केवल यह बताया है कि पाँचवी योजना के अन्त तक कितनी क्षमता की आवश्यकता होगी। इस संबंध में निर्णय लेना सरकार का काम है।

श्री जी० विश्वनाथन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें कालेबाजार में टायरों के लिए उनकी निर्धारित कीमत से दुगुनी कीमत अदा करनी पड़ती है, मैं यह जानना चाहता हूं कि राजनीतिक बातों पर ध्यान न देते हुए उत्पादन को शीघ्र बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री सी० सुब्रहमण्यम : राजनीतिक कारणों का तो कोई प्रश्न नहीं है। हमें या तो उत्पादन करना होगा या आयात करना होगा अन्यथा हमें इन अभाव की स्थितियों में रहना होगा। हमने यह निर्णय किया है कि देश में विद्यमान एककों के भीतर ही उत्पादन बढ़ाया जाए। इसी कारण हमने इन कम्पनियों को और उत्पादन विस्तार की अनुमति दी है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : डनलप इण्डिया को 2 लाख और टायर बनाने की अनुमति दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि डनलप के भारत में कुल कितने यूनिट हैं और उनकी वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है क्या इस पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जाता है अथवा कि वह अनपयुक्त रहती है जैसे कि सगोर में सरकार को इस ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिए।

श्री सी० सुब्रहमण्यम : यह सही नहीं है। यदि वह उत्तर के (क) भाग को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि डनलप इण्डिया को पूर्ण उपयोगीकरण की अनुमति दी गई थी।

आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान हमने उन्हें प्राधिकृत क्षमता में विस्तार करने के लिए कहा। उन्होंने अपना उत्पादन 2,72,000 संख्या से बढाया और वह इस अतिरिक्त क्षमता को मान्यता दिलवाने के लिए हमारे पास आए जिस कि अब मान्यता दे दी गई है। इससे यह पता चलता है कि वह अपने निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं। पिछले दिनों डनलप में हड़ताल थी जिसकी वजह से उत्पादन क्षमता अप्रयुक्त रही। क्या माननीय सदस्य उसी का उल्लेख कर रहे हैं ?

भारत आफथेल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का विस्तार

*151. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर के आफ्थेल्मिक ग्लास-प्लांट को आर्थिक दृष्टि से लाभदायक बनाने के लिए उसका विशाखन किया जा रहा है और इसका विस्तार किया जा रहा है ;

(ख) क्या नजर की ऐनकों के शीशे बनाने के लिए उपयुक्त सोवियत उपकरण और तकनीक का प्रयोग आफ्थेल्मिक शीशे बनाने के लिए किया गया जिसके परिणाम भयंकर सिद्ध हुए ;

(ग) क्या इसी कारण भारत को ये शीशे सोवियत संघ को 60 प्रतिशत से भी अधिक का घाटा उठा कर निर्यात करने पड़े, यदि हां, तो कितनी मात्रा में यह अलाभप्रद निर्यात किया गया और इसे कब बन्द किया गया ; और

(घ) क्या अब भारत को पता लगा है कि विदेशी फर्में अपनी जानकारी भारत आप्थेलिमक ग्लास लिमिटेड को बेचने के लिए तैयार हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । यह संयंत्र आप्थेल्मिक कांच बनाने के लिए लगाया गया है । फिर भी, प्रतिरक्षा की जरूरतों को देखते हुए कुछ सहायक साज सामान और बढ़ा कर पेरिस्कोप फिल्म के लिए आप्टिकल कांच का थोड़ी थोड़ी मात्रा में उत्पादन आरम्भ किया गया है ।

(ग) सोवियत रूस को लैम्पों का निर्यात, निर्यात संवर्धन की सामान्य विधि से किया जा रहा है । इनका निर्यात मूल्य उत्पादन लागत का (अनुमानत:) एक तिहाई है । तो भी सोवियत रूस को लैन्सों का निर्यात लाभकारी है क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा कमाने के साथ को देश में मिलने वाले मूल्य की अपेक्षा अधिक दाम मिलते हैं । 1972-73 में अनुमानत: 5.45 लाख रु० के मूल्य के लेन्सों का निर्यात किया था । 1973-74 के लिए अनुमानत: 7 लाख रु० के मूल्य के लैन्सों के एक निर्यात करार पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुका हैं ।

उत्पादन लागत घटाने के लिए प्रौद्योगिकि एवं उत्पाद मिश्र को सुधारने की संभावनाओं की जांच की जा रही है ।

(घ) यह कम्पनी इससे अधिक सूक्ष्म प्रौद्योगिकी के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्ति करने हेतु अनेक विदेशी पार्टियों के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं । कुछ विदेशी फर्मों ने इस प्रस्ताव में रुचि प्रकट की है ।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : प्रश्न के भाग (खं) का उत्तर बड़ा भ्रामक है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि हाल में हुए दो दिन के सेमिनार की समाप्ति पर भारत आप्थेलमिक ग्लास लि० दुर्गापुर के प्रबंध निदेशक ने बताया कि जब पहली बार दुर्गापुर संयत्र लगाया गया था तो सोवियत सहयोग कर्ताओं ने ऑप्टीकल काच, जोंकि उपकरणों के बनाने के काम आता है, सप्लाई करने की पेशकश की थी, किन्तु शीघ्र ही पता लग गया कि भारत में मांग आप्टीकल कांच की नहीं अपितु ऐनकों के शीशे बनाने वाले कांच की मांग है । वस्तुत: नज़र की ऐनकों के शीशे बनाने के लिए उपयुक्त सोवियत उपकरण और तकनीक का प्रयोग आप्थेलमिक शीशे बनाने के लिए किया गया जिसके परिणाम भयंकर सिद्ध हुए । भारत आप्थेलमिक ग्लास लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने कहा है :

> "आर्थिक दृष्टि से परिणाम भयंकर सिद्ध हुए किन्तु देश में अकेले उत्पादक होने के नाते भारत ओपथेलमिक ग्लास लि० खुरदरे बिना नम्बर के शीशे बेचने में समर्थ है । किन्तु इन शीशों को नम्बर वाले शीशों में बदलने की कीमत

इतनी ज्यादा है कि छोटे पैमाने के निर्माणकर्ताओ से प्रतियोगिता नहीं की जा सकती । अत: भारी नुकसान पर, 60 प्रतिशत से भी ज्यादा, यह शीशे सोवियत संघ को निर्यात किए जा रहे हैं ।"

अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह कैसे हुआ कि संयंत्र एक चीज के लिए चुना गया और सोवियत सहयोगकर्ताओं द्वारा आप्टीकल ग्लास के लिए संयंत्र लगाने की पेशकश की । यह कैसे हुआ कि देश की आवश्यकताओं की जांच किए बिना ऐसे संयंत्र को लगाने की अनुमति क्यों दे दी गई जिसके द्वारा बनाए जाने वाले कांच की इस देश में जरूरत नहीं है । इस अनावश्यक कांच के उत्पादन को रोकने के लिए क्यों नहीं उचित कार्यवाही की गई, जिसके परिणामस्वरूप हमें हानि हुई ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : वस्तुत: जब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था, तब यह निर्णय किया गया था कि भारत आपथेलमिक ग्लास लि० द्वारा 200 टन ऑपथेलमिक ग्लास तथा 10 टन ऑप्टीकल ग्लास बनाया जाएगा । तदनन्तर इसे संशोधित किया गया और केवल बिना नम्बर वाले आपथेलमिक ग्लास निर्मित किए गए । यह सही है कि भारत आपथेलमिक ग्लास लि० द्वारा बनाए जाने वाले शीशे सोवियत संघ को लागत कीमत के तिहाई मूल्य पर भेजे जा रहे हैं । इसके दो कारण हैं । बिना नम्बर के शीशों का आयातित मूल्य कम है और देश में भी शीशों का मूल्य प्रति शीशा 80 पैसे है जबकि हम रूस को एक रुपये प्रति शीशे के हिसाब से निर्यात कर रहे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए बी० ओ० जी० एल० के उत्पादन के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक तकनीकी समिति नियुक्त की गई है । उस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और अब वह सरकार के विचाराधीन है ।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मंत्री महोदय के उत्तर से यह सिद्ध हो गया है कि सरकारी में यह सर्वाधिक खर्च वाला संयंत्र है । उन्होंने इस स्थिति के लिये दो कारण बताये ह । इस से हमारी विदेशी मुद्रा संसाधनों में भारी कमी हो रही है । इस कठिनाई पर काबू पाने के लिये और संयंत्र को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिये क्या यह सच है कि विशषज्ञों ने कहा है कि वर्तमान "बैच" प्रक्रिया के स्थान पर अनवरत प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये ? यदि हां, तो इस संयंत्र की कुल लागत कितनी होगी और इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : तकनीकी समिति ने कहा है कि बी० ओ० जी० एल० में 'बैच' प्रक्रिया के स्थान पर अनवरत प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये । इस परियोजना की कुल लागत 1.25 करोड़ होगी । अनवरत प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिये एक तकनीकी समिति कुछ देशों का दौरा करेगी ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि ऐनकों के शीशे बनाने के लिये सर्वोत्तम सिलिका रेत इलाहाबाद के शंकरगढ़ क्षेत्र में उपलब्ध है ? क्या सरकार ऐनक बनाने वाले शीशों का विस्तार करने के संदर्भ में सिलिका रेतको और साफ करने के लिये उस क्षेत्र में धोबन संयंत्र स्थापित करने पर विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल अलग प्रश्न है । परन्तु यदि मंत्री महोदय इसका उत्तर देने के लिये तैयार हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह प्रश्न बी० ओ० जी० एल० से सम्बन्धित है । इस प्रश्न के लिये माननीय सदस्य को अलग नोटिस भेजना चाहिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह प्रश्न दुर्गापुर स्थित कारखाने के बारे में है । क्या यह सच है कि यह शीशे इन्स्ट्रूमेंटस फेक्ट्री, जोकि कलकत्ता में है, में बनाये गये हैं और यदि हां तो क्या उनके पास अब कोई काम नहीं है और यदि यह बात ठीक है तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिससे उस कारखाने में अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Speaker, what Shri Jyotirmoy Boasu is doing there? Congress party has decided yesterday that their members will not be allowed to hobnob with the opposition. In view of this congress members will be in difficulty. It is not proper

श्री अमृत सहाय : वह हमारे दल के साथ घुलमिल कर बातें कर रहे हैं । इसकी अनुमति है ।

अध्यक्ष महोदय : कल श्री अटल बिहारी बाजपेयी ज्योतिर्मय बसु के साथ घुलमिल कर बातें कर रहे थे ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : वास्तव में वर्ष 1972 में एक अलग कम्पनी बनाई गई थी । मैंने बी० ओ० जी० एल० के घाटे में चलने के कारण पहले ही स्पष्ट कर दिये हैं और यह भी बता दिया है कि उसको आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

Provision of essential consumer goods at low prices to people living on poverty line in rural areas

***152. Dr. Laxminarayan Pandeya :**

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) the percentage of the rural population of the country living on poverty line;

(b) whether Government have drawn up any scheme to make essential consumer goods available to these people at very low prices; and

(c) if so, the outlines thereof?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) प्रो० वी० एम० दांडेकर तथा श्री एन० रथ के अध्ययन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 19वें दौर में उपभोक्ता व्यय के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1964-65 में गरीबी की लाइन से नीचे की ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता लगभग 44.57 होने का अनुमान है ।

(ख) तथा (ग) सामान्य जन को समुचित कीमतों पर आवश्यक जिन्सें तथा वस्तुएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नीतियां और उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग ने आवश्यक जिन्सों तथा आम उपभोक्ता की वस्तुओं के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया है । आशा है कि समिति की सिफारिशों में गरीबी की लाइन से नीचे की ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जायेगा । समिति की रिपोर्ट शीघ्र मिलने की आशा है ।

Dr. Laxminarayan Pandeya : The hon'ble Minister has admitted that percentage of rural population living below poverty line was 44 57 in 1964. Now the position is more. The hon'ble Member has said that government have set up a Committee which will suggest measures to make available essential consumer goods in rural areas. Today, the position is that nothing is available in the villages. Pending report of the Committee, whether Government have suggested any interim measures by which some relief could be given to the villagers who are living below the poverty line?

श्री मोहन धारिया : समिति का प्रतिवेदन अगस्त के दूसरे सप्ताह में मिल जाने की आशा है और इस प्रकार अधिक समय नहीं लगेगा । प्रश्न के पहले भाग के बारे में मैंने अपने उत्तर में पहले ही बता दिया है कि उस में दिये गये आंकड़ों के अतिरिक्त हमारे पास कोई अन्य आंकड़े नहीं हैं ।

Dr. Laxminarayan Pandeya : The hon'ble Minister has stated that the Committee would suggest long term and short term measures. I would like to know the broad outlines of the short term measures to be taken by the Government. Whether Government have issued any orders in this respect or whether they intend to take any steps by which rural population could get some relief? Today the position is that rural population is the greatest sufferer and they are not getting essential consumer goods. Whether Government is going to take some remedial measures at once and whether any scheme has been formulated for the purpose?

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से मैं पूर्णतया सहमत हूं । उपरोक्त समिति बहुत जल्दी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी । परन्तु उसका अर्थ यह नहीं कि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है । इसके अतिरिक्त समिति ऐसी अनेक वस्तुओं का पता लगायेगी कि उनका उत्पादन कैसे हो सकता है, उनको वसूल कैसे किया जा सकता है और किस प्रकार एक व्यापक वितरण व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसे समस्त देश में लागू किया जा सके । इस मामले पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जा रहा है । फिर भी मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि यह समिति, जिसका मैं चैयरमैन हूं, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब नहीं करेगी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon'ble Minister would agree that due to rise in prices the number of people living below poverty line must have been increased. I would like to know whether any fresh survey would be conducted to find out the extent to which it has been increased.

श्री मोहन धारिया : प्रो० दांडेकर और श्री राथ का प्रतिवेदन वर्ष 1968-69 पर आधारित था । परन्तु हमारे पास समस्त देश के बारे में आंकड़े हैं—राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 19 वें राऊंड में वर्ष 1964-65 के सम्बन्ध के समस्त देश का व्यापक अध्ययन किया गया था । यह उन्हीं आंकड़ों पर आधारित है । निःसन्देह वर्ष 1968-69 तक हुई मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखा गया है । इस प्रकार ये आंकड़े वर्ष 1968-69 तक समझे जा सकते है । परन्तु मैं सभा को पुनः बताना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक और नमूना सर्वेक्षण किया जा रहा है और समस्त देश के सम्बन्ध में एक और प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

एक समन्वित राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के रूप में भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख केन्द्र के विकास के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशेषज्ञ का प्रतिवेदन

*141. **श्री एस० ए० भुरगनन्तम :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा संस्कृति संगठन के एक विशेषज्ञ द्वारा सरकार को प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई है कि एक समन्वित राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के रूप में भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख केन्द्र का विकास किया जाना चाहिए जिससे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली बनाई जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

ओद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी सूचना प्रणाली तैयार करने का कार्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) को दिया गया है जिसके अंतर्गत सरकारी प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक अभिकरणों और सरकारी तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा विकसित सूचना की सुविधाएं भी निहित हैं । राष्ट्रीय प्रौदयोगिकी सूचना प्रणाली को स्थापित करने के एक प्रस्ताव की रुपरेखा तैयार की गई है—जिसे सी०एस०आई०आर० की पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है । योजना आयोग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति (एन०सी०एस०टी०) द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा । सी०एस०आई०आर० द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन (यूनेस्को) के एक विशेषज्ञ द्वारा सुझाया गया समन्वित कार्य भी शामिल है ।

आसाम में विदेशी धर्म प्रचारकों की गतिविधियां

*144. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संघ से आसाम के कुछ क्षेत्रों को अलग करने के लिए कुछ विदेशी धर्म प्रचारकों की तोड़फोड़ की तथाकथित गतिविधियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) उन विशिष्ट क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें तोड़फोड़ की गतिविधियों का पता लगा है और क्या कोई विदेशी एजेन्सी इनसे सम्बन्धित है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) ऐसी कोई विशिष्ट सूचना नहीं हैं फिर भी कड़ी सतर्कता बरती जा रही है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कर्मचारी संघ (एम्प्लाइज फेडरेशन) और वर्कर्स यूनियन, कलकत्ता से प्राप्त ज्ञापन

*146. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कर्मचारी संघ (एम्प्लाइज फेडरेशन) तथा कार्मिक संघों तथा संस्थाओं (वर्कर्स यूनियन्स और एसोसिएशन्स), कलकत्ता से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) अनुमानतः इस प्रश्न का संबंध दिनांक 27 नवम्बर, 1972 के इस पत्र से है जो महा-सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी०एस०आई०आर०) कर्मचारी तथा कार्मिक संघों और संस्थाओं के महासंघ दवारा प्राप्त हुआ था । उसकी एक प्रति सदन के सभा पटल पर रख दी गई है । [**ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 5263/73**]

(ख) चूंकि, भारत सरकार द्वारा कर्मचारी संघ को प्रामाणिक करने के लिए निर्मित नियमों के अंतर्गत उक्त संघ की पुष्टि नहीं होती, इसलिए यह संघ प्रामाणिक नहीं किया गया । फिर भी, किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय जानकारी में लाये गये व्यक्तिगत मामलों पर गौर किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है ।

उद्योग में मैनेजर

*147. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय मैनेजरों की वार्षिक मांग कितनी है ;

(ख) देश में प्रबन्धक संस्थान (मैनेजमैंट इन्स्टीटयूट) से प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति उत्तीर्ण होकर आते हैं ;

(ग) क्या मैनेजरों की कमी से पांचवीं योजना के दौरान उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) देश में मैनेजरों की वास्तविक वार्षिक मांग ज्ञात नहीं है । उपलब्ध सूचना के अनुसार 1970-71 में बड़े प्रबन्ध पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों की वार्षिक संख्या 997 थी । इसमें दो प्रबन्ध संस्थानों में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति तथा 32 विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओंमे उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति शामिल हैं । इनके अतिरिक्त कई संस्थाएं और भी हैं जहां प्रबन्ध में विभिन्न अल्पावधि तथा दीर्घावधि पाठ्यक्रमोंकी व्यवस्था हैं ।

उद्योग तथा औद्योगिक यूनिट के आकार के अनुसार मैनेजरों से संबंधित संकल्पना तथा उनकी शैक्षणिक अपेक्षाओं में भारी अन्तर है अत: पांचवीं योजना अवधि में मैनेजरों की सम्भावित कमी का निर्धारण करना कठिन है। परन्तु प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थाओं में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या को बढाने के प्रयास किए जा रहे हैं । अहमदाबाद तथा कलकत्ता की वर्तमान संस्थाओं के अतिरिक्त दो प्रबन्ध संस्थानों की और स्थापना की जा रही है । अतिरिक्त प्रबन्ध पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिये कतिपय वर्तमान संस्थाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है । पूर्णकालिक प्रबन्ध पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में चार विश्वविद्यालयों अर्थात् मैसूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा हिमाचल विश्वविद्यालय के प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है । इसके अतिरिक्त कई सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी संस्थाएं भी हैं जहां विभिन्न अवधि के प्रबन्ध पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने अपने ही विस्तृत सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रखा है । देश में प्रबन्ध शिक्षा के समेकन तथा विकास के लिये उपाय निर्धारित करने के लिय प्रबन्ध अध्ययन बोर्ड ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत एक अभियान दल का गठन किया है । अभियान दल द्वारा अपनी रिपोर्ट शीघ्र पेश किए जाने की सम्भावना है ।

डाक व तार विभाग मे कर्मचारियों को पुरस्कार

*150. **श्री प्रभुदास पटेल** :

श्री एम रामगोपाल रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने डाक व तार विभाग में सराहनीय सेवा के लिये सभी संवर्गों के कर्मचारियों को पुरस्कार देने की एक योजना आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उक्त योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की आशा है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नही ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भाषाई अल्पसंख्यांकों के लिए संरक्षणात्मक उपाय

*153. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण क्षत्रीय परिषद् की हाल की बैठक में निणय किया गया था कि भाषाई अल्पसख्यकों में पुनः विश्वास पैदा करने के लिये उनके लिए कतिपय सरक्षणात्मक उपायों को कार्य रूप दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी मख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) दक्षिण क्षेत्रीय परिषद ने अपनी हाल की बठक में यह उल्लेख किया था कि इस क्षेत्र के कुछ राज्यों ने (1) शिक्षा की प्राथमिक तथा माध्यमिक अवस्थाओं, (2) सरकारी प्रयोजनों के लिये अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रयोग, और (3) राज्य सेवाओं में भरती के बारे में भाषाई अल्पसख्यकों के लिये संरक्षणात्मक उपायों के बारे में 1961 के मख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये निर्णयों द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरी तरह से कार्यरूप नहीं दिया गया है । परिषद् ने सम्बन्धित राज्यों से सिफारिश की कि इन संरक्षणात्मक उपायों के कार्यान्वयन मे कमियों को दूर किया जाय । परिषद ने सरक्षणात्मक उपायों के कायकरण का एक उददश्यात्मक मल्यांकन तैयार करने के लि भाषाई अल्पसंख्यकों के आयक्त को नियमित रूप से सांख्यकीय आंकड़े प्रस्तूत करने का राज्यों से अनुरोध किया ।

अनुसंधान तथा विकास के लिए पृथक 'सेल'

*154. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** :

श्री धर्म राव अफझलपुरकर ;

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनसधान और विकास योजन ओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार ने अनसधान और विकास के लिए अलग से 'सेल' की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो अलग 'सेल' बनाने का क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) अनसधान और विकास योजनाए विभिन्न मंत्रालय तथा विभागों जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी सम्मिलित है; के आधीन वैज्ञानिक अनसंधान अभिकरणों/एककों द्वारा कार्यान्वित किये जाते है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

डाक तथा तार कर्मचारियों को बोनस की अदायगी

*155. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग ने डाक तथा तार कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न पर विचार नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय अब 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस देने का निर्णय करेगा, जैसा कि सरकारी, उपक्रमों के कर्मचारियों को दिया जा रहा है और यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं । तीसरे वेतन आयोग को केन्द्रीय सरकारी कमचारियों के वेतन आदि के पुनरीक्षण का जो काम सौंपा गया है उसमें बोनस के प्रश्न पर विचार करने का कोई उल्लेख नहीं है और डाक तार विभाग के कर्मचारी भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं ।

(ख) इसलिए डाक तार विभाग अपने कर्मचारियों को कम से कम 8.33 प्रतिशत बोनस देने के प्रश्न पर फैसला करे, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता ।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये उडीसा में प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

*156. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, कानपुर, जबलपुर, और मद्रास में खोले गए प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों का उड़िसा के अनुसूचित जातियों/जन ज तियों के कितने उम्मीदवारों ने गत तीन वर्षों में लाभ उठाया; और

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा क्षेत्र के अनुसूचित ज तियों/जन जातियों के उम्मीदवारों की सुविधा के लिये राज्य में उक्त प्रकार का केन्द्र खोलने का है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की योजना 1970 में चार रोजगार कार्यालयों अर्थात् दिल्ली, कानपुर, जबलपुर, और मद्रास में पायलट आधार पर शुरू की गयी थी । इन रोजगार कार्यालयों में तृतीय श्रेणी के पदों के लिये पंजीकृत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों को योजना से लाभ पहुंचना था । दिसम्बर, 1972 तक इन केन्द्रों द्वारा की गई प्रगति का एक विवरण संलग्न है । उड़िसा के उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने इन सुविधाओं से लाभ उठाया उपलब्ध नहीं है क्योंकि उम्मीदवारों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) योजना पायलट आधार पर चलाई गई है । इन केन्द्रों द्वारा रिकार्ड की गई क्षमता उपयोगिता और प्रगति का मूल्यांकन किया जा रहा है । पांचवीं पच वर्षीय योजना के दौरान इस योजना को जारी रखना और उसका विस्तार करना विद्यमान केन्द्रों द्वारा प्राप्त परिणामों पर आधारित होगा । यदि उड़ीसा और अन्य राज्यों में केन्द्र खोलने का प्रश्न उत्साहवर्धक होगा तो उस पर विचार किया जायेगा ।

विवरण

"प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र योजना के अन्तर्गत स्थापित चार केन्द्रों द्वारा उनक 1970 में चालू होने के वर्ष से दिसम्बर, 1972 तक प्राप्त प्रगति ये आंकड़े लाभान्वितों की संख्या का संकेत देते हैं ।

	जबलपुर	दिल्ली	मद्रास	कानपुर	जोड़
1. पंजीकरण।वर्ग मार्गदर्शन	1,768	4,630	863	2,741	10,002
2. प्रस्तुतीकरण-पूर्वमार्गदर्शन	3,530	3,481	898	2,321	10,230
3. व्यक्तिगत सूचना एवं मार्ग-दर्शन ।	3,290	6,462	525	2,903	13,180
4. माता-पिता को परामर्श देना ।	281	184	57	6	528
5. क्रमवार रखना .	158	654	769	1,711	3,292
6. विश्वास निर्माण पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रशिक्षणा-र्थियों की संख्या ।	1,418	2,037	807	627	4,889
	10.445	17,448	3,919	10,309	42,121

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की परियोजना के लिए राशिओं में प्रस्तावित कटौति

*157. **श्री सी० के० जाफर शरिफ** : क्या **सुचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने 308 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा था परन्तु योजन। आयोग ने इस में कटौती कर के इसे लगभग 70 करोड़ रुपये कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कटौती के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंवालय में राज्य मंत्री (श्री आए० के० गूजराल) : (क) तथा (ख) वनि प्रसारण और टेलीविजन के विकास के लिए इस मंत्रालय के पांचवीं योजना के प्रस्ताव अभी योजना आयोग के विचाराधीन हैं और उनको अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राजधानी मे सट्टा "मटका" बाजार

*158. **श्री नवल किशोर सिह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जून, 1973 के 'इण्डियन एक्सप्रैस में "मटका गेम्बलिंग कम्स टू कैपिटल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सटटे व्यवसाय क चलने पर रोक लगान के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी हां श्रीमान। सरकार इस समाचार से अवगत है जिस में यह कहा गया है कि मटका जुआ बम्बई से दिल्ली आया है, यह कि ताश के पत्तों से दिल्ली में बड़े पैमाने पर जुआ खेला जाता है और यह कि हाल ही में नगर में अत्यधिक संगठित जुआ एक उन्नत व्यापार है।

मटका जुआ का कोई मामला अभी तक दिल्ली पुलिस के ध्यान में नहीं आया है। फिर भी संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी, चुने हुए क्षेत्रों में गहन गश्त और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही से जुआ खेलने के अपराधों को रोकने के लिए उपाय किये गये है। चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों में जुआ से संबंधित अपराधों के लिए 2,049 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनमें से 1,168 व्यक्तियों को सजा दी जा चुकी है। प्रथम छः महीनों के दौरान उन्नत व्यापार से संबंधित अपराधों के लिए तीस मामले भी दर्ज किये गये हैं। अवैध उन्नत व्यापार के विरुद्ध एक विशेष अभियान में 175 टेलीफून लाइनें और 11 टेलेक्स लाइनें काट दी गई है। उन व्यक्तियों को, जो टिकट अथवा रसीदें बेचते हैं या अन्यथा सट्टे जुए को प्रोत्साहन देते हैं, कानून की दृष्टि में लाने के उद्देशसे से संबद्ध उपबन्ध, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294-क में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव भी संसद के विचाराधीन है।

दिल्ली में डाकियों द्वारा पत्रों का वितरण न किया जाना

*159. **श्री बक्शी नायक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के विभिन्न समाचारों की ओर दिलाया गया है कि डाकियों द्वारा वितरित न किए गए बहुत से पत्र दिल्ली की सड़कों पर पड़े पाये गये हैं; और

(ख) इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) दिल्ली में रोजाना लगभग 20 लाख डाक-वस्तुओं का निपटारा किया जाता है। इनमें ट्रांजिट की वस्तुएं भी शामिल हैं। इन से औसतन लगभग 8 लाख वस्तुओं की दिल्ली में ही डिलीवरी करनी होती है।

2. पिछले एक वर्ष के दौरान तीन बार ऐसी तीन घटनाएं हुइ हैं जिनमें कुछ पत्र सड़क पर बिखर पाए गए थे।

पहले मामले में 16 और 20 मार्च, 1973 को बिना लिफाफे के दो पत्र मिल थे। ये पत्र भूतान से आये थे और नइ दिल्ली में स्थित भूटानी मिशन के नाम थे। इनके बारे में यह दावा किया गया था कि ये पत्र भूतान सरकार के कृषि विभाग के एक कर्मचारी को धौला कुंआ के पास तारीख 28-3-73 को मिला था। ऐसा बताया गया है कि यह कर्मचारी उस समय छुट्टी पर था।

दूसरे मामले में चार पत्र गोल्फलिंक्स इलाके में तारीख 4-4-1973 को पाये गये थे। पत्रों की छानबीन से पता चला है कि ये चार पत्र बैंकिंग विभाग और एक विदेशी बैंक के नाम थे और गल्ती से इनकी डिलीवरी जीवन दीप बिल्डिंग में कर दी गई थी। जीवन दीप बिल्डिंग के दफ्तर के स्वागतकर्ता (रिसेप्शनिस्ट) ने, जिसके यहां इन पत्रों की गलती से डिलीवरी कर दी गई थी, ये पत्र फिर से डाक में डालने के लिए अपने चपरासी को दे दिये थे। ऐसा लगता है कि ये चारों पत्र उस चपरासी से गोल्फलिंक्स के इलाके में खो गये होंगे। बाद में अगले दिन ये पत्र उन व्यक्तियों के पास पहुंचा दये गये थे, जिनके नाम में ये थे।

तीसरे मामले में, मई 1973 में एन० सी० सी० निदेशालय के एक कर्मचारी को सफदरजंग अस्पताल के पास रिंग रोड पर विदेशों से आई कुछ हवाई डाक वस्तुएं पड़ी मिली थी। ये वस्तुएं देश के विभिन्न स्थानों को जानी थी। दिल्ली सर्किल के सतर्कता अधिकारी इस मामले की पूरी तफतीश कर रहे हैं ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके और यदि संभव हो तो इसके लिए दोषी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जा सके।

इंजीनियरींग तथा स्वास्थ्य की अखिल भारतीय सेवाएं बनाया जाना

*160. **श्री यमूना प्रसाद मंडल :**

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **प्रधान** मंत्री स्वास्थ्य, इंजीनियरींग शिक्षा और कृषि की अखिल भारतीय सेवायें बनाये जाने के संबंध में 9 अगस्त, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 154 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इंजीनियरिंग तथा स्वास्थ्य की अखिल भारतीय सेवायें बनाने का अन्तिमरूप से निर्णय कर लिया है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : जी नहीं, श्रीमान ।

तारापुर परमाणु संयंत्र में खराबी आ जाने के कारणों का पता लगाने हेतु जांच समिति की स्थापना

1401. **श्री विश्वनाथ झूझनवाला :**

श्री समर गुह :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तारापुर परमाणु संयंत्र में बार बार होने वाली खराबियों का पता लगाने के लिये विशेषज्ञों की एक जांच समिति अथवा संसदीय समिति की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर के दोनों युनिटों को अन्तिम बार जब ईंधन बदलने के लिए बंन्द किया गया था उसके बाद चालू होने के समय से ले कर अब तक वे सन्तोषजनक रुप से काम कर रहे हैं तथा अपनी लगभग पूरी क्षमता के साथ बिजली पैदा करते रहे हैं। बिजलीघर से बिजली की सप्लाई में हाल हि में जो रुकावटे हुई थीं वे बिजलीघर कि किसी खराबी के कारण नहीं थी। उसका एकमात्र कारण गुजरात तथा महाराष्ट्र के राज्य विद्युत बोर्ड की ट्रांसमिशन लाइनों का फेल हो जाना था । इस कारण, तारापुर परमाणु बिजलीघर के बार-बार बन्द हो जाने के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की किसी जांच समिति अथवा संसदीय समिति के नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जहां तक गुजरात तथा महाराष्ट्र के राज्य विद्युत बोर्डों की ट्रांसमिशन लाइनों के खराब होने का संबंध है, केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग के विशेषज्ञों के एक दल ने समस्याओं का अध्ययन करने के लिए तारापुर तथा अन्य स्थानों में लगे स्विच-गीयरों की जांच जून, 1973 के अन्तिम सप्ताह में की थी । समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने भी एक समिति नियुक्त की थी, जिस में परमाणु ऊर्जा विभाग, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड तथा टाटा पावर कंपनी के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इस समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट हाल ही में पेश की है, जिस पर दोनों राज्यों के विद्युत बोर्डों तथा केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है ताकि रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके।

लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र के बराबर दर्जा देने की मांग

1402. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाखियों ने लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा देने की मांग की है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस समय लद्दाख के विकास सहायता का 90 प्रतिशत व्यय वहन कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इन मांगों का आधार क्या है?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): (क) से (ग) ऐसी मांग लदाखियों के एक वर्ग द्वारा तथा कथित राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा करने के आधार पर हाल में की गई है ।

चौथी योजना की अवधि में लद्दाख के विकास का व्यय राज्य की वार्षिक योजना में निर्धारित किया गया है। इस व्यय को योजना आयोग की पूर्व सहमति के बिना विकास के अन्य मुख्य शीर्ष में परिवर्तित करना अनुमति देने योग्य नहीं है। राज्य की योजना में लद्दाख के व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जाता है ।

Setting up of Industrial Designing and Development Centres

1403. **Shri Shiv Kumar Shastri** ; Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether the Soviet Union have given aid to India for various industrial designing and development centres which have been set up or are proposed to be set up and if so, the number of such Centres, and the work to be done by them;

(b) the advantages likely to accrue from each centre and the regions that would be benefited; and

(c) the number of foreign experts who would stay in India and the period of their staty ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) No, Sir.

(b) &. (c) Question does not arise.

नारियल जटा उद्योग से विचौलियों का हटाया जाना

1404. **श्री एम० एस० शिवरवामी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के नारियल जटा उद्योग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन किया गया ;

(ख) क्या उद्योग से विचौलियों को हटाने के लिये कोई योजना बनायी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) नारियल जटा उद्योग द्वारा गत तीन वर्षों मे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार हैं :—

(रु० करोड़ों में)

1970-71	1971-72	1972-73
13.87	14.86	14.94

(ख) और (ग) नारियल जटा उद्योग मे सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो कि उद्योग के बुनकर क्षेत्र से विचौलिये को निकाल सकेगा और कामगार/उत्पादन कर्ता को अधिकतम मात्रा में पारिश्रमिक देने का सुनिश्चय करेगा । केरल सरकार सहकारी क्षेत्र को सशक्त बना कर नारियल जटा उद्योग का पुनर्गठन करने की योजना में ओर आगे हैं ।

गया हवाई अड्डे के निकट सिमारिया गांव में चीन के इश्तहारों का पाया जाना

1305. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जून, 1973 के 'इंडियन नेशन' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि बिहार के गया हवाई अड्डे के निकट सिमारिया गांव में चीन के इश्तहार पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन):(क) सरकार ने इस संबंध में समाचार देखा है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार जिला गया के सिमरिया गाव में दिनांक 31-5-1973 को चिनी भाषा में 4 प्रकार के पर्चे पाये गये थे । यह साहित्य फारमुसा मुल का है । यह कोमिंटींग सरकार समर्थक साहित्य के समान है । जो पहले भी बरामद किया गया था और वह पोलीचीन के बड़े थैलों में बैलुनों की सहायता से साम्यवादी चीन में गिराने के लिये था । प्रतीत होता है कि पर्चे वायुमंडल में वायु के प्रतिकूल होने के कारण भारत को और आ गये और इलेक्टोमेकानिकल यंत्र के बिगड़ जाने के कारण वे यहां गिर गये ।

थुम्बा के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के कर्मचारियों का अभ्यावेदन

1406. **श्री वयालार रवि** : क्या **आन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या थुम्बा के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के कर्मचारियों ने अपनी शिकायतों के बारे में एक अभ्यावेदन अपने प्राधिकारियों को दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्टानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) अनेक बैठकें की जा चुकी हैं और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ भी, उनकी मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिए समय-समय पर बैठकें होती रही है । उनकी बहुत सी समस्याओं का पहले ही निराकरण किया जा चुका है और शेष समस्याओं की जांच की जा रही है।

Number of muslims from Pakistan who visited India for attending the Urs of Ajmer

1407. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Muslims from Pakistan who visited India for attending the Urs of Ajmer during the last three years;

(b) the number of persons out of them arrested for smuggling the goods; and

(c) the action taken against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Loans to industries in backward areas in M. P.

1408. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the amount of loan granted to each industry set up in the backward areas in Madhya Pradesh during the last three years and the names of the industries set up?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : A statement is attached. [*Placed in Library. See No. L. T.* 5264/73]

फिल्म उद्योग में रोजगार के बारे मे एन० एम० चटर्जी समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशें

1409. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन० एम० चतर्जी समिति द्वारा सर्व सम्मति से की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही, की गई है जिसे सरकार ने पत्र संख्या आई० डब्ल्यू० (1) 6(13)/66 दिनांक 23 नवम्बर, 1966 द्वारा त्रिपक्षी समिति के रूप में गठित किया था तथा जिसने फिल्म उद्योग में कर्मचारियों का वेतन, कल्याण तथा छुट्टी सहित रोजगार नियमित करने हेतु कानून बनाने के लिए सरकार से सिफारिश की थी ;

(ख) जबकि एक संसद सदस्य ने लोक सभा से फिल्म उद्योग कर्मचारी विधेयक, 1972 वापिस ले लिया है, सरकार द्वारा फिल्म उद्योग के कर्मचारियों के लिए विशेष कानून बनाने के लिए दिए गए आश्वासन पर मन्त्रालय ने कहा तक कार्यवाही की है ; और

(ग) चटर्जी समिति की सिफारिशों और श्री सामन्त के विधेयक की क्या मुख्य विशेषता हैं जिनको मन्त्रालय ने कानून का प्रारुप बनाने के लिए मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) अन्य बातों के साथ–साथ श्री सामन्त के बिल के उपबन्धों और चटर्जी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात फिल्म उद्योग के श्रमिकों के काम की शर्तों के बारे में एक व्यापक केन्द्रीय कानून यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का प्रताव है।

आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मनीपुर तथा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के पश्चात आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गय व्यक्तियों की संख्या

1410. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंन्ध्र प्रदेश, उडीसा, मनीपुर तथा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद आंतरिक्ष सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम तथा अन्य किसी अधिनियम के अधीन कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गये ; और

(ख) इन राज्यों में आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये तथा विभिन्न आरोपों में न्यायिक जांचाधीन रखे गये व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और वे किस-किस दल से संबंधित है तथा इन बंदियों की जेलों में क्या स्थिति है और उन्हें किन कि वर्गों में रखा गया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 15 जुलाई, 1973 तक आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम, 1971 के अधीन उत्तर प्रदेश में 10 व्यक्ति, उडीसा में 2 व्यक्ति, आन्ध्र प्रदेश में 232 व्यक्ति नजरबन्द किये गये थे। मणिपुर में कोई व्यक्ति नजरबन्द नहीं किया गया।

30 जून, 1973 तक आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम के लागू होने से नजरबन्द व्यक्तियों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :--

	नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों का विवरण जिनका राजनैतिक संबद्धता मालूम है।	30-6-73 तक नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	444	3 सी० पी० आई (एम)	2
उडीसा	7	2 उत्कल कॉग्रेस	3
उत्तर प्रदेश	87		25
मणिपुर	5		

आन्तरिक्ष सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम के अधीन नजरबन्द व्यक्तियों के संबंध में शेष सूचना एकत्रित की जा रही है।

जहां तक राज्यों में विभिन्न आरोपों के संबंध में अन्य अधिनियमों के अधीन गिरफ्तार किये गये व जांच अधीन व्यक्तियों की संख्या का संबंध है यह उल्लेखनीय है कि सूचना एकत्रित करने में लगने वाले समय तथा परिश्रम से प्राप्त होने वाले परिणाम समान नहीं होंगे।

आन्ध्र प्रदेश मे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का तैनात किया जाना

1411. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के पश्चात वहां कुल कितनी संख्या में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवान तैनात किये गये ?

गृह मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : जनवरी, 1973 में आन्ध्रप्रदेश में राष्ट्रपति शासन के लागू होने के बाद वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 80 कम्पनियां भेजी गई थी जिनमें से इस बीच 54 कम्पनियां वापस बुला ली गई थीं।

Expenditure on Telephones used by union Ministers]

1412. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7431 on 18th April, 1973 regarding the expenditure on Telephones used by Union Ministers and state :

(a) whether the requisite information has since been collected; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No, Sir. The information is still awaited from some of the Ministries.

(b) Does not arise.

Number of Pakistani Nationals Gone Underground in Madhya Pradesh State

1413. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7368 on the 18th April, 1973 and state :

(a) whether the information has since been collected; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes.

(b) A statement containing the information was laid on the Table of the House on 27th July, 1973. A copy of the same is enclosed. [*Placed in Library See No. L. T.* 5265/73].

Opening of Automatic Telephone Exchanges in M. P.

1414. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the reasons for delay in opening of Automatic Telephone Exchanges in Madhya Pradesh; and

(b) the date by which the Automatic Telephone Exchanges are likely to be opened?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The demand of Telephone connections is much higher than the availability of auto exchange equipment. Shortage of equipment for automatisation of exchanges in M.P. as at all places in the country, is responsible for this situation.

(b) The programme for automatisation of Exchanges up to the allotments finalised so far is shown in the statement.

Statement

Likely Dates of Automatisation of Enchanges in Madhya Pradesh

Main Automatic Exchanges

Sl. No.	Stations	Capacity in lines	Likely year of commissioning
1	Bhopal Assembly	1,500	73-74
2	Raipur	2,700	74-75
3	Jabalpur	5,000	75-76

Small Automatic Exchanges

Sl. No.	Stations	Capacity in lines	Likely year of commissioning
1	Mandsaur	400	73-74
2	Morena	300	Do.
3	Balaghat	300	Do.
4	Damoh	300	Do.
5	Itarsi	400	74-75
6	Khargone	300	74-75
7	Dewas	400	74-75
8	Mohow	400	74-75
9	Detul	300	74-75

Small auto telephone exchanges of 25 lines capacity for 31 places have been sanctioned. Out of this, 20 small auto exchanges having capacity of 500 lines are likely to be commissioned during 1973-74 and the rest during next year 1974-75.

अकोला और नागपुर जिलों के स्वतंत्रता सैनानी

1415. श्री वसंत साठे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अकोला और नागपुर जिलों के कितने स्वतंत्रता सेनानीयों के मामले अब तक सरकार की विचारार्थ और पेंशन स्वीकृति के लिये भेजे गये हैं ;

(ख) कितने प्रार्थना पत्रों की छानबीन हुई ; कितने अस्वीकृत हुए, कितने स्वीकृत हुए तथा कितनों में स्वीकृति की सूचना दे दी गई है ; और

(ग) स्वतंत्रता सेनानी सैल को भेजे गये सभी मामलों पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण मे दी गई है।

(ग) 31-3-1973 तक प्राप्त लगभग 1.28 लाख सभी आवेदन पत्रों की जांच तथा पात्र पाय गये अधिक से अधिक मामलों मे 14.8-1973 तक पेंशन स्वीकृत करने के प्रयत्न किए जा रहे है। 31-3-1973 के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों की भी 15-8-1973 तक समय मिला तो जांच की जायेगी अन्यथा उनपर बाद में विचार होगा।

विवरण

25 जुलाई, 1973 तक अकोला तथा नागपुर जिलों से प्राप्त आवेदन पत्रो, उनकी छानबीन स्वीकृत तथा अस्वीकृत मामलों की संख्या का विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	प्राप्त हुए	छानबीन हुई	स्वीकृत किये गये व सूचना भेजी गई	अस्वीकृत
1	अकोला	510	308	208	45
2	नागपुर	1,281	1,281	654	246

"प्लानर्स एटीट्यु अपसेट्स साइटिस्ट" शीर्ष से प्रकाशित समाचार

1416. **श्री वसन्त साठे** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जून, 1973 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' (नगर संस्करण) मे "प्लानर्स एटीट्यूड अपसेट्स साइंटिस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समाचार मे कही गई बातों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां, जो विचार अभिव्यक्त किये गये हैं वे तथ्य रुप से सही नहीं हैं।

(ख) आत्म-निर्भयता के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने तथा पांचवीं योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने मे विज्ञान और तकनालाजी के देशी अनुसंधान, डिज़ाइन और विकास (आर एण्ड डी) के महत्वपूर्ण योगदान को, योजना आयोग पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। इस ध्येय से राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति के संबद्ध सदस्य को, पांचवी योजना में विभिन्न क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम तैयार करने के प्रथम चरण में शामिल किया गया है। यह विकास कार्यक्रम योजना आयोग द्वारा गठित अभियान दलों के माध्यम से तैयार किया गया है। द्वितीय चरण में राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति को उन विस्तृत परिचर्चाओं मे शामिल किया गया है जो कि संबद्ध मंत्रालयों की पांचवीं योजना के मसौदा प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय योजना आयोग ने उनसे की थी। मंशा है कि प्रत्येक मंत्रालय के योजना कार्यों व प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसंधान डिजाइन व विकास के घटकों का निर्माण हो। तृतीय चरण में यह प्रयास होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति के उन कार्यक्रमों पर योजना आयोग मे विचार किया जाए, जो कि एक अधिक मंत्रालयों और दीर्घकालिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सीमा के अन्तर्गत आते हो ; राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति, संबंद्ध मंत्रालयों और विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय से परामर्श किया जाएगा।

भारतीय वन सेवा के अधिकारियो से प्राप्त शिकायतें

1417. **नारायन चन्द्र पाराशर** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने समस्त देश के लिये भारतीय वन सेवा बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा किस तारीख को बनाई गई थी और प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में इस सेवा में अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) क्या कुछ राज्यों में वरिष्ठता निर्धारित करने के मामले में उनके साथ अन्याय किये जाने के बारे में इस सेवा के कुछ अधिकारीयों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों में उनमे से प्रत्येक राज्य से कितनी तथा किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सेवा का गठन 1 जुलाई, 1966 से किया गया था। संघ राज्य क्षेत्रों के संवर्ग सहित प्रत्येक राज्य संवर्ग में आबंटित अधिकारियों की कुल संख्या संलग्न विवरण संख्या 1 में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 5266/73]**

(ग) तथा (घ) भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की उस सेवा में वरिष्ठता के पुनरीक्षण स संबंधित उनके अभ्यावेदनों पर, जो उन राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिनके अधीन कर रहे हैं, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा इन अभ्यावेदनों पर की गई टिप्पणियों को, यदि कोई हो, ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। अभ्यावेदनों की संख्या और स्वरुप के बारे में उपलब्ध रिकार्डों से जो जानकारी प्राप्त की जा सकी है वह संलग्न विवरण संख्या 2 में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 5266/73]**

लखनऊ विश्वविद्यालय में सेना की युनिटें

1418 **श्री० जगदीश भट्टाचार्य :**

श्री० हुकमचद कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ विश्वविद्यालय में गत मई के उत्तरार्ध में सेना की यूनिटें भेजी जानी थीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अब विश्वविद्यालयों में क्या स्थिति चल रही है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय में तैनात प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी गम्भीर अनुशासनहीनता और अवज्ञा के कार्य में अंतर्ग्रस्त हो गई और अनियंत्रित तत्वों के साथ मिल गई जिसके परिणामस्वरुप प्रांगण के अंदर आगजनी और लुटने की गम्भीर घटनाएं हुए। इन परिस्थितियों में स्थिति से निपटाने के लिए 21 मई, 1973 को सेना की सहायता मांगी गई थी।

(ग) इस समय विश्वविद्यालय में स्थिति पूर्णत: शान्तिमय है और वार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं।

कोयले की कमी के कारण पश्चिम बंगाल की फाउन्ड्रियों में गंभीर स्थिति

1419. **श्री दिनेन भट्टाचार्य** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की अत्यधिक कमी के कारण पश्चिम बंगाल राज्य की फाउन्ड्रियों में गम्भीर स्थिति की सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख) कोयले की गम्भीर स्थिति की कोई सूचना नहीं मिली है फिर भी कुछ फाउंड्रियों ने कोयले की कमी के विषय में बताया है तथा इस विषय में कोयला नियंत्रक को सूचित कर दिया गया है। जब भी कोयले की अतिरिक्त सप्लाई की मांग हुई है तभी तकनीकी विकास महानिदेशालय पिछली वास्तविक खपत के अतिरिक 25 प्रतिशत तक और कोयले के नियतन की सिफारिश करता रहा है।

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था करने की गुजरात की योजना

1420. **श्री प्रमुदास पटेल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार की व्यवस्था करने के लिये 3.5 करोड़ रुपये के व्यय की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना संघ सरकार के दस महीनों की अवधि के अन्दर भारत के 5 लाख शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने का एक भाग है ;

(ग) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकार की योजना को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो योजना की क्रियान्विति के लिये राज्य सरकार को केन्द्र सरकार ने क्या सहायता दी है?

योजना मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) गुजरात राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यक्रम के अन्तर्गत कई स्कीमें भेजी थी । मार्ग दर्शी सिद्धान्तों के अनुकूल स्कीमों को, जिन पर 3.07 करोड़ रुपया व्यय होगा तथा जिनसे 23,760 शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, स्वीकार कर लिया गया है । राज्य सरकार से और अधिक स्कीमों की प्राप्ति की प्रतीक्षा की जा रही है, जो उनको आबंटित किए गए 3.5 करोड़ रु० की सीमा के अन्दर ही होनी चाहिए।

(घ) राज्य सरकार को सम्पूर्ण धनराशि शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध की गई है।

27 मई को पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी में मारे गये सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारी

1421. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री वी० मायावन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 मई को पाकिस्तान द्वारा फिरोजपुर क्षेत्र में जलालाबाद के पास की गई गोलाबारी से सीमा सुरक्षा बल का एक कर्मचारी मारा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) जिला फिरोजपुर के जलालाबाद क्षेत्र में 25 मई, 1973 को न कि 27 मई को सीमा सुरक्षा बल तथा पाकिस्तानी रेंजरों में गोली चलने से सीमा सुरक्षा बल का एक आदमी मारा गया।

(ख) पाकिस्तानी प्राधिकारियों को एक विरोध पत्र भेजा गया है। उपरोक्त मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी रेंजरों के दो हाथियारबन्द सिपाहियों को भी पकड़ा ।

राजस्थान के एक गांव में पाकिस्तानी मुजाहिदों और सीमा सुरक्षा बल के गस्ती दस्ते के बीच मुठभेड़

1422. **श्री राज राज सिंह देव :**

श्री आर० बी० स्वामिनाथन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बाड़मेर जिले के शखसर ग्राम में 22 मई को पाकिस्तानी मुजाहिदों ओर सीमा सुरक्षा बल के गस्ती दस्ते में मुठभेड़ हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तानियों की ओर से उत्तेजक गतिविधियां आरम्भ की गई थी ;

(ग) मुठभेड़ में कितने व्यक्ति हताहत हुए ; और

(घ) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तानी सरकार को विरोध पत्र भेजा है तथा उस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) बाड़मेर के भाखसर गांव में 20 मई, 1973 को न कि 22 मई को पाकिस्तानी मुजाहिदों तथा सीमा सुरक्षा बल के बीच एक मुठभेड़ हुई थी।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल का एक कांसटेबल मारा गया था।

(घ) भारत सरकार के स्तर पर कोई विरोध पत्र नहीं भेजा गया।

किड्डरपूर गोदी में कतिपय महत्वपर्ण उपकरणों की तोड़फोड़ की कार्यवाही में रिचर्ड बिन होरिक्स का कथित हाथ होना

1423. **श्री आर० के० सिन्हा :**

श्री सतपाल कपर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिचार्डबिन होरिक्स नामक एक अमरीकी को कलकत्ता की किड्डरपुर गोदी में गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से गोता लगाने के उपकरण तथा नकाब बरामद किये गये थे ;

(ख) क्या किड्डरपुर गोदी गार्डन बीच जो कि समुद्रों में चलने वाले जहाज बनाते हैं तथा राना बागान डाक्स जोकि देशीय परिवहन जहाजों के निर्माता हैं, के समीप स्थित है ;

(ग) क्या रिचर्ड होरिक्स पर इन संस्थानों में लगे कतिपय महत्वपूर्ण उपकरणों की तोड़फोड़ की कार्यवाही करने का शक था ; और

(घ) उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) रिचर्ड बिन होरिक्स नामक एक अमरीकी नागरिक को कलकत्ता में किद्दरपर के किंग जार्ज डोक एक्सटेनशन में 26 अप्रैल, 1973 को गिरफ्तार किया गया था। उससे कुछ गोता लगाने के उपकरण बरामद किये गये थे। रिपोर्ट दी गई है कि किंग जार्ज डोक एक्सटेनशन, गार्डन रीच वर्कशाप तथा राजा बागान डोक से क्रमश: 3 किलोमीटर तथा 4 किलोमीटर की दूरी पर है ।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

जम्मु और कश्मिर में पाकिस्तानी एजंटों की घुसपैठ

1424. **श्री आर० के० सिन्हा :**

श्री नवल किशोर सिन्हा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने जम्मू और काश्मीर में नियंत्रण रेखा के भारत की ओर अपने एजेंट भेजने का कार्य पुन: आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) पाकिस्तान के ऐसे प्रयत्नों को असफल बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) सरकार जम्मू व कश्मीर में एजेंटों के घुसपैठ के प्रयासो से अवगत है। ऐसे प्रयासों को विफल करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कडी निगरानी रखी जाती है।

गुजरात की परियोजनाओं पर सीमेंट की कमी का प्रभाव

1425. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **ओद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सीमेंट की कमी का राज्य की अनेक अत्यावश्यक परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या राज्य में सीमेंट की कमी के बारे में राज्य सरकारने केन्द्रीय सरकार को लिखा था लेकिन फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ ;

(ग) क्या सीमेंट की कमी से प्रति दिन 1000 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सीमेंट सप्लाई करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि राज्य की परियोजनाओं पर और अधिक प्रतिकूल प्रभाव न पड़े?

ओद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) देश में सीमेंट की सम्पूर्ण रूप से कमी के कारण ही गुजरात राज्य में भी सीमेंट की कमी है जिसका कारण बिजली मे अत्यधिक कटौतियां, कुछ कारखानों मे हड़तालें, अपर्याप्त कोयला, पानी आदि का होना है। अतएव, यह असंभव नहीं है कि राज्य की कुछ परियोजनाओं पर भी कुछ सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो

(ख) राज्य सरकार ने अभ्यावेदन किया है कि राज्य की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की आवश्यकताएं केन्द्र सरकार द्वारा पूरी की जानी चाहिये और उनका संमजन राज्य सरकार के कोटे से न किया जाय। यह बात मान ली गई है।

(ग) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है ।

(घ) राज्य सरकारको 2.85 लाख मीट्रीक टन के एक इकट्टे तिमाही कोटे का आबंटन किया गया है तथा संभरण का विनियमन इस तरह किया जायेगा कि गुजरात राज्य की किसी भी परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव न पडने पाए ।

देश में से हिप्पियों का निष्कासन

1426. **श्री जी० वाय० कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने देशों नें हिप्पियों को अपने देश में आने पर रोक लगा दी है तथा उनके नाम क्या है; और

(ख) क्या भारत भी उनका अनुसरण करेंगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री श्री एफ० एच० मोहसिन : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार लाओस, सिंगापुर, भूटान, श्री लंका, मलेशिया, सऊदी अरब, ओमन और जार्डन की सरकारें हिप्पियों के प्रवेश की अनुमति नहीं देते ।

(ख) उन विदेशियों के भारत में प्रवेश और ठहरने को सीमित करने के उद्देश्य से विदेश में भारतीय मिशनों और राज्य सरकारों इत्यादि को उपयुक्त अनुदेश जारी कर दिये गये है, जिनके नारकोटिक्स, अभद्र व्यवहार, अवारागर्दी, भीक मांगने इत्यादि के कारण सामाजिक बाधा होने की संभावना है। वर्तमान परिस्थितियों में ये उपाय पर्याप्त समझे जाते है। अधिक कठोर कार्यवाही से वास्तविक पर्यटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना है ।

उत्तर प्रदेश में सिमेंट की कमी

1427. **श्री वी० आर० शुक्ल** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे उत्तर प्रदेश और विशेष कर बहराइच जिले में सीमेन्ट की भारी कमी है;

(ख) क्या उपभोक्ताओं के बीच सीमट का वितरण करने के बारे में सरकार ने कोई विदेश दिया है, और

(ग) यदि हां, तो निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा बिजली में की गई भारी कटौती के कारण कोयला, पानी आदि की उपयुक्त मात्रा में अनुपलब्धता के कारण और कुछ कराखानों में हडतालें होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर में सीमेन्ट की सामान्यत: कमी रही है । उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले को दी गई सीमेंट का परिमाण निम्न प्रकार है :—

1971	. . . . .	9689 मी० टन
1972	. .	9673 ,,
1973 (जनवरी अप्रैल)	. . .	3167 ,,

(ख) और (ग) मई, 1973 से उत्तर प्रदेश राज्य में सीमेन्ट के वितरण का विनियमन, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी किये गये उत्तर प्रदेश सीमेन्ट नियंन्त्रण आदेश के अधीन किया जाता है।

चौथी योजना अवधि में केन्द्र तथा राज्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना

1428. **श्री सी० जनार्दनन:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) चौथी योजना अवधि में केन्द्र तथा राज्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटानेके लिये क्या लक्ष्य रखे गये थे; और

(ख) ये लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त कर लिये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चौथी योजना अवधि में केन्द्र तथा राज्यों के लक्ष्य क्रमश: 2100 करोड रुपए (राज्यों के हिस्से का शुद्ध) और 1098 करोड रुपए नियत किये गये थे।

(ख) केन्द्र द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने से (बंगला देश से आए शरणार्थियों की सहायता के लिए लगाए गए विशेष शुल्कों को छोड कर) ऐसी आशा है कि चौथी योजना अवधि में लगभग 3200 करोड रुपए (राज्यों के हिस्से का शुद्ध) प्राप्त होंगे। ऐसी आशा है कि राज्यों द्वारा अब तक किये गये प्रयासों से 1050 करोड रुपये (बंगला देश से आये शरणार्थियों की सहायतायों के लिए लगाए गए विशेष शुल्कों को छोड कर) प्राप्त होंगे।

मेसर्स कोरस इण्डिया लिमिटेड द्वारा विदेशी मुद्रा संबंधी नियमों का उल्लंघन किया जाना

1430. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कोरस इण्डिया लिमिटेड निर्यायतित कच्चे माल और पूर्णतया तैयार न किए सामान का मूल्य विदेशों में जमा करा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निर्माण किए गये ऐसे सामान का मूल्य क्या है; और

(ग) इस फर्म द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के कारण हुई विदेशी मुद्रा की हानि के लिये इस के विरुद्ध क्या कदम उठाए जा रहे है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रवर्तन निदेशालय के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसका सम्बंध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघनों से हो।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अर्थ संबंधी अपराधों के लिए मारुति लिमिटेड के अंश धारीयों के विरुद्ध जांच

1431. **श्री मधु लिमये :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड के कितने प्रमुख अंशधारियों जिन्होंने 10,000 रु० अथवा इससे अधिक राशि लगाई है, तथा उसके निदेशकों यदि अंशधारी एक निगमित निकाय के रूप में है, के विरुद्ध कर अपवंचन, चीर बाजारी करने, विदेशी मुद्रा विनियमों तथा अन्य अनियमितताये करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो और राजस्व आसूचना तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है;

(ख) उक्त जांच कब आरंभ की गई थी;

(ग) उक्त जांच के क्या परिणाम निकले है; और

(घ) यदि जांच अभी पूरी नहीं हुई है तो उसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :(क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथा शीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

केन्द्रीय सचिवालय केन्द्र सरकार के स्टेनोग्राफर ग्रेड II की अनुभाग अधिकारियत्र हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी-परीक्षा में बैठने हेतु पात्रता

1432. **श्री चन्द्रभाल मणी तिवारी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अनुभाग अधिकरियों को सिमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन निकल गया है और स्टेनोग्राफर ग्रड II को इसके लिए आवेदन पत्र भेजने के लिए पात्र नही माना गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सचिवालय के स्टेनोग्राफर (ग्रेड II की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए विद्यमान विनियमों के अन्तर्गत स्टेनोग्राफर ग्रेड II इस परीक्षा में बेठने के लिए पात्र नहीं है, अतः ऐसे स्टेनोग्राफरों को उस नोटीस के संबंध में शिकायत करने के लिए कोई आधार नहीं है जो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देता हैं ।

तृतीय वेतन आयोग की सिफारशों की जांच करते समय सीमा सुरक्षा दल की कल्याण निधी योजना को अन्य जगह लागु करने संबंधी अध्ययन करने का प्रस्ताव

1433. **श्री चन्द्रभान मागतवारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा दल महा-निदेशालय में अन्य जगहों पर सामान्य कल्याण योजना से बिल्कुल भिन्न कल्याण निधि योजना चालू है; और

(ख) तृतीय वेतन आयोग द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिशों की जांच करते समय क्या सरकार का विचार इसे योजना को अन्य जगहों पर लागू करने के संबंध में अध्ययन करने का है ।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सीमा सुरक्षा दल महानिदेशालय में एक कल्याण निधि/योजना है जो विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों की परोपकारी निधियों तथा कल्याण योजनाओं से, उद्देश्य जिसे ध्यान में रखकर इस का उपयोग होता है तथा इसकी आय के साधनों आदि में, पर्याप्त रूप से भिन्न है ।

(ख) सीमा सुरक्षा दल की कल्याण योजनाएं दल की विशेष समस्याओं तथा उसके कार्य की शर्तों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। ऐसी योजनाओं को अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गुजरात के प्रमुख नगरों में सूक्ष्म तरंग प्रणाली

1434. श्री. प्रभुदास पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय गुजरात के सभी प्रमुख नगरों में सूक्ष्म तरंग प्रणाली आरंभ किए जाने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली कब तक आरंभ कर दी जायेगी और उपयोग के लिए तैयार हो जायेगी तथा इस पर कितना व्यय होगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) I. 300 चैनल नैरो बेंड प्रणालियां :—

(1) अहमदाबाद–गांधी नगर में यह प्रणाली पहले ही चालू हो चुकी है ।

(2) राजकोट – जामनगर – गांधीधाम – भूज में इस प्रणाली की स्थापना हो रही है । आशा है कि यह मार्च 1974 तक तैयार हो जाएगी ।

II. 960 चैनल ब्राड बैंड प्रणालियां :—

(1) आशा है कि अहमदाबाद – रतलाम – इंदौर में यह प्रणाली मार्च 1976 तक तैयार हो जाएगी ।

(2) राजकोट – अमरेली – भावनगर अहमदाबाद
(3) भावनगर – बरोच – सूरत
} इनकी जांच हो रही है ।

III. 60 चैनल यू० एच० एफ० योजनाएं :—

अहमदाबाद नाडियाड और अहमदाबाद मैसाना } इनकी स्थापना का काम चल रहा है । आशा है वर्ष 1974–75 में ये तैयार हो जाएगी ।

इन योजनाओं पर कुल 6 करोड 50 लाख रुपये खर्च आने का अनुमान है ।

सरकार द्वारा अधिग्रहीत कपड़ा मिलों में हथकरघों के लिये धागे का उत्पादन

1435. श्री. भोगेन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कपडा निगम द्वारा अधिग्रहीत कपडा मिलों को हथकरघा के लिये धागे का उत्पादन करने के निदेश दिये जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): वे वस्त्र मिले, जिनका प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है, दूसरी वस्त्र मिलों की तरह से सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 13 मार्च 1973 को अधिसूचना के अनुसार धागे का उत्पादन करने के लिये बाध्य है ।

गुजरात को सीमेंट की अवश्यकता और उसकी सप्लाई

1436. श्री वैकारिया : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ने वर्ष 1973–74 के लिये सीमेन्ट की अपनी आवश्यकता बता दी है और यदि हां तो वह कितनी है;

(ख) वर्ष 1972–73 के दौरान गुजरात को कितनी सीमेन्ट सप्लाई की गई; और

(ग) इस अवधि के लिये उस राज्य की आवश्यकता कितनी थी ?

ओद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां, 31 लाख मी० टन ।

(ख) 1972–73 में करीब 13.70 लाख मी० टन (अप्रैल 72 से मार्च 73 तक) ।

(ग) वर्ष 1972–73 में राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया था ।

Dearness Allowance to the Workers of Mahalaxmi Mills Co. Ltd. Beawer Rajasthan

1437. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether the Mahalaxmi Mill Co. Ltd., Beawer (Rajasthan) is being run by the Government of India under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 since 1967;

(b) whether a special Tribunal of Rajasthan had given a decision on the 1st December, 1971 that the labourers working in fourteen textile mills of Rajasthan should be given dearness allowance of Rs. 42 instead of Rs. 35 being given at present and that 65 paise or 70 paise instead of 34 paise should be given as dearness allowance per point after the price index crosses 105 point mark;

(c) whether the workers of Mahalaxmi mill get only about Rs. 122 as their wages whereas the workers in other mills of Rajasthan are getting about Rs. 165; and

(d) if so, the action taken by the Central Government for removing the anomaly?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) and (d) The mills have been provided certain relief under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 in order to rehabilita te them. An *ad hoc* increase of Rs. 12 per month has, however, been sanctioned from 1st January, 1973. The workers are at present getting a total monthly wage of Rs. 143.

कनाडा तथा भारत के बीच चल रहे डालर घोटाले का पता लगाया जाना

1438. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत तथा कनाडा के बीच चल रहे डालर घोटाले का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पकडे गये व्यक्तियों के नाम क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

कनाडा द्वारा भारत को परमाणु रिएक्टरों के लिये कलपुर्जों की बिक्री

1439. **श्री. डी० बी० चन्द्र गोडा** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के विदेश मंत्री ने भारत को परमाणु रिएक्टरों के लिये कतिपय कलपुर्जों की बिक्री करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सुचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) कनाडा सरकार ने भारत सहित किसी भी देश को ऐसे रिएक्टरों में काम आने वाले उपकरणों तथा संघटकों को निर्यात करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है जो कनाडा को स्वीकार्य सेफगार्डों के अन्तर्गत नहीं आते है । इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए जहां तक सम्भव है वहां तक ऐसे उपकरणों का निर्माण देश में ही करने की व्यवस्था की जा रही है । संघटकों का निर्यात कुछ सीमा तक ऐसे देशों से करने की आवश्यकता पड सकती है जो उनकी सप्लाई करने के इच्छुक हों ।

दिल्ली में प्योर ड्रिंक्स का बंद होना

1440. **श्री. वनमाली पटनायक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मैसर्स प्योर ड्रिंक्स के प्रबंधकों द्वारा वहां का कार्य किन कारणों को लेकर बन्द किया गया ;

(ख) उन कारणों की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ग) इस मामले में क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) दिल्ली में हाल ही में प्योर ड्रिंक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के कार्य के बंद होने का कारण प्रमुखतया श्रमिक विवादि बताया गया था ।

(ख) और (ग) उपक्रम में श्रमिक विवाद का समाधान हो चुका है तथा कार्य भी शुरू हो गया है ।

वर्ष 1973-74 के दौरान भारतीय प्राचीन वस्तुओं का अनाधिकृत निर्यात

1441. **श्री. नवल किशोर सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान भारत की प्राचीन वस्तुओं के अनाधिकृत निर्यात के कितने मामलों की सूचना मिली तथा कितने मामले पकड़े गये ;

(ख) इस कार्य में अन्तग्रस्त तथा अब तक पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या तथा नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) उपरोक्त अवधिके दौरान देश के विभिन्न भागों में स्थित मंदिरों से कुल कितनी मूर्तियों के चुराये जाने पर समाचार मिले; और

(घ) इन मूर्तियों तथा प्राचीन वस्तुओं की चोरी तथा भारत और विदेशों में इनकी बिक्री को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री. एफ० एच० मोहसिन) : (क) भारतीय प्राचीन वस्तुओं के निर्यात का कोई मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सूचित नहीं किया गया था। किन्तु 1973 वर्ष के दौरान भारतीय प्राचीन वस्तुओं की तस्करी के प्रयास के दो मामले प्रकाश में आये हैं।

(ख) तथा (ग) विवरण अनुलग्नक I में संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा। गया देखिए संख्या एल० टी० 5267/73।**]

(घ) प्राचीन मूर्तियों और कलाकृतियों की चोरियों/तस्करी को रोकने के लिये विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा किये गये उपायों का एक विवरण अनुलग्नक II में संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5267/73।**]

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इलैक्ट्रानिक्स का विकास

1442. **श्री. एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इलैक्ट्रानिक्स के विकास के लिये प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बाते क्या हैं; और

(ग) प्रस्तावों को क्रियान्वित करने पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (ग) पाँचवीं योजना के दौरान इलैक्ट्रानिक्स के विकास हेतु प्रस्ताव योजना आयोग के विचारार्थ तैयार कर लिये गये हैं। इन प्रस्तावों में सम्मिलित हैं : उन कलापों सहित, जो मंत्रालयों जैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संचार मंत्रालय आदि के प्राथमिक दायित्व हैं, समूचा इलैक्ट्रानिक्स दृश्य, तथा अन्य क्षेत्र भी जो किसी दिष्ट मंत्रालय अथवा क्षेत्र की सीमा में तो नहीं आते, किन्तु इलैक्ट्रानिक्स को सन्तुलित व्यापक वृद्धि के लिये जिनकी महता है। जब तक सम्बद्ध मंत्रालयों एवं इलैक्ट्रानिक्स विभाग के साथ योजना आयोग की परिचर्चाएं पूर्ण नहीं होती, तब तक कुल इलैक्ट्रानिक्स योजना का कोई सुस्पष्ट रूप प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। सदन के सभा पटल पर रखी गयी। 1972-73 के लिये इलैक्ट्रानिक्स विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में आवेष्टित मापनी का संकेत दिया गया है अर्थात "पांचवीं योजना के दौरान 200-300 करोड़ रुपए कोटि के एक अर्थपूर्ण निवेश का परिणाम होगा : इस अवधि में लगभग 2,000 करोड़ का कुल उत्पादन, तथा इस समय मापनी के भीतर एक आत्म-निर्भर आधार।"

इलैक्ट्रानिक्स के विकास के लिए भारत-रूस करार

1443. **श्री. एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस भारत को इलैक्ट्रानिक्स के विकास के लिये सहायता देने पर राजी हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो रूस से इस सम्बन्ध में किस प्रकार की सहायता मिलने की आशा है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारतीय-सोवियत आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग आयोग समझौते, जिस पर फरवरी, 1973 में हस्ताक्षर किए गए थे, में इलैक्ट्रानिक्स क्षेत्र को सहयोग क्षेत्रों में से एक माना गया है।

(ख) आशा की जाती है कि, इस समझौते के परिणामस्वरूप, इलैक्ट्रानिक्स क्षेत्र में भारत और सोवियत युनियन के बीच दो तरफा व्यापार काफी बढ़ेगा । उपर्युक्त समझौते में उत्पादन सहयोग जिसमें भारत में रूस की सहायता से औद्योगिक उपक्रम स्थापित किए जा सकते हैं तथा उनके कुछ उत्पादन का रूस को निर्यात करने की , सम्भावनाओं की जांच की जा रही है ।

विभिन्न राज्यों में विज्ञान संग्रहालयों की स्थापना

1444. श्री. नारायण चन्द पाराशर : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में विज्ञान संग्रहालयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संग्रहालय केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किये जायेंगे अथवा राज्य सरकारों को इन संग्रहलायों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी ; और

(ग) केन्द्र राज्य सरकारों द्वारा इस समय चलाये जा रहे विज्ञान संग्रहालयों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) विभिन्न राज्यों में विज्ञान संग्रहालयों का विकास करने की योजनाओं का निरुपण किया जा रहा है ।

(ख) चूंकि ये योजनाएं अभी प्रारम्भिक स्थिति में हैं अतः कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा जोकि केन्द्र सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, निम्नलिखित विज्ञान और प्रोद्योगिकी संग्रहालयों की परिचालना की जाती है :

I बिडला औद्योगिक और प्रौद्योगिकी संग्रहालय, कलकत्ता (बी० आई० टी० एम०)

बी० आई० टी० एम० के क्षेत्र स्थल

(1) क्षेत्रीय विज्ञान संग्रहालय पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)

(2) क्षेत्रीय विज्ञान संग्रहालय, पो० आ० कोन्टाई, जिल्हा मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)

(3) क्षेत्रीय विज्ञान संग्रहालय पो० आ० रायल जिला पश्चिम दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल)

II. विस्वेस्वाराया औद्योगिक और प्रौद्योगिकी संग्रहालय, बंगलौर (वी० आई० टी० एम०)

बी० आई० टी० एम० का क्षेत्र स्थल—

क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र

गुलबर्गा

मैसूर राज्य ।

केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ गुजरात में माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी विधेयक

1445. श्री. प्रभुदास पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी विधेयक को केन्द्रीय सरकार को भेजा है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने अब तक अपनी अनुमति नहीं दी है; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अनेक स्मरणपत्र भेजे हैं; और यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री. एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) गुजरात माध्यमिक शिक्षा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिये 14 मार्च, 1973 को राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था। सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श में इस पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय

1446. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली में एक प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थापित करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा एक संग्रहालय कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री. सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने सैद्धांतिक रूप से राजधानी में एक प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना करने का निश्चय किया है। स्थाई संग्रहालय की स्थापना के लिये एक उचित स्थान, एक अच्छे भवन, प्रदर्शनीय वस्तुओं का संग्रह तथा उन्हें सजाने इत्यादि की आवश्यकता होगी जिसमें स्वाभाविकतया कई वर्ष लग जायेंगे। इस दृष्टिकोण से सरकार के ध्यान में एक अस्थाई संग्रहालय की स्थापना करने का विचार है।

तारापुर परमाणु बिजलीघर की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये गठित की गई समिति

1447. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रिड की सुरक्षा व्यवस्था तथा तारापुर परमाणु बिजलीघर की अन्य सम्बन्धित समस्याओं का अध्यन करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई है जिसमें महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, गुजरात बिजली बोर्ड टाटा बन्धुओं तथा परमाणु बिजली प्राधिकरण के प्रतिनिधि होंगे ;

(ख) क्या यह समिति परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के कहने पर गठित की गई थी ; और

(ग) इसका कार्य-क्षेत्र और कार्य क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) यह एक अनौपचारिक समिति है तथा इसका गठन निम्नलिखित विषयों पर सिफारिशें देने के लिए किया गया था :—

(1) सभी मुख्य उप-बिजलीघरों की सुरक्षा व्यवस्था की विगत कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए उसमें समन्वय स्थापित करना।

(2) सामान्य/असामान्य अवस्थाओं में इस व्यवस्था की विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए अपेक्षित परिवर्तनों तथा अतिरिक्त उपकरणों का पता लगाना।

(3) उन क्षेत्रों का निर्धारण करना जिनकी देखभाल निरन्तर करने की आवश्यकता है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा भारतीय उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांडों के अन्तर्गत बिक्री

1448. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कौन कौन सी विदेशी कम्पनिया भारतीय उत्पाद खरीदकर अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांडो के अन्तर्गत बेचती हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): यह स्पष्ट नही है कि अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांडो से वास्तविक क्या तात्पर्य है क्योंकि न तो इसकी परिभाषा दी गई है और न ऐसी कोई विशेष श्रेणी व्यापार तथा व्यापार मार्क अधिनियम में विद्यमान है ।

कुछ विदेशी कम्पनियों के नाम जो अपने ब्रांडो के अंतर्गत भारत में अन्य उत्पादन कर्ताओं के उत्पादों को बेचती हैं, निम्न प्रकार है :—

1. सिंगर स्युईंग मशीन कम्पनी ।
2. घीसबो पौंडस इंक ।
3. फायरस्टोन टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ इंडिया प्रा० लि०
4. युनियन कार्बायड इंडिया लि०
5. बाटा शू कम्पनी
6. कॉलगेट पामोलिव (इंडिया) प्रा०लि०

सदर बाजार, दिल्ली में साम्प्रदायिक उपद्रव उकसाने वाले इश्तिहार (पोस्टर) जारी करने के आरोप में दिल्ली जनसंघ के सचिव की गिरफ्तारी

1449. **श्री शशि भूषण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली जनसंघ के सचिव को ऐसे समय जब दिल्ली में साम्प्रदायिक उपद्रव उकसाने वाला इश्तिहार जारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जब कि दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में साम्प्रदायिक उपद्रव हो रहे थे;

(ख) यह इश्तिहार जिस प्रेस में छापा था उस प्रेस को दिये गये लाइसेंस को वापस लेने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई नया कानून लाने का विचार कर रही है ताकि न्यायपालिका के हाथ मजबूत किये जा सके और ऐसे साम्प्रदायिक्तावादियों को आसानी से रिहा न किया जाय ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जबकि एसे मामले प्रकाशित करने पर प्रेस को दिये गये लाईसेंस वापिस लेने के लिये प्रेस तथा राजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट, 1867 के अधीन कोई प्रावधान नहीं है, उस प्रेस का प्रबन्धक को जिस पर उक्त इश्तहार छापने का आरोप है इश्तहार जारी करने के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-ए/ 505 के अधीन दर्ज किये गये मामले में गिरफ्तार किया गया था । मामले की जांच पडताल जारी है ।

(ग) धारा 153-ए/505 के अधीन अपराधों में जमानत नहीं होती । ऐसे अपराधों में जमानत स्वीकार करने के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के प्रावधान लागू होंगे । सदन दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के लिये विधेयक के प्रावधानों से अवगत है । अन्य कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

Construction of an open Jail in Delhi

1450. Shri D.B. Chandra Gowda : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct an open jail in Delhi;

(b) if so, by what time; and

(c) the capacity of the jail and the expenditue to be incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin). (a) The Government are still considering the feasibility of having an Open Jail in Delhi.

(b) & (c) do not arise at this stage.

Central Assistance for Development Scheme in Madhya Pradesh

1451. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the total expenditure proposed to be incurred on the development schemss of Madhya Pradesh during 1973-74 and the extent of Central assistance therein;

(b) whether any cuts have been effected in the Central assistance to Madhya Pradesh for their schemes during 1972-73 as compared to that given during 1971-72; and

(c) if so, the extent thereof?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Planning Commission has approved an outlay of Rs. 145.72 crores for the State Annual Plan 1973-74 for the financing of which an amount of Rs. 60.39 crores has been intimated as Central assistance.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

भारत रक्षा नियमों के अधीन हिरासत में लिये गये व्यक्ति

1452. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत रक्षा नियमों के अधीन विभिन्न राज्यों में कितने व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है ; और

(ख) क्या उन्हे मुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) किसी व्यक्ति को भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द नहीं किया जा सकता । किसी व्यक्ति को केवल आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अधीन नजरबन्द किया जा सकता है ।

उत्तर प्रदेश में पी० सी० एस०/गैर पी० सी० एस० पदाली के सब-डिवीजनल अधिकारी

1453. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में काम कर रहे उन सब-डिवीजनल अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनकी भर्ती पी० सी० एस० की नियमित पदाली में नहीं की गई थी ; और

(ख) सीधे पी० सी० एस० के कितने अधिकारियों को सब-डिवीजनल अधिकारियों के रूप में कार्य करने का अवसर नहीं दिया गया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 129 ।

(ख) पी० सी० एस० में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों को सर्वप्रथम आफीसर्स ट्रेनिंग स्कूल, नैनीताल में प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद उन्हें जिलों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। उनके द्वारा पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेने और उन्हें सहायक कलेक्टर एवं मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान कर देने के बाद ही सब-डिवीजनल अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस समय आफीसर्स ट्रेनिंग स्कूल में 44 पी० सी० एस० अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और 43 अधिकारियों को जिलों में प्रशिक्षण के लिए भेजा हुआ है। ज्यों ही वे अपना प्रशिक्षण का कार्य पूरा कर लें और उन्हें सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान कर देने के बाद ही सब डिवीजनल अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा ।

संगीत और फिल्म निर्माण के क्षेत्रों में अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता

1454. **श्री भान सिंह भौरा :**

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान ने भारत से संगीत और फिल्म निर्माण के क्षेत्रों में सहायता मांगी है ;

(ख) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में आवश्यक सहायता देना मान लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो अफगानिस्तान को कैसी और कितनी सहायता दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग): वर्ष 1973 और 1974 के लिए भारत और अफगानिस्तान की सरकारों के बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक और वैज्ञानिक सहयोग के कार्यक्रम, जिस पर 2-4-1973 को हस्ताक्षर हुए थे, के अन्तर्गत भारत, संगीत (सारंगी, सितार, सरोद और शहनाई) के चार विशेषज्ञ भेजेगा जो अफगानिस्तान में स्थापित 'स्कूल आफ म्यूजिक' में अध्यापन कार्य करेंगे। भारत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक यन्त्र उपलब्ध करेगा। भारत अफगानिस्तान को चलचित्र और संगीत सहित अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में कुल मिला कर 30 छात्रवृत्तियां भी प्रदान करेगा ।

विभिन्न राज्यों में तकनीकी शिक्षाप्राप्त व्यक्तियों के क्षेत्र में राज्यों की तुलनात्मक स्थिति का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया अध्ययन

1455. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) विभिन्न विषयों, अर्थात् इंजीनियरिंग, चिकित्सा तथा अन्य तकनीकी तथा जानकारी संबंधि विषयों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की गत दो वर्षों में राज्य-वार तुलनात्मक स्थिति क्या है ;

(ख) क्या स्टेट्समैन दिनांक 19 जून, 1973 के कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित समाचार के अनुसार, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार पश्चिम बंगाल अन्य अनेकराज्यों से इंजीनियरिंग तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे है ; और

(ग) यदी हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) 1971 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिक विभाग ने अप्रैल, 1971 तक के भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले तकनीकी योग्यताप्राप्त कार्मिकों की संख्या का अनुमान लगाया था । इंजीनियरों, तकनीकीविदों, चिकित्सकों एवं कृषि कार्मिकों की संख्या को राज्यानुसार दर्शाता हुआ एक अनुमानित विवरण संलग्न है । **(ग्रंथालय मे रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 526/73)**

राज्यानुसार इन कार्मिकों की संख्या का 1972 एवं 1973 के वर्षों के लिए कोई अध्ययन नहीं किये गया है ।

(ख) सी० एस० आई० आर० द्वारा विभिन्न राज्यों में तकनीकी योग्यता प्राप्त कार्मिकों का अध्ययन केवल उनकी संख्या के अनुमान के लिए किया गया था, न कि राज्यों में उनकी तकनीकी योग्यता की स्थिति के लिए । तथापि, अध्ययन से यह प्रकट होता है कि अप्रैल, 1971 में पश्चिमी बंगाल में, उस समय अन्य राज्यों के मुकाबले, विभिन्न श्रेणी के तकनीकी कार्मिकों की संख्या कम थी ।

(ग) किसी एक राज्य में एक विशिष्ट समय पर इंजीनियरी और तकनीकी कार्मिकों की कुल संख्या मुख्य रूप से राज्य की कुल जनसंख्या, शैक्षणिक संस्थाओं की क्षमता, औद्योगिक उन्नति की स्थिति रोजगार के अवसरों की स्थिति, योग्यताप्राप्त कार्मिकों के पुनर्वितरण और कार्यक्षमता पर प्रभाव करने वाले सामाजिक-आर्थिक तथ्यों पर निर्भर करेगी । अत: एक राज्य विशेष में तकनीकी कार्मिकों की संख्या को निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में विकास या पिछड़ेपन का सूचक नहीं कहा जा सकता ।

बिहार के भोजपुर जिले के चौरा गांव में हरिजनों तथा भूमिहीन श्रमिकों की हत्या की जांच करने के लिए केन्द्र से बीहार को भेजा गया अधिकारियों का दल

1456. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 6 मई को बिहार के भोजपुर जिले के चौरा गांव में हरिजनों और भूमिहीन श्रमिकों की हत्या के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की जांच करने के लिए केन्द्र से बिहार को अधिकारियों का एक दल भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) इस संबंध में दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) : बिहार सरकार ने पटना डिवीजन के आयुक्त को उस घटना की जो जिला भोजपुर, थाना सहर, गांव चौरा में 6 मई, 1973 को घटी थी विस्तृत जांच करने के आदेश दिए थे । पटना डिवीजन के आयुक्त द्वारा की गई जांच में केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी सम्बद्ध किया गया था । जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को दी गई थी । राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने घटना की न्यायिक जांच कराने का निर्णय किया है । इस लिए अधिकारियों के दल द्वारा की गई प्राथमिक जांच के निष्कर्ष को इस स्तर पर प्रकट नहीं किया जा रहा है ।

ट्राम्बे की रेडियोलाजिकल लेबोरेटरी में रेडियोफार्मास्युटिकल्स का उत्पादन

1457. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे स्थित रेडियो-फार्मास्युटिकल्स का निर्माण करने वाली रेडियोलाजिकल लेबोरेटरी में विखंडन उत्पादों, प्लूटोनियम तथा अन्य समस्थानिकों (आइसोटोप्स) सहित गैर-रेडियो फार्मास्युटिकल्स का भी निर्माण होता है, जिनमें से कुछ नशीले पदार्थ हैं ;

(ख) क्या यह निर्माण की स्वस्थ प्रक्रियाओं के विरूद्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो त्रुटि को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) रेडिय-भेषजों के क्षेत्र को यथासम्भव पृथक रखने का भरसक प्रयास किया जाता है तथा पृथक क्षेत्रों में उत्पादन पर सख्त निगरानी रखी जाती है और उत्पादों की क्वालिटी को उत्कृष्ट बनाये रखने के उद्देश्य से क्वालिटी कंट्रोल सम्बन्धी प्रविधियों का समुचित पालन किया जाता है । नशीली किस्म के गैर-रेडिय-भषज पदार्थों से हो सकने वाले संदूषण को रोकने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जाती है ।

पांचवीं पंचवर्षिय योजना में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं को हटाना

1458. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में पड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में किन उपायों की व्यवस्था की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाण ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमति इंदिरा गांधी) : चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा करने में जो बाधायें सामने आई हैं वे मुख्यत: विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल (जैसे मिश्र धातु स्टील, विशेष किस्म का स्टेनलेस स्टील) का उपलब्ध न होना, जटिल किस्म के उपकरणों का उपादन तथा उनकी सप्लाई करने से सम्बन्धित विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति का भारतीय उद्योगों द्वारा न किया जा सकना वर्तमान परिवहन तथा यातायात प्रणालियों आदि का आवश्यकता के अनुरूप न होना आदि जैसे ऐसे मामले हैं जिन्हें दूर करने के लिए विभिन्न संगठनों तथा प्राधिकरणों को मिल जुल कर काम करना होगा । इस कारण इन बाधाओं को दूर करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष उपाय शामिल नहीं किया गया है, तथापि ऐसी बाधाओं को यथासम्भव दूर करने का प्रयत्न लगातार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये किये गये उपाय

1459. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री शशि भूषण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कुछ कठोर उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में व्यापक आचरण और अनुशासन संबंधी नियम बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा **(ख)** भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान को तेज़ करने के उद्देश्य से मंत्रालयों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा सतर्कता संगठनों को मजबूत किया गया है। लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक भी जो अभी संसद के समक्ष है, बुराइयों का प्रतिरोध करने की दृष्टि से पेश किया गया एक अन्य उपाय हैं।

सतर्कता तथा भ्रष्टाचार विरोधी कार्य के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम भी बनाया गया है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें देरी को रोकने के लिए, कतिपय सूग्राही (सेन्सीटिव) विभागों में, अचानक जांच तथा तेजी से कार्रवाई करने का कार्य भी शामिल है।

भ्रष्टाचार-निरोध समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण तथा अनुशासनिक नियमों को भी क्रमश: वर्ष 1964 तथा 1965 में संशोधित किया गया है।

देश में बिजली और ईंधन के लिए योजना

1460. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बिजली और ईंधन के आयोजन के लिए सभी एजेंसियों को मिला कर एक एजेंसी बनाने का है; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या देश के आर्थिक विकास में बिजली और ईंधन महत्वपूर्ण पहलू हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

पांचवीं योजना के लिए प्रावधान में कमी

1461. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना के लिए वित्तीय प्रावधान में कमी करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उक्त कमी से प्रस्तावित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर जिसमें उत्पादन प्रधान योजना पर जोर दिया गया है, और समाज के कमजोर वर्गों पर जिनके लिये उक्त कार्यक्रम तैयार किया गया है, प्रभाव पड़ेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) पांचवीं योजना के संसाधनों की स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए योजना आयोग ने संसाधन कार्यकारी दल का पुनर्गठन किया है। पुनरीक्षण के दौरान पूर्व प्रयास के पश्चात् हुए विभिन्न विकासों पर भी विचार किया जायेगा। इस बात का उल्लेख पांचवीं योजना के दृष्टिकोण दस्तावेज में किया जा चुका है। दल को अभी अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। परिव्ययों में किसी प्रकार के समायोजन पर रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जायगा। कोई भी आवश्यक समायोजन करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि योजना के मूल उद्देश्यों तथा नीति पर किसी प्रकार का कुप्रभाव न पड़े।

बाल फिल्म सोसायटी को भंग करना और इसके कार्यकरण की जांच

1462. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :**

श्री बक्शी नायक :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की बाल फिल्म सोसाइटी को भंग कर दिया गया है ; यदि हां, तो क्यों ;

(ख) उक्त सोसायटी के निर्देशक या बोर्ड-सदस्य कौन-कौन थे ; और

(ग) क्या इसके कार्यकरण की जांच कराई गई है; यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) बाल फिल्म सोसाइटी के न कोई निदेशक है और न ही बोर्ड के सदस्य। तथापि, 21 अप्रैल 1973 को सोसाइटी की कार्यकारी परिषद के सदस्य इस प्रकार हैं :—

1. श्री ए० जी० किदवाई, सचिव, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय . . अध्यक्ष
2. श्री जगत मुरारी, अपर कन्ट्रोलर-कम-अपर मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, बम्बई . } सदस्य
3. श्री ए० के० सेन, संयुक्त सचिव, वित्त मन्त्रालय . . . . } सदस्य
4. श्री बी० के० करंजिया, अध्यक्ष, फिल्म वित्त निगम, बम्बई . . . } सदस्य

(ग) जी, हां। रिपोर्ट से सोसाइटी के बम्बई स्थित कार्यालय में कुव्यवस्था प्रकाश में आई।

उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सशस्त्र पुलिस द्वारा गडबडी में शामिल उच्च अधिकारियों पर मुकदमा न चलाया जाना

1463. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सशस्त्र पुलिस की गड़बड़ी के सिलसिले में कुल कितने व्यक्ति जेलों में है, भागे हुए हैं और सेवा से मुअत्तिल या बर्खास्त कर दिए गए हैं ;

(ख) क्या उच्च अधिकारियों या उनके चम्चों के विरुद्ध मुकदमें नही चलाये जा रहे हैं अथवा विभागिय कार्यवाही नही की जा रही और यदि हां, तो क्यों ; और

(ग) क्या केन्द्र ने उक्त पुलिस को निशस्त्र करने के अनुदेश दिए थे ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जेल में रखे गये पुलिस कर्मचारियों की कुल संख्या 783 है, तीन कर्मचारी अभी भी फरार हैं । अब तक 80 पुलिस कर्मचारियों को पदच्युत किया गया है ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार हाल में उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों में गम्भीर अनुशासनहीनता के का र्यों के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की दृष्टि से सभी स्तरों के निरीक्षक अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कदम उठा रही है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमन् ।

बम्बई में स्कूलों में वन्दे मातरम् का गायन

1464. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री 25 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8131 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई में वन्दे मातरम् के अनिवार्य गायन के पक्ष और विरोध में भावनाएं उभारने के क्या कारण थे और दोनों पक्षों द्वारा साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने धार्मिक भावनाओं के कारण 'वन्दे मातरम्' गान गाये जाने के लिये आपत्ति की थी । इससे लोगों के अन्य वर्ग ने विरोध किया जिसके परिणामस्वरूप विरोध न साम्प्रदायिक रूप धारण कर लिया । राज्य सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिये उपयुक्त कदम उठाये थे ।

एक राष्ट्रीय आर्थिक आसूचना एजेंसी की स्थापना

1465. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न आर्थिक आसूचना एजेंसियों की गतिविधियों में तालमेल बिठाने के लिये राष्ट्रीय आर्थिक आसूचना एजेंसी बनाने की व्यवहार्यता पर विचार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के पास विचाराधीन नहीं है ।

केवल पिछडे हुए क्षेत्रों के लिये कुछ उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस दिया जाना

1466. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लाइसेन्स जारी करने में सरकार का कोई ऐसी शर्त लगाने का विचार है कि केवल पिछड़े हुये क्षेत्रों के लिये ही कुछ उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) तथा (ख) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था अपने आप में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं होगी जब तक कि आवश्यक अवस्थापनों के समेत उद्योगों की स्थापना हेतु

पूर्वापेक्षाएं पिछड़े क्षेत्रों में उपलब्ध न हो। अतः सरकार राज्य सरकारों के द्वारा पर्याप्त अवस्थापन संबंधी सुविधाओं के प्रावधान की आवश्यकता पर बल देती रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने पिछले क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कतिपय प्रोत्साहन योजनाओं की भी घोषणा की है। लाइसेंसिंग संबंधी निर्णय लेते समय पिछड़े क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता को बराबर ध्यान में रखा जाता है। ऐसे उद्योगों के विषय में, जिनके लिए स्थान सम्बन्धी कोई बाध्यता नहीं, सामान्यतः इस बात पर विचार किया जाता है कि क्या उद्यमी को क्षेत्र में जाने के लिए कहा जा सकता है और उपयुक्त प्रकरणों में इस तरह की शर्त भी लगा दी जाती है।

भडोच (गुजरात) का विकास

1467. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने भड़ौच जिले में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिये कुछ योजनाएं उनकी अनुमति और वित्तीय सहायता के लिये भेजी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उन जिले में अधिक उद्योग स्थापित करने के लिये राज्य सरकार को सहायता देने के बारे में सहमत हो गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गुजरात सरकार से इस प्रकार की कोई योजना न तो योजना आयोग को और न इस मंत्रालय को प्राप्त हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्योग लगाने के लिए ऋण लेने वाले छोटे उद्योगपतियों का लापता हो जाना

1468. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे 200 से अधिक छोटे उद्योगपति, जिन्हें सरकार ने ऋण दिए थे, बिना ऋण लौटाये लापता हो गए हैं ;

(ख) क्या उन्होंने उद्योग स्थापित नहीं किए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे किसी व्यक्ति और पार्टी को लघु उद्योग स्थापित करने के लिये ऋण नहीं दिया जाता है। किन्तु लघु उद्योग स्थापित करने के लिये ऋण राज्य सरकारों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों द्वारा उनके राज्य सहायता उद्योग अधिनियम के अधीन दिया जाता है। उद्योगपतियों द्वारा राज्य सरकार/केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों से ऋण प्राप्त करके लगाये जाने वाले उद्योगों की सम्बन्धित सरकारों द्वारा देख रेख की जाती है तथा जहां आवश्यक होता है सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है।

आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिशत की पिछडे क्षेत्रों के बारे में सर्वेक्षण रिपोर्ट

1469. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान के सर्वेक्षण के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों का विकास वहां पर्याप्त मूलभूत आवश्यक सुविधाएं जुटाये बिना संभव नहीं है ;

(ख) क्या उक्त सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के आकर्षण स्वरूप वर्ष 1973-74 के बजट में प्रस्तावित प्रोत्साहन योजनाओं से भी कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी यदि अग्रिम कार्यवाही स्वरूप मूलभूत आवश्यक सुविधाओं का विकास न किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो उनका मंत्रालय इस मत से कहां तक सहमत है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी हाँ। (ग) भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए उपयुक्त अवस्थापना सुविधायें देने की महत्ता से अवगत है और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने के विचार से उपयुक्त अवस्थापना के विकास की आवश्यकता के बारे में राज्य सरकारों को निरन्तर बताती रहती है ।

डाक से भेजी गई वस्तुओं के चोरों की गतिविधियां

1470. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई, 1973 के 'स्टेट्समैन' में "गैंग आफ पोस्टल थीव्स एट वर्क" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उक्त चोरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) ऐसी शिकायतें मिली हैं कि गैर-रजिस्ट्री पत्रों में से, जिनमें विदेशी पत्र भी शामिल हैं, चेक, बैंक ड्राफ्ट इत्यादि निकाल लिए जाते हैं । साधारण पत्रों की संख्या प्रतिदिन करीब 60,000 होती है । ये कब किस-किस जगह से हो कर जाते हैं इस बारे में कोई रेकार्ड रखना संभव नहीं है । इसलिए कभी भी इस बात का पता लगाना संभव नहीं कि उपर्युक्त अन्तर्वस्तुएं किस स्थान पर निकाली जाती हैं ।

तथापि जब भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी सावधानी से जांच-पड़ताल की जाती है। जिन मामलों में आवश्यक सबूत मिल जाते हैं, उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई की जाती है । साथ ही जिन स्थानों पर ऐसी घटनाएं होने की आशंका रहती है वहां निगरानी और सतर्कता के उपाय भी मजबूत कर दिए गए हैं । एक प्रेस नोट के जरिए आमजनता से यह भी निवेदन कर दिया गया है कि विदेशों में रहने वाले अपने उन संबंधियों को, जो उनसे पत्राचार करते हैं, यह सलाह दें कि वे बैंक ड्राफ्ट, चेक वगैरह सिर्फ रजिस्ट्री डाक से भेजा करें ।

स्वतंत्रता सेनानिओं को पेन्शन दिअे जाने के बारे में आवेदन पत्रों का शीघ्र निपटान

1471. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :

श्री वसंत साठे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन दिये जाने के बारे में आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिये सरकार ने क्या अतिरिक्त कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लिये आवेदन पत्र देने के पश्चात् मृत्यु हो चुकी है; और

(ग) उनके परिवार के सदस्यों को शीघ्र पेंशन दिये जाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) शीघ्र निपटान के लिये सरकार ने स्टाफ में और वृद्धि की है तथा एक अलग कार्यालय स्थापित किया गया है। 31-3-73 तक प्राप्त सभी मामलों, जिनकी संख्या लगभग 1.28 लाख है, की 14 अगस्त तक जांच पूरी करने के प्रयास किये जा रहे हैं तथा उन मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है जिन्हें पात्र पाया गया है। यदि समय हुआ तो 31-3-73 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच भी 14-8-73 से पहले की जायेगी अन्यथा, इसके तुरन्त बाद उनकी जांच होगी। इस समय आवेदन-पत्रों की क्रम से जांच तथा निपटान किया जा रहा है अर्थात् आवेदनपत्रों की प्राप्ति तिथि के अनुसार। किन्तु आवेदनपत्रों पर क्रम से पहले भी विचार किया जाता है यदि स्वतंत्रता सेनानी बहुत वृद्ध है (80 वर्ष से ऊपर वालों को पहली प्राथमिकता, 70 वर्ष से ऊपर दूसरी प्राथमिकता) या बहुत बीमार हैं और जिन्हें शीघ्र आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। साधनहीन विधवाओं के बारे में भी प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है। सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों से प्राप्त जिन मामलों में राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र विशेष विचार आदि के लिये सिफारिश करती है तो उन पर भी शीघ्र कार्यवाही की जाती है।

(ख) और (ग) स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु की कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ऐसे मामलों में सूचना मिलने पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को शीघ्र पेंशन स्वीकृत की जाती है।

केरल में टिटेनियम उद्योग समूह

1472. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **परमाणुऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में टिटेनियम उद्योग समूह की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) यदि टाइटेनियम सम्मिश्र का तात्पर्य टाइटेनियम डायआक्साइड पिगमेंट संयंत्र अथवा टाइटेनियम धातु संयंत्र से है तो ऐसे सम्मिश्र स्थापित करने की कोई योजना परमाणु ऊर्जा विभाग की नहीं है। तथापि, इल्मेनाइट का विद्युत संगलन कर के टाइटेनियम धातु से समृद्ध गाद तथा कच्चा लोहा तैयार करने वाले एक प्रायोगिक निर्देशक संयंत्र की स्थापना करने की सम्भावनाओं का अध्ययन परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रविधि को तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर, यह सम्भव हो सकेगा कि बाद में बड़े पैमाने पर विद्युत संगलन करने वाला एक संयंत्र लगाया जा सके।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशकों द्वारा की गई अनियमितताएं

1473. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशकों द्वारा कुछ अनियमितताएं की गई हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी इस सम्बन्ध में चेतावनी देने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो की गई अनियमितताओं की मुख्य बातें क्या हैं और इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) सरकार जांच समिति की सिफारिशों के अनुसरण में महा-निदेशक (सतर्कता) की नियुक्ति की गई थी जिसने अपनी जांच के आधार पर पाया है कि कतिपय नियुक्तियों /पदोन्नतियों के मामलों में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) द्वारा प्रेषित स्थाई निर्देशनों और उप-नियमों में दिए गए नियमों और सिद्धांतों का कुछ संस्थानों द्वारा पालन नहीं किया गया ।

(ख) जी, नहीं । फिर भी, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इस संबंध में चेतावनी प्रेषित करने के लिये सी० एस० आई० आर० को परामर्श प्रदान की है ।

(ग) जैसा कि उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट है, सी० एस० आई० आर० (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) द्वारा प्रेषित स्थाई निर्देशनों और उपनियमों में दिये गये नियमों का पालन न करना मुख्य रूप से प्रशासनिक अनियमितताओं से संबंधित हैं । जहां पर अनियमितताएं साधारण स्वरूप की है, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह संबंधित निदेशकों की जानकारी में लाई जा चुकी है अथवा लाई जा रही है । दो अन्य मामलों की विभागीय जानकारी विचाराधीन है । एक अन्य निदेशक के मामले में जिसे पहले ही उसके राज्य सरकारीय पुराने विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है, के संबंधित कागज़ात उसी सरकारी विभाग के पास अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दिये गये हैं ।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों का बन्द होना

1474. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उन 234 औद्योगिक एककों के बारे में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जोकि उस राज्य में अभी तक बन्द पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार सावधिक रूप से राज्य में बन्द पड़े एककों की संख्या के बारे में जानकारी देती रही है । विशेष एककों के बारे में समय समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं और उनकी उपयोग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबंधों के आधार पर जांच की जाती है ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्र में विदेशी तकनीशन

1475. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री पांचवीं योजना में विदेशी तकनीकी जानकारी के आयात के बारे में 28 फरवरी, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 127 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में क्रमश: इस समय नियुक्त विदेशी तकनीशनों की कुल संख्या कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : जारी की गयी सार्वजनिक सूचना तथा उन सभी फर्मों को, जिन्होंने पहले विवरणियां प्रस्तुत की थी । और बाद में भेजे गए अनुस्मारकों के प्रत्युत्तर में कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों के अनुसार, 1 जनवरी, 1972 तक सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में कुल 2,000/- रु० से अधिक मासिक परिलब्धियां प्राप्त करने वाले

तथा अपने पारिश्रमिकों पर आयकर के भुगतान से छूट/रियायत का लाभ उठाने वाले 534 अल्पकालीन विदेशी टेक्नीशियन लगे हुए थे। गैर-सरकारी क्षेत्र (विदेशी तथा भारतीय कम्पनियों) में लगे ऐसे अल्पकालीन विदेशी टेक्नीशियनों की संख्या 211 थी ।

पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने हेतु उड़ीसा में स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

1476. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने के लिए 1972-73 और 1973-74 के दौरान उड़ीसा में स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान के रूप में कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) यदि हां, तो इस अनुदान की राशि को प्राप्त करने वाले संगठनों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन्होंने क्या कार्य किया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का संबंध है, एक विवरण संलग्न है । उड़ीसा सरकार द्वारा दिये गये सीधे अनुदान के संबंध मे सूचना उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

1972-73 तथा 1973-74 के दौरान, विशेष योजनाओं के लिये उड़ीसा में गैरसरकारी संगठनों को दिये गये अनुदान का विवरण

क्र० संख्या	गैर सरकारी संगठन का नाम	किया गया कार्य	दिया गया अनुदान	
			1972-73	1973-74
			रुपये	रुपये
1	रामाकृष्ण मिशन आश्रम, पुरी	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित 60 लड़को के लिए एक होस्टल चलाना ।	76,300	48,650 रूपये के स्वीकृत अनुदान से 24,325 रुपये दिये गये हैं ।
2	थक्कर बाप्पा आश्रम, नमखंडी	(I) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये एक होस्टल का चलाना । (II) छुआछूत निवारण के लिये प्रचार । (III) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का उत्थान ।	20,000	अनुदान का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

ठेकेदारों द्वारा जनजातियों के शोषण को रोकने के लिये विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों की सहायता हेतु उड़ीसा सरकार को धनराशि

1477. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972-73 और 1973-74 में उड़ीसा को कोई धनराशि दी गई थी ताकि वह ठेकेदारों द्वारा जनजातियों के शोषण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों को सहायता दे सके;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गई और उड़ीसा में किन-किन स्थानों को दी गई ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु उड़ीसा में पुरी जिले के दुप्पाल्ला, कानिया और न्यूगान ब्लाकों को, जहां जनजातियों के लोगों का जमाव है कोई सहायता दी गई थी ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान। केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारिता योजना के लिये कुछ राशियां स्वीकृत की गई थीं ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

अधिकांश रुप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्रों में पेय जल, कुओं, पम्पों तथा छोटे तालाबों की व्यवस्था हेतू उड़ीसा सरकार को राजसहायता

1478. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन स्थानों अथवा क्षेत्रों में जिनमे अधिकांश रुप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग बसे हुए हैं, पेय जल, कुओं, पम्पों तथा छोटे तालाबों की व्यवस्था हेतु गत तीन वर्षों मे उड़ीसा को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई राजसहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में यह योजना उड़ीसा के किन क्षेत्रो में क्रियान्वित को गई है ?

गृह मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) उड़ीसा सरकार ने गत तीन वर्षों में राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को 'पेय जल सप्लाई' की योजना पर निम्नलिखित राशि खर्च की :—

वर्ष	अनुसूचित जातियां (रु० लाख में)	अनुसूचित जन-जातियां (रुपये लाख में)
1970-71	0.45	0.41
1971-72 . . .	1.60	1.50
1972-73 (अनुमानित)	1.50	1.50

इस योजना पर खर्च केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है । राज्य क्षेत्र के अधीन योजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रतिवर्ष खण्ड अनुदान व खण्ड ऋण रुप में दी जाती है ।

केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम के अन्तर्गत इस योजना के लिए राज्य सरकार को कोई केन्द्रीय सहायता स्वीकृत नहीं की गई थी ।

(ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में एजेंसी प्रणाली का अपनाया जाना

1479. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने किराया खरीद योजना को सीधे संचलित करने की पद्धति को त्याग कर उनके स्थान पर एजेंसी प्रणाली अपनाने का निर्णय दिया है ;

(ख) नई प्रक्रिया की रुपरेखा क्या है तथा इस नई प्रणाली से आयोग को क्या लाभ होने की सम्भावना है ; और

(ग) किन राज्यों ने राज्य लघु उद्योग निगम को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के एजेंट के रूप में विमुक्त किये जाने के बारे में अपनी इच्छा व्यक्त की है तथा किन राज्यों ने इस बारे में अनिच्छा व्यक्त की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) से (ग) यह विषय सरकार के विचाराधीन है ।

बिहार के पालामऊ जिले के गारवा सब डिवीजन के रांका और बमड़रियां ब्लाकों में प्रचलित सौकिया प्रथा

1480. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के पालामऊ जिले के गरवा सब डिवीजन के रांका और बमड़रिया बलाकों में प्रचलित सौकिया प्रथा का पता है जिसके अन्तर्गत स्वतंत्र भारत में सामंती दासता की प्रथा विद्यमान है ; और

(ख) इस प्रथा की विशेषताएं क्या हैं तथा दासता की इस प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) बिहार सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि सौकिया प्रथा, बद्धक श्रम की एक किस्म, पालामऊ जिले के रांका ब्लाक में प्रचलित है तथा उसी जिले के बमड़रिया ब्लाक में कुछ कम रूप में प्रचलित है ।

(ख) इस प्रथा के अधीन गरीब आदिवासी तथा हरिजन श्रमिक जो विभिन्न परम्परागत उत्सव मनाने के लिये अथवा आर्थिक संकट के समय महाजनों से नकद अथवा वस्तु के रूप में कर्ज ले लेते हैं और कर्ज अदा करने मे असमर्थ होते हैं, एक बद्धक श्रमिक के रूप मे महाजनों के गुलाम हो जाते हैं । वे कर्ज अदा किये जाने तक महाजनों के फार्म पर श्रमिक के रूप में काम करने को बाध्य होते हैं । ये बद्धक श्रमिक तथा उनके परिवारों के सदस्यों को महाजन अपर्याप्त मजदूरी देते हैं । राज्य सरकार ने बिहार महाजन (आचार संहिता विनियम) (संशोधन) अध्यादेश 1972 अधिनियमित किया है । विनियम के अनुसार कर्जदार से उसके द्वारा उधार दी गई राशि की दुगनी राशि से अधिक (मूल तथा ब्याज समेत) राशि वसूल करना महाजन के लिए वैध नहीं है । आगे, महाजनों के पंजो से हरिजनों तथा आदिवासियों को छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से पालामऊ जिले में खाद्य भंडार चलाने समेत विभिन्न कल्याणकारी उपाय किये जा रहे हैं । बिहार सरकार भी समस्या की सीमा का मूल्यांकन करने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण कर रही है ताकि सुधारात्मक उपायों द्वारा हल किया जा सके ।

दिल्ली में सीमेंट की कम सप्लाई के कारण निर्माण गतिविधियों की धीमी गति

1481. **श्री बन्सी नायक :**

श्री सरजू पांडे :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट की सप्लाई में कमी के कारण देश के विभिन्न भागों में सरकारी तथा औद्योगिक परियोजना सहित गृह निर्माण गतिविधियों की गति धीमी पड़ गई है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : सम्भव है कि हाल ही में कुछ समय पहले विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा की गई बिजली में अत्यधिक कटौती, कोयले की अपर्याप्त उपलब्धि तथा कुछ कारखानों में मजदूरों की हड़ताल आदि के कारण कुछ सीमा तक सरकारी तथा औद्योगिक परियोजनाओं सहित गृह निर्माण संबंधी कार्यों पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो तो भी उत्पादन के 70 प्रतिशत भाग को पहले से ही सरकारी विकासों, सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं तथा अन्य संगठित उद्योगों और अधिक खपत वालों के लिये निर्धारित करके इस प्रभाव को बल से कम किया गया है। उत्पादन का शेष 30 प्रतिशत भाग ही जनता में बहुत कम से बेचे जाने की अनुमति दी गई है। विकास एवं औद्योगिक परियोजनाओं तथा गृह निर्माण संबंधी कार्यों में से केवल गृह निर्माण को निम्न प्राथमिकता दी गई है।

अराकान पहाडियों के जंगलों में छापामार युद्ध का प्रशिक्षण पा रहे मिजो

1482. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे समाचार मिले हैं कि अराकान पहाडियों के जंगलों में मिजो छापा मार युद्ध का प्रशिक्षण ले रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता

1483. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में कुछ औद्योगिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) और (ख) राज्यों को केन्द्रीय सहायता का नियतन क्षेत्रों या योजनाओं/कार्यक्रमों के आधार पर न

किया जाकर वार्षिक योजना के आधार पर एकमुश्त अनुदानों और ऋणों के रूप में किया जाता है। पश्चिम बंगाल की वार्षिक योजना 1973–74 के लिये योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है :—

अन्तिम रूप से स्वीकृत योजना का आकार	(करोड़ रुपयों में) केन्द्रीय सहायता	राज्य के अपने स्रोत
91.86	50.89	40.95

दिल्ली में चोरी की घटनाएं

1484. श्री सतपाल कपूर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, जून और जुलाई, 1973 के महीनों में दिल्ली में चोरी की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन से चोरी की अधिकांश घटनाओं की रिपोर्ट आई है ;

(ग) कितने मामलों में चोरों को पकड़ा गया है और अन्य मामलों में चोरों के न पकड़े जाने के कारण क्या हैं; और

(घ) चोरियां होने वाले क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) मई, जून और जुलाई (20 तक) 1973 के महीनों में पुलिस में दर्ज किये गये चोरी के निम्नलिखित मामले थे :—

महीने	दर्ज किये गये मामले
मई	1575
जून	1494
जुलाई	1078

(ख) जिन क्षेत्रों से इन चोरियों की सबसे अधिक की रिपोर्ट आई थी वे निम्नलिखित हैं :—

नई दिल्ली जिला—गुरुद्वारा बंगला साहिब, कनाट प्लेस, शंकर मार्किट, जीवन बिहार, तारा भवन, पंचकुइया रोड, हरिजन बस्ती, लेडी हार्डिंग अस्पताल, बंगाली मार्किट, इंडिया गेट, शहाजहाँ रोड, तिलक मार्ग, उद्योग भवन, रेसकोर्स रोड, गोल्फ लिंक्स, बापूधाम, डी i तथा डी ii फ्लेटस ।

उत्तरी जिला—उत्तरी जिले में कोतवाली तथा सदरबाजार सब-डिवीजनस् ।

दक्षिणी जिला—जोरबाग, कर्बला, अलीगंज कालोनी, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट i तथा पार्ट ii, मस्जिद मोट, सुन्दर नगर, काका नगर, ओबेराय होटल, हौजखास इनक्लेव, ग्रीन पार्क, महीपालपुर, नांगल, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, डी० डी०ए० कालोनी, नरैना, पालम कालोनी, सदर बाजार, मोती बाग, बसंत बिहार, ओल्ड तथा न्यू राजेन्द्र नगर, इन्दरपुरी, परकाश मोहल्ला, सन्त नगर, डी० डी० ए० फ्लैट्स लाजपत नगर, ईस्ट आफ कैलाश, मदनगीर, ईस्ट पाकिस्तान डिसप्लेसड पर्सनस् कालोनी, कालका जी, गोविन्दपुरी, हजरत निजाम-उद-दीन ईस्ट तथा वस्ट ।

केन्द्रीय जिला—दयानन्द रोड, अंसारी रोड, सुभाष रोड़, पावर हाऊस, रिंग रोड, मिंटो रोड, राऊज एवेन्यू, जवाहरलाल नेहरु मार्ग, उर्दू बाजार, जामा मस्जिद, थामसन रोड, अजमेरी गेट, जी० बी० रोड, फराश खाना, चावड़ी बाजार, चित्रगुप्ता रोड, प्रताप स्ट्रीट, देशबन्धु गुप्ता रोड, राजौरी गार्डन, न्यू रोहतक रोड, मिलिटरी रोड, प्रहलाद रोड, वीडनपुरा, गफ्फार मार्केट, वेस्टर्न एक्सटेन्शन एरिया, करोल बाग, ईस्ट पटेल नगर, रानी बाग रेलवे कालोनी, मुलतानी मोहल्ला, रिशि नगर, संत नगर, राजा पार्क, महेन्द्रा पार्क, टैगोर गार्डन, जे० ज० कालोनी, मादीपुर।

(ग) 219 मामलों में चोरों को पकड़ा गया है। शेष मामलों में निम्नलिखित कारणों के कारण कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी :—

(i) चुराई गई सम्पत्ति को नहीं पहचाना जा सका।

(ii) घटना स्थल से लिये गये चिन्ह चोर का अपराध से संबंध जोड़ने में पुलिस के लिये अपर्याप्त थे।

(iii) शिकायत कर्ता स्वयं अपराध के समय तथा स्थान के बारे में निश्चित नहीं था।

(घ) जब कभी किसी विशेष क्षेत्र में चोरी के मामलों की घटना में वृद्धि होती है तब उस क्षेत्र में वायरलेस से सज्जित मोटर सायकल्स वाले विशेष गश्ती दल तथा वायरलेस से सज्जित पैदल गश्ती दल तैनात कर दिये जाते हैं। रात में गश्त लगाने के लिये गृह रक्षकों की सेवायें भी प्राप्त की जाती हैं।

पंजाब सर्किल में डाक व तार कर्मचारियों की कमी

1485. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सर्किल में डाक व तार कर्मचारियों की चिरकालीन कमी है,

(ख) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में इस कमी को दूर करने के लिए कोई विशेष प्रयास किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवन्तीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

शिक्षा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित राज्यों के सहयोग से औपचारिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी तथा उनके प्रसारण की योजना

1486. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने शिक्षा मंत्रालय तथा सम्बन्धित राज्यों के सहयोग से पांचवीं पंचवर्षीय योजना में औपचारिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उनके प्रसारण के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों की किन क्षेत्रीय भाषाओं में ये कार्यक्रम प्रसारित किये जायेंगे ; और

(ग) इन कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक रेडियो स्टेशन में राज्य-वार कितने ट्रान्समीटरों की आवश्यकता होगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) "अनौपचारिक शिक्षा" के क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय अपने प्रस्तावों के बारे में ब्यौरा तैयार कर रहा है। रेडिओं द्वारा दी जाने वाली सहायता के प्रश्न पर निर्णय, शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव तयार हो जाने के पश्चात् लिया जायेगा।

पहाडी क्षेत्रों को टेलीफोन तथा टेलीग्राफ लाइनों के लिए सामान का आबंटन करने में प्राथमिकता

1487. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सर्किलों को टेलीफोन तथा टेलीग्राफ की लाइनों तथा संस्थाओं (इंस्टीट्यूशन्स) को सामान के आवंटन सम्बन्धी नीति क्या है; और

(ख) क्या पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों मे संचार तथा दूर संचार की कम सुविधाओं को देखते हुए इन क्षेत्रों के लिए सामान के आवंटन में कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइनों तथा संस्थाओं के लिए सामान का अलाटमेंट विभिन्न सार्कलों की मांग और सामान के उपलब्ध होने के आधार पर किया जाता है। जैसी जरूरत होती है और जिस तरह का कार्य होता है उसी के अनुपात में यह सामान बांटा जाता है। किसी कार्य के लिए जब उचित समझा जाता है, तो सामान अलाट करने में प्राथमिकता भी दी जाती है।

दैवी आपदाओं के दौरान सहायता के लिए आपात योजना

1488. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को कहा गया है कि दैवी आपदाओं के दौरान गैर योजनाबद्ध ढंग से होने वाले व्यय को रोकने के लिए आपात योजना बनाएं और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या इसको पांचवीं योजना में अथवा चौथी योजना के चालू वर्ष से लागू किया जायेगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां। पांचवीं योजनाओं के प्रारूप तैयार करने के संबंध में योजना आयोग ने राज्य सरकारों को जो विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए थे उनमें राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे दैवी आपदाओं के दौरान सहायता के लिए आपात योजनाएं तैयार करें। इसके लिये यह आवश्यक है कि दैवी आपदाओं से ग्रसित होने वाले क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया जाये, प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न किस्म के श्रम सघन कार्य को प्राथमिकतायें प्रदान की जाये और प्रत्येक एन० ई० एस० के लिए "सहायक कार्यों (स्टैण्ड-बाई-वर्क्स)" की समुचित सूची तैयार की जाये।

(ख) ऊपर दर्शाये गये आधारों पर आपाद योजनाएं तैयार करने में समय लगेगा अतः सम्भावना यही है कि इन का कार्यान्वयन केवल पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ही करना सम्भव हो सकेगा।

राज्यों द्वारा पांचवीं योजना का पुनरीक्षण

1489. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे सरकारी क्षेत्र में (स्टेट सैक्टर) अपने अपने पांचवीं योजना सम्बन्धी दस्तावेजों का पुनरीक्षण करें तथा उसे योजना आयोग को प्रस्तुत करें; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और कितने राज्यों ने आयोग के अनुदेशों का पालने नहीं किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आयात नीति का पुनर्विलोकन तथा संगणकों का प्रयोग

1490. **श्री राय भगत पासवान :**

श्री श्रीकिशन दोदी :

क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयात तथा संगणकों के प्रयोग सम्बन्धी समूची नीति का पुनर्विलोकन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार इस बारे में ओटोमेशन कमेटी की सिफारिशों पर विचार करेंगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एवं (ख) संगणकों के प्रयोग तथा आयात के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत 1971-72 के लिये इलैक्ट्रानिक्स विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, जिसकी एक प्रति सदन के सभापटल पर रख दी गयी है, में विस्तृत रूप से इंगित किये गये हैं । स्थूल रूप से वे हैं:—

(1) सभी प्रयोक्ताओं को सर्वप्रथम भारतीय मार्केट में उपलब्ध संगणकों द्वारा अपनी घरेलू आवश्यकताएं पूर्ण करने का यत्न करना चाहिये, तथा उन सुविधाओं को भी प्रयोग में लाना चाहिये, जो स्थापित होने वाले क्षेत्रीय संगणक केन्द्रों द्वारा प्रदान की जायें

(2) भारतीय निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय मार्केट में उपलब्ध संगणकों के अतिरिक्त अन्य संगणकों को आयात की मँहगी मदों के रूप में माना जायेगा और प्रत्येक मामले पर गुणों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

(ग) ओटोमेशन कमेटी द्वारा की गयी सिफारिश, सम्प्रति, सरकार के विचाराधीन है ।

अत्यावश्यक वस्तुओं के व्यापार को नियंत्रण में लेना

1491. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने अत्यावश्यक वस्तुओं के व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने संबंधी योजनाएं केन्द्र को भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नही। किन्तु 14 जून, 1973 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान खाद्य स्थिति की समीक्षा, 1973–74 की खरीफ फसल की मूल्य निर्धारण नीति तथा गेंहू के थोक व्यापार के सरकारीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। कुछ मुख्य मंत्रियों ने अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार के सरकारीकरण पर भी विचार व्यक्त किए ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए भारतीय अधिकारी की लन्दन यात्रा

1492. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में और ब्रिटीश पूंजी निवेश की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के एक दल को हाल में लन्दन भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो किन उद्योगों के लिए ब्रिटिश सहायता मांगी गई है; और

(ग) दल की इस यात्रा के क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) से (ग) संभवतया माननीय सदस्य लंदन में 2 जुलाई से 4 जुलाई 1973 तक हुई इंडो-ब्रिटिश टेक्नालोजिकल ग्रुप की चौथी बैठक का उल्लेख कर रहे हैं। ग्रुप की बैठक के पश्चात जारी किये गए प्रैस नोट एक प्रति संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गयी /देखिये संख्या एल० टी०5269/73**]

निजी क्षेत्र के औद्योगिक एककों में श्रमिक अशान्ति

1493. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि निजी क्षत्र के कुछ औद्योगिक एकक सरकार को बदनाम करने हेतु श्रमिक गड़बड़ी करा कर अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन-को जान बूझ कर कम करने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सरकार के ध्यान में आया है की कुछ ऐसे उद्योग मंत्रियों द्वारा मध्यास्थी से इन्कार करके श्रमिक असंतोष बनाये हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे उद्योगों को सरकारी नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) से (ग) ऐसे कुछ मामले हुए हैं जहां गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र में प्रबंधकों ने श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के बारे में आपसी बातचीत के माध्यम से या सरकारी प्राधिकारियों की सहायता से वास्तविक प्रयत्न करने के बजाय उत्पादन को बन्द करने के लिए ताला-बंदी की घोषणा की है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा भारतीय प्रतिरक्षा नियम 1971 के अन्तर्गत ऐसे मामलें पर कार्यवाही करने तथा उत्पादन को पुन: चालू करन के लिए शक्तियाँ उपलब्ध हैं। जहां कहीं भी उपयुक्त समझा जायेगा, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम धारा 18 ए० ए० के अंतर्गत प्रबन्ध को भी हाथ में लिया जा सकता है।

बड़े व्यापार गृहों द्वारा सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

1494. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री राजदेव सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का मंत्रालय बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा सीमेंट संयंत्रों की स्थापना संबंधी आवेदन पत्रों को एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग की मंजूरी हेतु पुनः प्रस्तुत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा यह किन-किन से प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या इन बड़े व्यापार गृहों के आवेदन पत्रों को पहले रद्द कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इन पर पुनः विचार किये जाने के कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सीमेंट संयत्र लगाने के लिये बड़े औद्योगिक गृहों से प्राप्त कुछ आवेदन पत्रों पर जो पहले रद्द कर दिये गये थे बशर्ते कि उन पर एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत सहमति मिल गई हो तथा जो अन्यथा स्वीकार करने योग्य थे, आशय पत्र जारी करने के लिये पुनर्विचार किया गया है ।

(ख) इन आवेदन-पत्रों का ब्यौरा निम्नप्रकार है :—

क्र० सं०	पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता मी० टनों में नया/पर्याप्त विस्तार
1	बाली जूट कम्पनी लि० . .	सोजात रोड	400,000 नया
2	सेन्चुरी सीमेंट	मुहर	750,000 नया
3	गैजेंज मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि० . .	होशंगाबाद	400,000 नया

(ग) जी, हां ।

(घ) पहले पूरी हो जाने और विनियोजन लागत कम होने की सम्भावना को ध्यान में रखकर बड़े औद्योगिक गृहों से प्राप्त उन आवेदन-पत्रों पर, जिन्हें पहले रद्द कर दिया गया था तथा जो अन्यथा स्वीकार किये जाने योग्य हैं पुनः विचार करने का निश्चय किया गया था । यह अनुभव किया गया था कि बड़े गृहों को शामिल न करने का निश्चय रूप से यह अर्थ होगा कि सीमेंट की कमी समाप्त होने की स्थिति के निकट तक पहुंचने की संभावना पांचवीं योजना की अवधि के आगे तक अस्थगित करनी पड़ेगी और उनके आवेदनों पर पुनर्विचार करना जन हित की दृष्टि से आवश्यक हो गया था ।

Meeting of Central Government and State Governments on Fifth Plan

1495. **Shri Nawal Kishore Sharma** : Will the Minister of **Planning** be pleased ot state :

(a) whether some important decisions have been taken in a meeting held between Central Government and State Governments recently in regard to Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, the names of the State Governments which participated in the said meeting and the main points of the important decisions taken?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) and (b) It is not clear to which meeting the Hon'ble Member is referring. A meeting of the National Development Council was held on January 19 and 20, 1973. In this meeting which was attended by Ministers of the Central Government as well as Chief Ministers of the State Governments (excepting Andhra Pradesh), the approach to the Fifth Plan was discussed and approved. This was followed by a meeting with Chief Secretaries and Planning Secretaries of States/Union Territories on January 31, 1973 to consider follow-up action and to draw up a programme of action for the preparation of the Draft Fifth Plan.

बड़े औद्योगिक गृहों का विस्तार

1496. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **औद्योगिकी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोई ऐसी नई औद्योगिक नीति बनाने की सोच रही है जिसके अन्तर्गत अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक गृहों को विकास क्षेत्र में विस्तार की अनुमति दी जायेगी परन्तु इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त उपक्रमों का प्रबन्ध व्यावसायिक लोगों के हाथ में हो और बड़े व्यापारिक परिवारों के नियंत्रण से वे असम्बद्ध हो;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति में क्या विशेष संशोधन किए जाने हैं; और

(ग) नीति में ऐसे परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 2 फरवरी, 1973 की प्रेस विज्ञप्ति द्वारा औद्योगिक नीति सम्बन्धी अपने निर्णयों का स्पष्टिकरण किया है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुच्छेद 4 तथा 5 में बड़े औद्योगिक गृहों के का कार्यों वर्णन है। लोक सभा में 21-2-73 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न सं० 281 के संलग्नक के रूप में प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई थी।

बड़ौदा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

1498. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा में नये टेलिफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची में 6,000 से अधिक आवेदन पत्र विचाराधिन है;

(ख) क्या ये आवेदन पत्र 10 वर्ष पुराने हैं;

(ग) क्या सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर तथा नादियाड़ जैसे स्थानों पर नये टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कोई भी नाम नही अथवा अधिक से अधिक कुछ सौ आवेदन पत्र ही विचाराधीन हैं; और

(घ) बड़ौदा में टेलीफोन सुविधाओं के विस्तार के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) 31-3-1973 को बड़ौदा टेलीफोन प्रणाली के सभी चार एक्सेंचजों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज अर्जियों की संख्या 5879 थी।

(ख) 31-3-73 को बड़ौदा टेलीफोन प्रणाली के चारों एक्सेंचजों की प्रतीक्षा सूची में तीन साल से ज्यादा पुरानी अर्जियों की संख्या 1256 थी। 10 साल से ज्यादा पुरानी अर्जियों का ब्यौरा इस समय उपलब्ध नही है।

(ग) जी नही। 31–3–73 को सूरत एक्सचेंज की प्रतीक्षा सूची में 6331, राजकोट में 1862 जामनगर में 1147, भावनगर में 62 और नादियाड़ की प्रतीक्षा सूची में 153 अर्जियां दर्ज थीं।

(घ) बड़ौदा में 3000 लाइनों का एक नया आटोमेटिक एक्सचेंज लगाया जा रहा है। आशा है कि यह एक्सचेंज वर्ष 1974 में चालू हो जाएगा। इस एक्सचेंज में आगे और विस्तार की योजना है। इस योजना के अनुसार वर्ष 1978 तक उत्तरोत्तर इस एक्सचेंज में 7000 लाइनें कर दि जायेगी तब तक जीन एक्सचजों का विस्तार करने और नए एक्सचेंज लगाने की जो योजना है उससे इस प्रणाली को क्षमता बढ़ जाएगी और इस में 13,800 लाइने हो जायेगी।

बड़ौदा में टेलीफोन सेवा

1499. **श्री फतेहसिंहराव गायकवाड** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बड़ौदा में असन्तोषजनक तथा निक्कमी टेलीफोन सेवा की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बड़ौदा में टेलीफोन व्यवस्था के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) (1) पिछले सात महीनों के दौरान बड़ौदा का एक्सचेंज उपस्कर दो बार ओवर-हाल किया गया है।

(2) बाहरी संयंत्र में और उपभोक्ताओं के अहातों में जो टेलीफोन फिटिंग है, उसमें भी उत्तरोत्तर सुधार किया जा रहा हैं।

मैसूर में आणविक विद्युत संयंत्र

1500. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य ने केन्द्र सरकार से एग्रो उद्योग समूह के विकास के लिए तुंगभद्रा परियोजना के निकट आणविक विद्युत संयंत्र की स्थापना की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) मैसूर राज्य सरकार ने कृषि उद्योग सम्मिश्र के विकास के लिए तुंगभद्रा परियोजना के निकट परमाणु बिजलीघर की स्थापना की कोई मांग नही की है। तथापि परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नियुक्त की गई स्थल चयन समिति द्वारा भविष्य में परमाणु बिजली घरों की स्थापना के उद्देश्य से दक्षिणी क्षेत्र में कुछ स्थलों की जांच की जा रही है तथा तुंगभद्रा उन स्थलों में से एक है जिसके लिए मैसूर राज्य सरकार ने सुझाव दिया है।

दिल्ली टेलीफोन विभाग में बिल बनाने की प्रणाली की जांच के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन

1502. **श्री श्रीकिशन मोदी** :

श्री बेकारिया :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन विभाग में बिल बनाने की प्रणाली की जांच के लिए गठित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार का निर्णय क्या है?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) समिति अपनी रिपोर्ट का मसौदा तैयार कर रही है। आशा है कि समिति अपनी यह रिपोर्ट शीघ्र ही पेश कर देगी।

पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, महरौली के एक कान्सटेबल की नई दिल्ली में सार्वजनिक पार्कों में सशस्त्र डकैतियों के आरोप पर गिरफ्तारी

1503. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, महरौली के एक कान्सटेबल को नई दिल्ली के सार्वजनिक पार्कों में सशस्त्र डकैतियां डालने के आरोप पर गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के अवांछित व्यक्तियों के पुलिस में प्रवेश को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) क्या गत तीन वर्षों में उन पुलिस कर्मचारियों की संख्या का पता लगाया गया है जिनका अपराधों में हाथ था?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमन। ऐसे दो मामलों में दिल्ली पुलिस के एक कान्सटेबल को गिरफ्तार किया गया था।

(ख) उन व्यक्तियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं जिनके मामलों पर दिल्ली पुलिस में भरती करने के लिये तथा अवांछनीय व्यक्तियों को निकालने के लिए विचार किया जाता है :—

(i) सम्बन्धित व्यक्तियों के अंगुलीचिन्ह लिए जाते हैं और पहले सजा/गिरफ्तारियों, यदि कोई हों, का पता लगाने के लिए विभिन्न अंगुलीचिन्ह ब्यूरों को भेज दिये जाते हैं।

(ii) भरती के बाद ऐसे व्यक्तियों के आचरण और पूर्ववृत्त स्थानीय पुलिस के माध्यम से सत्यापित किये जाते हैं।

(iii) असंतोषजनक आचरण वाले व्यक्तियों अथवा जो अन्यथा अवांछनीय होते हैं, की सेवाएं अस्थायी सेवा की अवधि के दौरान समाप्त कर दी जाती हैं।

(iv) दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक आवेदकों के दिल्ली पुलिस में भरती किये जाने से पूर्व उनकी योग्यता और उपयुक्तता की जांच करते हैं।

(ग) गत तीन वर्षों में (1970 से 1972 तक) दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित कर्मचारी आपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त थे :—

निरीक्षक	उप-निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कान्सटेबल	कान्सटेबल
1	25	16	30	111

आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियों में वृद्धि

1504. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हाल ही में नक्सलवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना कर ने के लिए क्या उपाय किए गए है अथवा किए जाने हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में हाल ही में नक्सलवादी गतिविधियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। किन्तु सतर्कता बरती जा रही है।

राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली स्थापित करने के लिए टास्क फोर्स की स्थापना

1505. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली की स्थापना के लिए "टास्क फोर्स" की स्थापना की है और यदि हां, तो इसका क्षेत्र तथा कार्य क्या है;

(ख) इस "टास्क फोर्स" में किन मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व है; और

(ग) उनका प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग ने राष्ट्रीय आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रीय दूर-संचार उपग्रह (आई० एन० एस० ए०-टी०-1) का उपयोग करने के वास्ते एक समेकित योजना बनाने के लिए 17-2-1973 को एक अभियान दल का गठन किया है। अभियान दल के विचारार्थ विषय तथा रचना के सम्बन्ध में जानकारी विवरण में दी गई है।

(ग) अभियान दल की तीन बैठकें हो चुकी हैं तथा ऐसी आशा है कि अभियान दल की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त हो जाएगी।

विवरण

1. राष्ट्रीय आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रीय दूर-संचार उपग्रह (आई० एन० एस० ए० टी०-1) का उपयोग करने के वास्ते एक समेकित योजना बनाने के लिए गठित किए गए अभियान दल के विचारार्थ विषय :

(1) दूर-संचार, दूरदर्शन तथा रिमोट सेंसिंग सर्वेक्षणों से सम्बन्धित राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए आई० एन० एस० ए० टी०-1 का उपयोग करने के क्षेत्र तथा सम्भावनाओं की जांच करना;

(2) एक ऐसी योजना तैयार करना जिससे कि आई० एन० एस० ए० टी० पद्धति को अधिकतम कारगर बनाया जा सके ;

(3) कृषि, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, शिक्षा, स्वास्थ तथा परिवार नियोजन और जन संचार के क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों में आई० एन० एस० ए० टी० के प्रयोग की संभावनाओं का पता लगाना;

(4) इस बात की परीक्षा करना कि इस पद्धति के प्रयोग से मंत्रालयों के योजना प्रक्षेप मे किस सीमा तक संशोधन हो सकते हैं;

(5) उपर्युक्त (1) से (4) तक को ध्यान में रखते हुए योजना कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आई० एन० एस० ए० टी०-1 को एक राष्ट्रीय सुविधा के रूप मे प्रयोग करने के लिए एक समेकित योजना का निर्माण करना।

2. अभियान दल की संरचना

(1)	प्रोफेसर एम० जी० के० मैनन, सचिव, इलैक्ट्रानिक्स विभाग .	अध्यक्ष
(2)	प्रोफेसर एस० धवन, अध्यक्ष, आई० एस० आर० ओ० तथा सचिव, अंतरिक्ष विभाग।	सदस्य
(3)	सचिव, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	सदस्य
(4)	सचिव, संचार मंत्रालय . . .	सदस्य
(5)	डा० के० एस० गिल, सलाहकार, योजना आयोग . .	सदस्य
(6)	डा० एस० के० सुब्रहमण्यम, सचिव, एन० सी० एस० टी०	सदस्य
(7)	श्री एम० आर० रमण, संयुक्त निदेशक (विज्ञान), योजना आयोग .	सदस्य
(8)	सचिव, अंतरिक्ष विभाग द्वारा नामांकित एक अधिकारी .	संयोजक

केरल में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए गैर सरकारी पार्टियों और केरल सरकार की एजेंसियों को 'आशय पत्र' जारी करना

1506. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केरल में नये औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए गैर-सरकारी पार्टियों और केरल सरकार के अधिनस्थ वाली एजेंसियों को जारी किए गए "आशय पत्रों" का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनमें से कितनों ने उद्योग चालू कर दिये हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम):

(क)

वर्ष	गैर-सरकारी पार्टियां	केरल सरकार के अधिनस्थ वाली एजेंसियां
1970	3	5
1971	7	3
1972	5	8

(ख) आशय पत्र कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में है।

केरल में टेलीफोन की एस० टी० डी० पद्धति

1507. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल राज्य में टेलीफोन की एस० टी० डी० पद्धति की स्थापना की योजना को प्राथमिकता देने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा चालू करने के लिए निम्नलिखित मार्गों को प्राथमिकता दी गई थी :—

(i) त्रिवेन्द्रम—कोट्टायम

(ii) त्रिवेन्द्रम—क्विलोन

(iii) अलेप्पी—कोट्टायम

(iv) त्रिवेन्द्रम—एर्नाकुलम

(v) एर्नाकुलम—कोट्टायम

पहले दो मार्गों पर यह सुविधा दी जा चुकी है और बाकी मार्गों पर इसका काम चल रहा है।

केरल से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए नियुक्तियां

1508. श्री ए० के० गोपालन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की वर्तमान संख्या क्या है; और

(ख) उपरोक्त दोनों बलों की संख्या के कितने अनुपात की भर्ती केरल से की गई है?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
(क)	73,529	16,106
(ख)	11.77%	10.29%

केरल सर्किल में एक एस० डी० ओ० (फोन) के विरुद्ध आरोप

1509. श्री ए० के० गोपालन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाति सम्बन्धी झठा प्रमाण पत्र पेश करने के आरोप के संबंध में केरल सर्कल के एक एस० डी० ओ० (फोन) के विरुद्ध विभागीय जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) जी हां। विभागीय तफतीश पूरी हो चुकी है और इसकी रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

दिल्ली नगर निगम में नियुक्त उम्मीदवारों को युद्ध सेवा के लाभ

1510. श्री विभूति मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों और निदेशों के अनुसार 1946–50 में दिल्ली नगर निगम में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों के वेतन और वरिष्ठता निर्धारित करते समय उनके द्वारा दूसरे विश्व युद्ध (1939-45) में की गई युद्ध सेवा को ध्यान में रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो लगभग कितने व्यक्तियों को उक्त लाभ दिये गये;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा युद्ध सेवा की गणना करने/वरिष्ठता की अनुमति देने और वेतन निर्धारित करने के बारे में सेवा मुक्त ई० सी० ओ० और एस० एस० सी० ओ० उम्मीदवारों की (इंजीनियरिंग और मेडिकल) के बारे में समय-समय पर (1963 से 1972 तक) जारी किये गए नियमों को एम० सी०डी० ने अभी तक नहीं अपनाया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 1963 से 1971 तक के दौरान कितने सेवामुक्त ई० सी० ओ० और एस० एस० सी० ओ० को उपर्युक्त नियमों के अधीन एम० सी० डी० में नियुक्त किया गया है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) इस विषय में तत्सम्बन्धी व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इस विषय पर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों की शर्तों के अनुसार 1946 से 1950 तक नियुक्त किए गये उम्मीदवारों का वेतन और वरिष्ठता निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए द्वितीय युद्ध के दौरान की गई युद्ध सेवा को सम्मिलित किया गया था। किन्तु जल प्रदाय तथा मल निकास उपक्रम में द्वितीय युद्ध में की गई युद्ध सेवा को केवल वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिये सम्मिलित किया गया था।

(ख) लगभग 17।

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा इनको अपनाने के लिए विचार किया जा रहा है।

(घ) लगभग 8।

काश्मीर पुलिस द्वारा चरस के तस्करों के गिरोह का पता लगाना

1511. **श्री विक्रम महाजन :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर पुलिस ने चरस के तस्करों के एक नये गिरोह का पता लगाया है जिसमें श्रीनगर, दिल्ली और बम्बई के डाक विभाग के अधिकारी अन्तर्गस्त हैं;

(ख) जब्त की गई चरस की मात्रा और उसका मूल्य क्या है; और

(ग) कितने डाक अधिकारी और अन्य व्यक्ति पकड़े गये और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): (क) से (ग) 28 जून, 1973 को काश्मीर पुलिस द्वारा 16 किलोग्राम चरस, जिसका मूल्य अभी तक आंका नहीं गया है, पकड़ा गया था। डाक विभाग के चार अधिकारियों और एक अन्य व्यक्ति के इस मामले में अन्तर्गस्त होने की सूचना है। एक डाक कर्मचारी, जो फरार है, के अतिरिक्त सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की अभी जांच पड़ताल हो रही है।

देश में सी० आई० ए० की गतिविधियां

1512. **श्री विक्रम महाजन :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1973 के "दि इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसके अनुसार सी० आई० ए० भारत के प्रधान मंत्री की जासूसी कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सरकार ऐसी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखती है तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसी गतिविधियां पारस्परिक अच्छे संबंध बढ़ाने में सहायक नहीं हैं किन्तु ऐसी सूचना को बताना जो सरकार के पास है या विदेशी खुफिया संगठनों की गतिविधियों के विरुद्ध जो किया जाता है उसका विवरण देना लोक हित में नहीं होगा।

पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी

1513. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को गिरफतार किया गया;

(ख) उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन):(क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों में आयोजना व्यवस्था को सुदृढ करना

1514. **श्री सरजू पांडे** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्यों में आयोजना व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए कोई और निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये निदेश क्या हैं; और

(ग) क्या राज्यों ने ये निदेश कार्यान्वित किए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने हाल ही में राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि भावी आयोजन प्रबोधन, आयोजन सूचना तथा मूल्यांकन परियोजना तैयार करना, क्षेत्रीय और जिला आयोजन तथा योजना समन्वय से सम्बन्धित पांच एककों के अलावा, राज्य आयोजन विभागों में जनशक्ति और रोजगार एकक भी स्थापित किए जायें। यह एकक मानवीय संसाधनों के आयोजन के महत्वपूर्ण पहलू पर विशेष ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्रीय व क्षेत्र विकास की कार्य नीति के आवश्यक तत्व के रूप में रोजगार की वृद्धि तथा विस्तार हो सके।

(ग) जनशक्ति तथा रोजगार एककों की स्थापना के बारे में राज्यों के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

औद्योगिक उत्पादन

1515. **श्री डी० डी० देसाई** । क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण में 1972 में औद्योगिक उत्पादन में सात प्रतिशत की वृद्धि का जो दावा किया गया था उस वृद्धि में उन 65 उद्योगों का उत्पादन भी सम्मिलित था जिनके स्वीकृत क्षमता से अधिक के उत्पादन को गत वर्ष ही विनियमित किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इन 65 उद्योगों के विनियमित उत्पादन को सम्मिलित किए बिना 1971 वर्ष के उत्पादन की तुलना में कितनी वृद्धि हुई होती ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सरकारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 1-1-72 व 19-2-72 (54 उद्योग) और प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 3-10-72 (11 उद्योग) में क्षमता के पूर्णतर उपयोग के लिए जारी की गयी मार्गदर्शक नीतियां कुछ शर्तों के अधीन और कारखाना-वार आधार पर ही उच्चतर क्षमताओं को स्वीकृति की अनुमति देती है । इस बारे में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है कि इस तरह से नियमित क्षमता के कारण उन खास कारखानों में जिनकी क्षमता में मार्गदर्शक नीतियों के अनुसार संशोधन कर दिया गया है, उच्चतर उत्पादन वस्तुतः किस हद तक बढ़ा है । इनमें से कुछ कारखानों ने प्राधिकृत क्षमता से अधिक होने पर भी 1971 में अपने वास्तविक उत्पादन की रिपोर्ट भी दी होगी । इन परिस्थितियों में, नयी मार्गदर्शक नीतियाँ लागू होने के कारण उस उत्पादन वृद्धि का अलग से हिसाब लगाना सम्भव नहीं है, जो 1971 तथा 1972 में तुलनात्मक आधार पर हुयी है और जिसकी रिपोर्ट दी गयी है ।

समय पर भारतीय सीमेंट निगम द्वारा सीमेंट कारखाने स्थापित करने में असफलता होने के कारण सीमेंट की कमी

1516. श्री डी० डी० देसाई : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग का मूल्यांकन करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सीमेंट की कमी अभी तीन वर्ष तक और रहेगी जसा कि दिनांक 26 मई, 1973 के फाईनेन्शियल एक्सप्रस में समाचार था ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) क्या भारतीय सीमेंट निगम द्वारा समय पर नए सीमेंट कारखाने स्थापित न किये जाने के कारणों की जांच की गई है और यह भी पता लगाया है कि इससे सीमेंट की कमी कितनी बढ़ी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणबकुमार मुखर्जी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) संवीक्षा के फलस्वरूप यह विचार किया जा रहा है कि पाँचवी योजना में 197.6 लाख टन की विद्यमान क्षमता को करीब 320 लाख टन के स्तर तक बढ़ाने के लिये 120 लाख टन कुछ और अधिक अतिरिक्त क्षमता स्थापित करना आवश्यक होगा ताकि 280 लाख टन का उत्पादन किया जा सके जो पाँचवीं योजना के अन्त तक की माँग को पूरा करने को पर्याप्त होगा ।

(ग) भारतीय सीमेंट निगम ने यथासम्भव शीघ्रता से दो संयंत्र स्थापित किये हैं तथा दो और संयंत्र निर्माणाधीन हैं ।

उत्तर प्रदेश में प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस में उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में केन्द्रीय आसूचना का पूर्व सूचना देने में असफल रहना

1517. श्री डी० डी० देसाई :

श्री मूलचन्द डागा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आसूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश की प्रांतीय सशस्त्र पुलिस में उत्पन्न असन्तोष के बारे में इस वर्ष मई मास में असन्तोष के विस्फोट से पूर्व उसकी सूचना देने में असफल रहे थे ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय आसूचना संगठन के पुनर्गठन के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) :

(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

टेलीफोन उपकरण के निर्माण में विदेशी सहयोग समाप्त हो जाने के पश्चात् वैकल्पिक प्रबन्ध

1518. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेली फोन उपकरणों के निर्माण में सभी देशों के साथ सहयोग करार समाप्त हो जाने के पश्चात् सरकार का क्या वैकल्पिक प्रबन्ध करने का है ; और

(ख) क्या बैल टेलीफोन कम्पनी के साथ वर्तमान सहयोग के परिणामों की सरकार ने समीक्षा की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) पैंटाकोंटा क्रासबार उपस्कर के निर्माण के लिए इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का बैल्जियम की बैल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के साथ विदेशी सहयोग 20 मई, 1973 से समाप्त कर दिया गया है । जहां तक वैकल्पिक प्रबन्ध का सम्बन्ध है, रायबरेली के नये कारखाने में बनाये जाने वाले स्विचिंग उपस्कर की किस्मों से सम्बन्धित प्रश्न, सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) पैंटाकोंटा क्रासबार प्रणाली में कुल कमियों और त्रुटियों का पता चला था । डाक-तार विभाग और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के संयुक्त कृतिक दल ने इनकी जांच की थी । कुछ मुख्य गड़-बड़ियों के कारणों का पता लगा लिया गया है और उनमें से ज्यादातर का हल निकाल लिया गया है । मालूम किये इन हलों पर इण्डियन टेलिफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर में काम हो रहा है ।

आकाशवाणी द्वारा निमन्त्रण और स्वागत अधिकारी (इन्विटेशन एण्ड हास्पिटैलिटी आफिसर) की नियुक्ति

1519. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने "निमन्त्रण एवं स्वगत अधिकारी" (इन्विटेशन एण्ड हास्पिटेलिटी (आफिसर के पदनाम से एक अधिकारी की नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कर्त्तव्य और वेतन क्या है ;

(ग) क्या इस प्रकार के अधिकारी को रखना आवश्यक है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों में इस अधिकारी पर कितना व्यय हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) पद के कर्तव्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं । इस पद के लिए 350–25–500–30–590–द०रो०–30–800 रुपये का वेतनमान तथा दिल्ली में तैनात कर्मचारी को समय-समय पर देय सामान्य भत्ते नियत हैं ।

(ग) आकाशवाणी एक सांस्कृतिक संगठन है । इसलिए मुख्यालय और नई दिल्ली स्थित आकाश-वाणी के विभिन्न कार्यालयों द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न समारोहों की व्यवस्था के लिए एक अधिकारी को रखना आवश्यक है । उपर्युक्त अधिकारी को निमन्त्रण जारी करने और विदेशियों सहित आगन्तुकों और अतिथियों का मार्गदर्शन करने से सम्बन्धित कर्तव्यों को भी निभाना होता है ।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इस अधिकारी के वेतन और भत्तों पर कुल 37,509 रुपये 69 पैसे व्यय हुए ।

विवरण

1. ब्राडकास्टिंग हाउस को देखने के लिए आने वाले दर्शकों और आगन्तुकों को सहायता देना ।

2. विशेषकर प्रसारण आदि से सम्बन्धित गणमान्य व्यक्तियों तथा विदेशी दर्शकों का स्वागत करना और उनको इधर उधर घुमाना । इसमें दर्शकों को लेने के लिए हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन पर जाना और उनको बिदा करना भी शामिल है ।

3. मुख्यालय दिल्ली केन्द्र, विदेश सेवा प्रभाग, टेलीविजन यूनिट, कर्मचारी प्रशिक्षण स्कूल और दिल्ली स्थित आकाशवाणी के किसी भी अन्य अधीनस्थ कार्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले श्रवण समारोहों के सम्बन्ध में निमन्त्रण और स्वागत की व्यवस्था तथा अन्य प्रबन्ध करना ।

4. मुख्यालय या दिल्ली स्थित आकाशवाणी के किसी भी अन्य अधीनस्थ कार्यालय द्वारा सरकारी और से दिए जाने वाले मनोरंजन, पार्टियों, भोज आदि का प्रबन्ध करना ।

5. आकाशवाणी द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न समारोहों, सम्मेलनों, आदि के सम्बन्ध विशिष्ट रूप से सौंपे गए कार्यों को पूरा करना ।

"बोम्बे टी० वी० स्टेन्डर्ड फाल्स फर्दर" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

1520. **श्री बेकारिया :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जून, 1973 के "हिन्दुस्थान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि टेलीविजन के बम्बई केन्द्र के स्तर में और गिरावट हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने बम्बई टेलीविजन केन्द्र के कार्यक्रमों के बारे में समाचार पत्र में प्रकाशित आलोचना को नोट किया है । सरकार वर्तमान टेलीविजन ढ़ांचे की सीमाओं से परिचित है, तो भी ठोस सूचना-प्रद तथा मनोरंजक कार्यक्रम उपलब्ध करने के लिए सेवा के स्तर में सुधार करने के बराबर प्रयत्न किए जा रहे है । जहांतक, ट्रान्समिशन की भाषा का सम्बन्ध है, क्योंकि बम्बई केन्द्र केवल बम्बई के ही लिए नहीं है, अपितु बम्बई के आसपास के बृहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी है, तथा पूना रिले ट्रान्समिटर के माध्यम से पूना के आसपास के क्षेत्रों के लिए भी, अत: कार्यक्रमों को आवश्यक रूप से मुख्यतया मराठी में ही प्रस्तुत करना पड़ता है ।

विदेशी मिशनरियों की गतिविधियां

1521. **श्री शंकरराव सावन्त :**

श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्य-वार कितने विदेशी मिशनरी है ;

(ख) क्या विदेशी मिशनरियों की उपस्थिति से भारत की एकता को खतरा है ; और

(ग) उन्हें भारत से बाहर भेजने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

1-1-1973 तक भारत में उपस्थित पंजीकृत विदेशी मिशनरियों की राज्यवार संख्या

क्र०	राज्य का नाम	विदेशी मिशनरियों की संख्या
1	2	3
1	आन्ध्र प्रदेश	371
2	असम	72
3	बिहार	397
4	गुजरात	157
5	हरियाणा	10
6	हिमाचल प्रदेश	33
7	जम्मू व कश्मीर	40
8	केरल	149
9	मध्य प्रदेश	213
10	महाराष्ट्र	666
11	मैसूर	463
12	मेघालय	81
13	नागालैण्ड	3
14	उड़ीसा	102
15	पंजाब	85
16	राजस्थान	15
17	तमिलनाडु	816
18	उत्तर प्रदेश	403
19	पश्चिम बंगाल	415
20	मणिपुर	6
21	दिल्ली	145
22	गोवा, दमन व दीव	2
23	पाण्डिचेरी	20

बिहार, जम्मू तथा कश्मीर और पंजाब के संबंध में आंकड़े 1-1-1972 तक के हैं ।

कुछ आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार से अभ्यावेदन

1522. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिये केन्द्र को हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकारी की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) सक्रिय रूप से मामला सरकार के विचाराधीन है।

त्रिपुरा में जनजाति विकास निगम

1523. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार का विचार त्रिपुरा की राज्य सरकार के सहयोग से जन-जाति विकास निगम को स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निगम में जनजाति लोगों के प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) इस समय त्रिपुरा में जनजाती विकास निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राज्यों में हरिजनों को जलाये जाने सम्बन्धी मामलें

1514. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1971 से अब तक देश भर में राज्य-वार हरिजना को जलाये जाने सम्बधी कितने मामलें हुए हैं ; और

(ख) कितने मामलों में अपराधियों को दंडित किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Automatic Telephone Exchange in Bhagalpur District of Bihar

1525. **Shri G. P. Yadav :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there is no Automatic Telephone Exchange in Bhagalpur District in Bihar as a result of which Telephone subscribers have to face great difficulty: and

(b) if so, the time by which such an Exchange is likely to be set up there?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna): (a) Small automatic exchanges are working in a number of stations in Bhagalpur District but the exchange at Bhagalpur itself is a manual one;

(b) The Government have not yet been able to acquire a site for the telephone exchange at Bhagalpur and therefore no firm date for the setting up of the exchange can be given at this stage.

Applications for Installation of Telephone Connections in Bhagalpur

1526. Shri G. P. Yadav :
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether many applications for the installation of telephone connections in Bhagalpur have been pending with Government for the last many years; and

(b) if so, the total number of such applications and since when they have been pending with Government and the time by which Telephone connections would be provided to the applicants concerned ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes Sir.

(b) 144. Oldest application pending is dated 29-4-68. Some applications were skipped over since they were technically not feasible. So far General Category has been covered upto December 72 and Special upto February 73. Attempts are being made to provide all existing demands in a year's time.

Ban on Foreign Tours Performed by Ministers

1527. Shri G. P. Yadav :
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether Government propose to impose a ban on foreign tours of Ministers in view of the difficult economic position of the country?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): No. Sir, Foreign tours of Ministers are undertaken only when these are essential in public interest.

इरविन रोड, नई दिल्ली पर पटाखा विस्फोट के बारे में जांच

1528. श्री वी० मायावन :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराधशाखा के गुप्तचर जून, 1973 में इरविन रोड, नई दिल्ली पर हुये पटाखा विस्फोट के मामले की जांच कर रहे है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या दिल्ली में मई, जून तथा जुलाई के महीनों में भयावह तथा खतरनाक अपराध हुये हैं और पुलिस लगभग सभी मामलों में निष्क्रिय रही है ; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अभी जांच चल रही है।

(ग) दिल्ली में अपराध स्थिति नियंत्रण में है।

(घ) दिल्ली में अपराधों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) अपनी विभिन्न एजेंसियों समेत दिल्ली पुलिस सतत सतर्क रही है तथा आसूचना एकत्रित करने के उपाय किए जाते हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निरोधात्मक गश्तें लगाई जाती हैं और समाज विरोधी तत्वों की गतिविधि नियंत्रित की जाती हैं।

(ii) वेतन भुगतान के दिन लूट तथा डकैतियां आदि रोकने की दृष्टि से बैंकों व व्यापारिक क्षेत्रों के पास निरोधात्मक गश्त और अन्य उपाय किए जाते हैं।

(iii) शहर के कुछ क्षेत्रों में रात्रि के दौरान दिल्ली पुलिस का श्वान दस्ता पुलिस गश्त के साथ कार्य करता है। पुलिस के साधारण कार्यों में भी श्वान दस्ते के कुत्तों को सूंघ कर अपराध का पता लगाने के काम में लगाया जाता है।

(iv) दिल्ली के बाहरी तथा अन्य क्षेत्र जहां सामान्यतः अपराधियों के विद्यमान होने की संभावना होती है वहां विशेष हथियारबंद गश्त लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त सामरिक महत्व के स्थानों पर घुड़सवार पुलिस की गश्त तथा "नाकाबंदी" आयोजित की जाती है।

(v) बच्चों के अपहरण को रोकने के साथ ही आरक्षित तथा निरीक्षित बच्चों को पकड़ने के लिए अपराध शाखा को खोये हुए व्यक्तियों को ढूंढने का दस्ता अपने कर्मचारियों को रेलवे स्टेशन समेत विभिन्न स्थानों में तैनात करता है।

(vi) अपराधियों के छिपने के स्थानों पर छापे मारे जाते हैं।

(vii) पुलिस कन्ट्रोल रूम के वाहनों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से रातदिन गश्त लगाई जाती है, इसका तात्पर्य सहायता के लिए किए गये आवाहन पर स्थानीय पुलिस की स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने तक तुरन्त कार्यवाही करके जनता के विश्वास को सुदृढ़ करने के लिये सूचना को तुरन्त एकत्रित तथा प्रसार को सुनिश्चित करना है।

(viii) जब कभी किसी विशिष्ट क्षेत्र में चोरी के मामलों की घटनाओं में वृद्धि होती है तो उस क्षेत्र में वायरलेस युक्त मोटर साइकिलों तथा वायरलेस युक्त पैदल गश्ती दलों के विशेष गश्ती दल उस क्षेत्र में तैनात किए जाते हैं।

(ix) रात की गश्त तेज करने के लिए होम गार्डों की सेवायें भी प्राप्त की जाती हैं।

दंगा-फसाद पर नियंत्रण करने के लिए राज्यों को नये अश्रु गैस ग्रेनेड सप्लाई करना

1529. **श्री वी० मायावन :**

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नये 3-वे अश्रुगैस ग्रेनेड का विकास किया गया है, जिससे पुलिस को बड़े क्षेत्र में दंगा-फ़साद पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को इस किस्म के अश्रुगैस ग्रेनेड सप्लाई कर दिये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकारों को मैदानी परीक्षण के लिये ग्रेनेड देने के प्रबंध किये जा रहे हैं।

राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली पर हुई दुर्घटना में कुमारी पेट्रिशिया की मृत्यु

1530. श्री शशि भूषण :

कुमारी कमला कुमारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 जुलाई, 1973 को रात्रि के समय राजेन्द्र प्रसाद रोड पर एक सड़क दुर्घटना में कोलम्बिया ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के कैमरामैन श्री एस० एम० लाल की साऊंड रिकार्डिंग असिस्टैंट कुमारी पेट्रिशिया की मृत्यु हो गई थी और श्री एस० एम० लाल घायल हो गये थे ;

(ख) क्या पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने पर श्री लाल ने पुलिस को कुमारी पेट्रिशिया को वहां से हटाने नहीं दिया जो उस समय जीवित थी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री बलराज मधोक को बुलाने पर जोर देता रहा और वह स्वयं भी कार से बाहर नहीं निकला ;

(ग) उक्त दुर्घटना कब हुई थी, वहां पुलिस कब पहुंची, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री बलराज मधोक को कब बुलाया गया था और वे घटनास्थल पर कब पहुंचे थे ; और

(घ) पुलिस द्वारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतीक्षा किये जाने और कुमारी पेट्रिशिया को अस्पताल मे ले जाये जाने के क्या कारण थे जबकि उसकी वहीं मृत्यु हो गई और श्री वाजपेयी को दुर्घटना की विलम्ब से सूचना दिये जाने के क्या कारण थे ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) : जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने तक कुमारी पैट्रिशिया मर चुकी थी । श्री एस० एम० लाल ने कुमारी पैट्रिशिया का पार्थिव शरीर लाश-घर में ले जाने का विरोध किया। उन्होंने आग्रह किया कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाना चाहिए । उन्होंने श्री बल राज मधोक की उपस्थिति के लिए नहीं कहा । वे मद्यसार के नशे के प्रभाव में थे और पुलिस की गाड़ी मे अस्पताल जाने के लिए इन्कार कर दिया ।

(ग) दुर्घटना दिनांक 8-7-1973 को लगभग 11 बजे रात को घटी । पुलिस 11 बज कर 22 मिनट में वहां पहुंची । पुलिस ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी अथवा श्री बलराज मधोक किसी को भी नहीं बुलाया । किन्तु श्री अटल बिहारी वाजपेयी आधी रात के तुरन्त बाद वहा पहुंचे ।

(घ) पुलिस ने न तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया और न ही उनकी प्रतीक्षा की । पुलिस के घटना-स्थल पर पहुंचने के पूर्व कुमारी पैट्रिशिया की मृत्यु हो चुकी थी । कुमारी पैट्रिशिया का पार्थिव शरीर पुलिस द्वारा कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात उठाया गया था ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में कर्मचारियों के वेतन की बकाया राशि की अदायगी

1531. श्री शशि भूषण : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1960 के बजाय 1 जुलाई, 1959 से वेतनमानों के पुनरीक्षण के लिए दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों के देय 6 महीने के वेतन की बकाया राशि की अदायगी के लिए उक्त निगम के कर्मचारियों ने प्रबंधकों को बार बार अभ्यावेदन दिए हैं ;

(ख) क्या वेतन और अन्य भत्तों के मामले में उक्त निगम के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर माना जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के प्रबंध कों द्वारा अपने कर्मचारियों को छः महीनों के वेतन की बकाया राशि की अदायगी न करने के क्या कारण हैं और कर्मचारियों को उनकी उक्त राशि के शीघ्र अदायगी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमानअन्सारी) : (क) द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर जो सरकारी क्षेत्र के कम्पनियों के लिये अनिवार्य नहीं थी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० के निदेशक मण्डल द्वारा 23 जून 1961 की बैठक मे विचार किया गया था जब यह निर्णय किया गया था कि निगम के कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान 1 जुलाई, 1959 की बजाय 1 जनवरी, 1960 से लागू किये जायें। मामले पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के प्रबंध कों और पी० टी० सी०एम्पलाईज युनियन के बीच 11-4-1968 को विचार विमर्श किया गया था जब यह तय किया गया था कि युनियन इसके लिये और जोर नहीं देगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में जनसंघ सत्याग्रह के दौरान पथराव से घायल हुए व्यक्तियों की संख्या

1532 **श्री शशि भूषण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र मे हाल के साम्प्रदायिक दंगों के पश्चात जनसंघ सत्याग्रह के सिलसिले में पथराव के परिणामस्वरूप कुल कितने व्यक्ति घायल हुए ; और

(ख) पथराव के सिलसिले मे कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली मे 16 और 17 जून, 1973 को पथराव के परिणामस्वरूप 11 व्यक्ति घायल हुए थे। इस सम्बन्ध में दो मामले दर्ज किये गये और 124 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

पी टी डी ओखला, नई दिल्ली में मंत्रालयी कर्मचारियों के कार्य के समय को युक्तिसंगत बनाना

1533. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने कर्मचारी संघ को 1968 मे यह आश्वासन दिया था कि प्रोटोटाइप डिवेल्पमेंट एण्ड ट्रेनिंग सैन्टर, ओखला नई दिल्ली में मंत्रालयी कर्मचारियों, जो निर्धारित समय से अधिक घण्टे कार्य करते हैं, के कार्य के समय को युक्ति संगत बनाने की मांग को शीघ्र ही मान लिया जाएगा अथवा उन्हें प्रबंधकों द्वारा उचित मुआवजा दिया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की न्यायोचित मांग को अबतक स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) कर्मचारियों की यूनियन को नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि० के प्रबन्धकों द्वारा यह संकेत दिया गया था कि इस बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। यह निश्चय किया गया था कि तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय होने तक प्रतीक्षा की जाय क्यों कि वेतन आयोग यथा स्थिति रखाने के पक्ष म हैं।

Rural Engineering Service Scheme for Madhya Pradesh to Make panchayati Raj a success

1534 **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have sent to his Ministry a rural engineering service scheme on the 9th June, 1973 for making the Panchayati Raj a succes s and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

Employment for Educated unemployed

1535. Shri Nathu Ram Ahirwar :

Shri M. Ram Gopal Reddy :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the number of educated persons provided with employment during the last six months;

(b) the percentage of educated unemployed persons provided with employment under the scheme; and

(c) the reasons for not achieving the target of providing jobs to five lakhs?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c) Presumably the Hon'ble Member is referring to the Half a Million Jobs Programme which has been taken up during the current financial year viz., 1973-74 to provide jobs to 5 lakhs educated unemployed.

The Half a Million Jobs Programme has been taken up only from April, 1973 and the employment schemes formulated by the various States and Union Territories have been cleared for implementation by the Planning Commission. Implementation of the various schemes has commenced. It will take some more time before details of physical progress are available. The programme for which an allocation of Rs. 100 crores has been made in the Central Budget aims at securing employment opportunities for 5,00,000 educated persons by March 1974. It will be too early to make any assessment at this stage.

Constitution of Joint Bundelkhand Development Board

1536. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether a meeting of Chief Ministers of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh had been held in April, 1972 under the Chairmanship of the Prime Minister for constituting the Samyukta Bundelkhand Vikas Board (Joint Bundelkhand Development Board);

(b) whether the Prime Minister had urged the Chief Minister of both the States to constitute the said Board at an early date; and

(c) if so, whether the Board has been constituted, if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c) In the Ninth meeting of the Central Zonal Council held on July 10, 1972, under the Chairmanship of the Prime Minister, it was decided that a Joint Coordination Committee of U.P. and Madhya Pradesh should be set up with the concerned officer of the Planning Commission as the Chairman for coordinating the development of Bundelkhand Region. Accordingly a Joint Coordination Committee for Bundelkhand area has already been constituted

Commemorative Postal Stamps in memory of Dr. Shyama Prasad Mukherjee

1537. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether a demand has been made for issue of commemorative postal stamps in memory of Dr. Shyama Prasad Mukherjee; and

(b) if so, the time by which a final decision is likely to be taken by Government in this regard?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes, Sir.

(b) The proposal will be placed before the philatelic Advisory Committee when it meets next to recommend issue of commemorative stamps for 1974. This meeting of the Advisory Committee is likely to take place sometime in October 1973.

Recovery of Cartridges of 410 Bore Foreign Rifle from a Person in Chanakayapuri, New Delhi

1538. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether cartridges of 410 bore foreign rifle were recovered in large quantity from a person in Chanakayapuri area of New Delhi in the last week of June, 1973; and

(b) the action taken against the person concerned in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes Sir; 75 cartridges of 410 bore were seized by the staff of Chanakyapuri Police Station in the night intervening between 25th and 26th June, 1973.

(b) The cartridges were seized, and the accused was arrested.

औद्योगिक कारखानों में अनुसन्धान के लिए उपस्कर लगाया जाना

1539. चौधरी राम प्रकाश :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक कारखानों में अनुसन्धान के लिए उप-कर लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) यह प्रस्ताव वज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा रखा गया है।

(ख) मुख्यतया, अनुसंधान और विकास का यह प्रस्तावित उप-कर राजकीय और निजी क्षेत्र के औद्योगिक एककों पर एक वर्गीकृत आधार पर लगाया जायेगा। उससे प्राप्त धन का उपयोग देश के अग्रता वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्यों के कार्यान्वयन के लिए किया जायगा।

Complaints Regarding award of Tamrapatra to wrong persons

1540. Shri M. S. Purty :

Shri Dharamrao Sharannappa Afzalpurkar :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints to the effect that Tamra Patras have been awarded in some States to such persons who never took part in the freedom struggle ignoring the rightful claimants thereof; and

(b) if so, whether to get the position clarified, Government have constituted any Committee which would recommend the names of rightful claimants only for awarding Tamra Patras and if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) and (b) A few such complaints have been received and they have been forwarded to the State Governments/Union Territory Administrations concerned to investigate through appropriate agencies and report. Suitable action will be taken on receipt of these reports. At present there is no proposal to set up a committee for this purpose.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आई० सी० एस०, आइ० ए० एस०, आई० पी० एस० तथा भारतीय वन सेवा अधिकारी

1541. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आई० सी० एस०, आई० ए० एस० आई० पी० एस० तथा भारत वन सेवा के कुल कितने अधिकारी हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। कुछ संवर्गों से सम्बन्धित सूचना को एकत्रित किया जा रहा है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

1 जुलाई, 1973 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आई० ए० एस० (उस सेवा के आई० सी० एस० सदस्यों सहित) आई० पी० एल० तथा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

सेवा	सदस्यों की संख्या		योग
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
1	2	3	4
आई० ए० एस० (उस सेवा के आई० सी० एस० सदस्यों सहित)	180	78	258
आई० पी० एस० . .	92	29	121
भारतीय वन सेवा	15	9	24

टिप्पणी:—आई० ए० एस० के आंकड़ों में राज्य/बिहार के संयुक्त संवर्गों, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है; आई० पी० एस० के आंकड़ों में राज्य/जम्मू एवं कश्मीर के संयुक्त संवर्गों, मणिपुर-त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है; भारतीय वन सेवा के आंकड़ों में राज्य/बिहार के संयुक्त संवर्गों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर-त्रिपुरा, नागालैंड, तमिल नाडू तथा उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है।

Influx of Bihari Muslim from Bangla Desh into India

1542. **Shri M. S. Purty** :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some Bihari Muslims have crossed over from Bangladesh to India also;

(b) if so, the number thereof; and

(c) whether some of them have been arrested while crossing over to Nepal?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Up-to-date information is being ascertained from the State Governments/ Union Territory Administrations concerned.

फिल्म परिषद की स्थापना का प्रस्ताव

1543. **श्री नवल किशोर सिंह :**
श्री वी० मायावन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म उद्योग को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का फिल्म परिषद स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) फिल्म परिषद की कब तक स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है और प्रस्तावित फिल्म परिषद में किन-किन व्यक्तियों को रखा जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) फिल्म परिषद की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

भारत सरकार के प्रतिनिधि, श्री पार्थसार्थी तथा जनमतसंग्रह मोर्चे के नेता शेख अब्दुल्ला के बीच वार्ता में प्रगति

1544. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के प्रतिनिधि, श्री पार्थासार्थी तथा काश्मीर में जनमतसंग्रह मोर्चे के नेता शेख अबदुल्ला के बीच चल रही वार्ता में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस वार्ता का वास्तविक स्वरूप तथा उद्देश्य क्या है और उद्देश्य प्राप्ति में कहां तक सफलता मिली है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): (क) और (ख) श्री जी० पार्थासार्थी और शेख अबदुल्ला द्वारा नामित श्री अफजल बेग के मध्य वार्ता जो शेख अबदुल्ला के वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए कि वे भारत में जम्मू तथा कश्मीर राज्य के विलय के लिये अपने आपको वचनबद्ध मानते हैं, शुरू हुई थी जारी है। अभी तक कोई विशेष प्रस्ताव सामने नहीं आये हैं।

राजधानी के लिए नयी व्यवस्था

1545. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के लिए नयी व्यवस्था करने के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु सरकार कुछ समय से दिल्ली में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कार्यों का पुनर्विलोकन कर रही है ;

(ख) क्या राजधानी में कार्यकारी परिषद को, विभिन्न राज्य सरकारों के मंत्रिमंडलों के समकक्ष बनाकर अधिक प्रतिनिधि तथा लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने का विचार है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है और प्रस्तावित नयी व्यवस्था की मोटी बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन):(क) से (ग) सरकार दिल्ली में सरकारी तथा नगरीय एजेंसियों के कार्यों का लगातार पुनर्विलोकन करती है। इस समय दिल्ली की कार्यकारी परिषद को, राज्य सरकारों के मंत्रिमंडलों के समकक्ष बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु दिल्ली परिवहन निगम का एक अधिनियमित निगम बनाया है और विद्युत, जल प्रदाय तथा मल निकास के लिए ऐसी ही कार्यवाही अलग से विचाराधिन हैं।

पिछडे क्षेत्रों का विकास

1546. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पिछड़े क्षेत्रों के नाम क्या हैं ;

(ख) इन क्षेत्रों, विशेषकर हरियाणा, उत्तर बिहार और उड़ीसा में, के विकास के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता दिए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्य सरकारों द्वारा अभिनिर्धारित पिछड़े क्षेत्रों की सूची संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5270/73**।]

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही पर, इस समय राज्य सरकारों और योजना आयोग के प्रतिनिधियों के मध्य विचार-विमर्श किया जा रहा है। ये विचार-विमर्श राज्य सरकारों के पांचवी पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों के प्रारूपों पर हो रहे विचार-विमर्शों के साथ-साथ किए जा रहे हैं।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी, इस बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में डाक वितरण प्रणाली

1547. **श्री परिपूर्णानंद पैन्यूली** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या उत्तर प्रदेश के कुछ पर्वतीय भागों, विशषतया टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी तथा चमोली में डाक वितरण प्रणाली दोषपूर्ण है और पुरोला तथा भासवाड़ी खंडों में डाक का सामान्य वितरण 15, 20 दिन में किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो सीमा क्षेत्रों में डाक सेवा में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ताकि लोगों की असुविधायें दूर हो सकें ; और

(ग) क्या पर्वतीय क्षेत्रों की टेलीफोन सेवा में भी ऐसे ही सुधार करने पर विचार किया जा रहा है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगणा) : (क) (i) जी नहीं।

(ii) टेहरी जिले के पुरोला और भटवाड़ी खंडों के नियमित डाकघरों से डाक के वितरण में 5 से 10 दिन तक का समय लग जाता है। तथापि, जिन गांवों में मौसमी डाकघरों से डाक सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उनमें मौसमी डाकघरों के बंद हो जाने पर डाक के वितरण में 10 से 15 दिन तक का समय लग जाता है।

(ख) मौजूदा डाक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया जा रहा है और जहां भी उचित समझा जाएगा इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

(ग) पहाड़ी इलाकों में टेलीफोन और तार की सेवाओं में सुधार लाने के लिए विशेष महत्व देते हुए एक इंजीनियरी डिवीजन बनाया गया है। इसका मुख्यालय श्रीनगर (पौड़ी) में है। वहां पर एक डिवीजनल इंजीनियर, तार को पहले ही तैनात किया जा चुका है।

भारत आफथैलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापर में अप्रयुक्त प्रद्रावण भट्टियां

1548. श्री रोबिन सेन : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि भारत आफथैलमिक ग्लास लिमिटेट, दुर्गापुर की मुख्य प्रद्रावण भट्टियां खराबी के कारण बेकार पड़ी रहती हैं और फरनेस पार्टस् में भी तकनीकी दोष होने के कारण प्रबन्धक श्रमिकों को आवश्यक सामग्री सप्लाई नहीं कर पाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत आफथैलमिक ग्लास लि० दुर्गापुर की प्रद्रावण (मोल्टिंग) भट्टियां खराबी के कारण बेकार नहीं पड़ी हैं। किन्तु बार बार बिजली चली जाने के कारण चीनी मिट्टी के बर्तन तापीय झटकों को सहन नहीं कर पाते हैं जिसके फलस्वरूप प्रद्रावण भटिटयां अस्थायी तौर पर नहीं चल पाती हैं।

तापीय झटकों के फलस्वरूप चीनी मिट्टी के बर्तनों के चिटक जाने के कारण आफथलमिक कांच के उत्पादन के लिये अपेक्षित कच्चे कांच के उत्पादन पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है ।

इस आकस्मिकता को दूर करने के लिये निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किये गये हैं :—

(1) 200 किलोवाट की क्षमता के एक डीजल जनरेटिंग सेट के लिये क्रयादेश दिया गया है ताकि बिजली खराब हो जाने के समय इसे चलाया जा सके और बर्तनों को गर्मी पहुंचाने और उन्हें सुखाने की भट्टियों का कार्य जो विद्युत् द्वारा किया जाता है बिना किसी अन्तर्बाधा के चलता रहे तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों को तापीय झटकों से बचाया जा सके।

(2) चीनी मिट्टी के बर्तनों को गर्मी पहुंचाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिये जिससे बर्तनों को प्रद्रावण भट्टियों तक नियमित रूप से पहुंचाया जा सके, दो अतिरिक्त भट्टियों का निर्माण किया जा रहा है।

(3) चीनी मिट्टी के बर्तनों की तापीय स्थिरता बढ़ाने की दृष्टि से सेंट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जादवपुर के साथ एक संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया गया है।

भारत आफथैलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का विस्तार

1549. श्री रोबिन सेन : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत आफथैलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के संयंत्र का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) आफथलमिक ग्लास की बढ़ती हुई मांग को पुरा करने के लिये 1.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रतिवर्ष 800 मी० टन आफथलमिक ग्लास तैयार करने की क्षमता की एक कन्टीन्युअस टैंक फरनेस लगाने का एक प्रस्ताव विचाराधिन है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं की प्रगति

1550. **श्री राजदेव सिंह** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 वर्ष पूर्व आरम्भ की गई केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का एक तिहाई क्षेत्र भी नहीं लिया जा सका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान समय सारिणी के अन्तर्गत इन परियोजनाओं के समस्त राज्य में फैलने में 25 वर्ष से भी अधिक की अवधि लगेगी ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में पिछड़े हुए क्षेत्रों के जिलों को प्राथमिकता दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक करीब 23.2 प्र० श० क्षेत्र आ जायेंगे। अधिकाधिक साधन उपलब्ध होने पर यह आशा की जाती है कि राज्य में और अधिक सहयोग उद्योग स्थापित किये जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश सहित समूचे देश में और अधिक ग्रामीण उद्योग स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) इन कार्यक्रम के लिये क्षेत्र का चुनाव करते समय पिछड़े क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिजली की कमी के कारण हैदराबाद के निकट परमाणु ईंधन कारखानों में संयंत्रों का बन्द किया जाना

1551. **श्री राजदेव सिंह** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैद्राबाद के निकट स्थित परमाणु ईन्धन कारखानों में बिजली और पानी की कमी के कारण अधिकतम उत्पादन नहीं हो सका;

(ख) क्या कारखानों में कुछ संयंत्र बन्द पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार से बिजली की कमी को दूर करने के लिये अनुरोध न करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि नाभिकीय इंधन सम्मिश्र के संयंत्र को बन्द नहीं किया गया था, तथापि उनसे होने वाले उत्पादन में बहुत अधिक कमी लानी पड़ी थी।

(ग) नाभिकीय इंधन सम्मिश्र को बिजली तथा पानी की पूरी सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार से अनेक बार अनुरोध किया गया था किन्तु क्योंकि पानी और बिजली की कमी बहुत ज्यादा थी, इसलिए राज्य सरकार इस दिशा में अधिक सहायता नहीं कर सकी।

मुद्रा स्फीति का पांचवीं योजना पर प्रभाव

1552. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के मुख्य उद्देश्यों अर्थात् असमानता में कमी और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर अर्थ व्यवस्था में मुद्रा स्फीति प्रवृत्तियों का कहां तक प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ; और

(ख) सरकार ने गत छः महीनों में क्या मुद्रा स्फीति विरोधी कार्यवाही की है ; और इसके क्या परिणाम निकले ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) असमानता घटाने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के आधारभूत उद्देश्यों को नहीं छोड़ा जायेगा।

(ख) स्फीतिकारी दबावों पर रोक लगाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने अनेक राजकोषीय, वित्तीय और प्रशासनिक उपाय अपनाए हैं। इन में ये उपाय आते हैं :—

(1) आयातों द्वारा अनिवार्य उपभोक्ता सामान की उपलब्धि बढ़ाना तथा उच्च देशी उत्पादन का कार्यक्रम ;

(2) ग्रामीण क्षेत्रों तथा दुर्गम क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें खोलकर तथा रियायती मूल्यों पर मुख्य अनाज अधिक मात्रा में सुलभ कर अधिक से अधिक लोगों और खासकर समाज के कमजोर वर्ग को अनाज उपलब्ध करना ;

(3) मूल्य और वितरण पर नियंत्रण लगाकर उचित मूल्यों पर आवश्यक उपभोक्ता सामान का समान वितरण ;

(4) सरकारी खर्च खासकर गैर-विकास खर्च में मितव्ययिता अपनाना ताकि घाटे की वित्त-व्यवस्था में आवश्यक कमी करने के साथ-साथ अर्थ-व्यवस्था में सुलभ, अधिक क्रयशक्ति पर बंदिश लगाई जा सके ;

(5) मई 30, 1973 से बैंक की दर को 6 से 7 प्रतिशत बढाकर तथा उद्योग व व्यापार को बैंक द्वारा दिए जाने वाले अग्रिम धन पर अधिक ब्याज लेकर बैंक से लिए जाने वाले ऋण की लागत में बढ़ोतरी करना ;

(6) रिज़र्व अनुपात तथा शुद्ध द्रवत्व (लिक्विडिटी) अनुपात को बढ़ाकर और वास्तविक उत्पादन आवश्यकताओं तक ऋण को सीमितकर आदि तरीकों से बैंक से उपलब्ध होने वाले अग्रिम धनों को घटाने के लिए अपनाए जाने वाले विनियमन उपायों को सुदृढ़ करना।

इन उपायों का प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है। बहरहाल, परिणाम के रूप में इन उपायों का प्रभाव परिलक्षित करना बहुत कठिन है।

सरकारी कार्यालयों में फाइलोंका जमा हो जाना

1553. श्री वसंत साठे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मई, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" (नगर संस्करण) में 'फाइल एक्सप्लोजन पोजिंग स्पेस प्रोब्लम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सरकार ने रिपोर्ट देखी है। ऐसी फाइलों के, जिनकी उपयोगिता नहीं रही है, लगातार जमा होते रहने से उत्पन्न हुई समस्या पर सरकार द्वारा समय-समय पर विचार किया जाता रहा है मंत्रिमण्डल सचिवालय का संगठन और पद्धति प्रभाग और बाद में प्रशासनिक सुधार विभाग इस समस्याकी ओर ध्यान देने के लिए मंत्रालयों से आग्रह करता रहा है। इस प्रकार का अधुनातन प्रयत्न

1969-71 में किया गया था जबकि इस मामले पर मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में आयोजित कई बैठकों में विचार किया गया। इन समीक्षाओं के आधार पर मंत्रालयों में काफी उच्च स्तर पर निरन्तर निगरानी की जाती है।

'दि मैनुअल आफ आफिस प्रोसीजर' की हाल ही में समीक्षा की गई है और उसमें कई नए फीचर सम्मिलित किये गये हैं जिससे कि केन्द्रीय सचिवालय के कार्य के इस पहलू पर बल दिया जा सके।

विशिष्ट वर्ग के अभिलेखों (अर्थात् ऐसे अभिलेख जो मंत्रालयों/विभागों के समान हित के विषयों से सम्बन्धित हैं) को सुरक्षित रखने के लिए 1963 में निर्धारित की गई अवधि की भी इस वर्ष समीक्षा की गई है।

आन्ध्र प्रदेश के लिए पांचवी योजना

1555. **श्री पी० वेंकटासुब्बय्या** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश को पांचवीं योजना के दौरान आबंटित की जाने वाली धनराशि को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं। आन्ध्र सरकार द्वारा प्रस्तुत पांचवीं योजना प्रस्तावों के प्रारूप पर अभी योजना आयोग में विचार किया जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में अडोनी तेनाली और कडप्पा में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली के बारे में जांच

1556. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में अडोनी, तेनाली और कडप्पा में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली के बारे में जाच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सुचना के अनुसार कडप्पा में पुलिस द्वारा गोली चलाने की जांच करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था। इसका कार्यकाल 31-7-73 तक बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त हाल मे मुल्की नियम आन्दोलन के दौरान पुलिस, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस तथा सेना द्वारा गोली चलाने के 62 मामलों के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए गए हैं। तेनाली (में 21-11-72 को), नरसापुर (पश्चिमी गोदावरी) में पालाकोल (पश्चिमी गोदावरी), ओंगोले (मे 21-11-72 तथा 22-11-72) (प्रकाशम जिला), तथा चिराला (प्रकाशम जिला), इलूरू, विजयवाडा तथा गुन्तूर में गोली चलाने के सम्बन्ध में अब तक रिपोर्ट मिल गई हैं। तेनाली, इलूरू, बिजयवाड़ा तथा गुन्तुर में गोली चलाने की रिपोर्टों की जांच हो रही है। नरसापुर (पश्चिमी गोदावरी), पालाकोल (पश्चिमी गोदावरी), ओंगोले (में 21-11-72 तथा 22-11-72 को) (प्रकाशम जिला), तथा चिराला (प्रकाशम जिला) के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार गोली चलाना उचित था। राज्य सरकार ने निष्कर्षों को स्वीकार किया है।

अदोनी समेत शेष घटनाओं के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट अभी आनी है।

सूर्यपेट में शराब पीने से हुई दुखान्त घटनाओं की जांच करने वाली एक सदस्यीय समिति का प्रतिवेदन

1557. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सूर्यपेट में शराब पीने से हुई दुखान्त घटनाओं की जांच करने वाली एक सदस्यीय समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) क्या किसी व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना आन्ध्र प्रदेश सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये दण्ड प्रक्रिया को सरल बनाने की योजना

1558. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भ्रष्टाचार के शीघ्रता और प्रभावशाली ढंग से उन्मुलन के लिये दण्ड प्रक्रिया को सरल बनाने के बारे में एक योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सरकार अनुशासनिक मामलों को शीघ्रता से निपटाये जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जागरूक है और तत्सम्बधित नियमों की प्राय: पुनरीक्षा की जाती है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले आचरण तथा अनुशासनिक नियमों की भ्रष्टाचार निरोध समिति ने पुनरीक्षा की थी और उस समिति की सिफारिशों को ध्यान मे रखते हुए इन नियमों को संशोधित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, इन नियमों को यथासम्भव, सरल तथा युक्तियुक्त बना दिया गया है। विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर करना तथा दस्तावेजों का पेश किया जाना) अधिनियम, 1972 को अधिनियमित किया जाना इस दिशा में दूसरा उपाय है।

कलकत्ता में टेलीविजन केन्द्र

1559. श्री रानेन सेन :

श्री त्रिदिब चौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते में जनवरी, 1974 में टेलीविजन केन्द्र स्थापित किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थायी भवन का निर्माण होने तक टेलीविजन कार्यक्रम दिखाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्थाई टेलीविजन भवन का निर्माण होने तक कार्यक्रमों को समय से पूर्व टेलीकास्ट करने के लिये राज्य सरकार के परामर्श से अन्तरिम व्यवस्था की जा रही है।

मद्रास में टेलीविजन केन्द्र

1560. श्री एम० कल्याण सुंदरम : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मद्रास में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) यह केन्द्र अपना कार्य आरम्भ करने के लिये कब तक बन कर पूरा हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) टेलीविजन केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है और सिविल निर्माण कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा। उसके बाद उपकरण लगाने का कार्य हाथ में लिया जायेगा। आशा है केन्द्र चालू होने के लिये लगभग 1974 के अन्त तक तैयार हो जायेगा। अब तक बुक हुआ व्यय 88 लाख 55 हजार रुपये है।

आकाशवाणी के त्रिचनापल्ली केन्द्र का दर्जा बढ़ाया जाना

1561. श्री एम० कल्याण सुन्दरम : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी के त्रिचनापल्ली केन्द्र का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बात क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन एक्सचेंज के लिए दोष पुर्ण क्रास बार उपकरण सप्लाई करने के लिए मुआवजा

1562. श्री त्रिदिब चौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन टेलीफोन्स के लिए दोष पूर्ण क्रास-बार टेलीफोन एक्सचेंज उपकरण सप्लाई किये जाने के लिए सरकार ने बैल टेलीफोन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी से कितना मुआवजा मांगा है तथा उपकरण में सुधार करने के लिए कम्पनी कितना मुआवजा देने को सहमत हुई है ;

(ख) उपकरण में सुधार कार्य कुब तक पूरा हो जाएगा तथा इस पर कुल कितनी लागत आएगी; और

(ग) क्या उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिये कोई विभागीय स्तर अथवा अन्य स्तर पर जांच कराई गई है जिनके अन्तर्गत क्रास-बार उपकरण की सप्लाई के लिए बी० टी० एम० को ठेका दिया गया ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) मेसर्स बेल टेलीफोन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी ने क्रास-बार एक्सचेंज उपस्कर के जो दोषपूर्ण सहायक उपकरण सप्लाई किए थे, उन उपकरणों के खराब पुर्जों को बदलने के लिए अच्छे पुर्जे मुफ्त सप्लाई किए हैं। इन पुर्जों में संशोधन करने के लिए जो कारीगर

काम पर लगाए जाएंगे, उनका खर्च बर्दाश्त करने के लिए भी सिद्धांत रूप से उपर्युक्त कम्पनी ने अपनी सहमति प्रकट की है। चूंकि संशोधन का यह कार्य चल रहा है, इसलिए जब यह कार्य पूरा हो जाएगा, तब ही यह निश्चित हो पाएगा कि इस कार्य में कितनी रकम खर्च हुई है।

(ख) मेसर्स बेल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी ने दिल्ली और मद्रास के एक्सचेंजों के लिए जो क्रास-बार एक्सचेंज उपस्कर सप्लाई किए थे, उनकी खराबियां दूर करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है उसमें करीब एक साल लगाने का अनुमान है। बम्बई के एक्सचेंजों की खराबीयां दूर होनेमें करीब 18 महीने लगने की सम्भावना है। चूंकि खराबी दूर करने का काम चालू एक्सचजों मे किया जाता है और यह काम बहुत ही नाजुक प्रकार का है, इसलिए यह काम पूरा होने के बारे मे जो समय ऊपर बताया गया है वह सिर्फ अन्दाज से बताया गया है। खराबियां दूर करने मे जो प्रगति हो रही है, उस पर बराबर नजर रखी जा रही है। जैसा कि ऊपर (क) के उत्तर मे बताया गया है, खराबियां दूर होने में कुल कितना खर्च आएगा, यह रकम अभी निश्चित नहीं हुई है।

(ग) ऐसी कोई जांच नहीं की गई है। क्रास-बार एक्सचेंज उपस्कर की सप्लाई के लिए तमाम देशों से टेंडर मंगाए गए थे। इन टेंडरों की बखूबी छान-बीन करने के बाद ही मेसर्स बेल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को यह उपस्कर सप्लाई करने के आर्डर दिए गए थे।

आदिवासी लडकियों में वेश्यावृत्ति कराने वाले एक व्यभिचारी गिरोह का उडीसा पुलिस द्वारा पता लगाया जाना

1563. श्री झारखण्डे राय :

श्री नरेन्द्रकुमार सांधी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मयूरभंज जिले में गुरभुसहानी और बादमपहाड़ आदिवासी क्षेत्रों से गुम हुई लड़कियों के मामले की जांच करते समय उड़ीसा पुलिस की अपराध शाखा ने आदिवासी लड़कियों में वेश्यावृत्ति कराने वाले एक संगठित व्यभिचारी गिरोह का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के दौरान किन तथ्यों का पता लगा और इस गिरोह के काम करने का तरीका क्या था ;

(ग) क्या गुमशुदा लड़कियां इस बीच बरामद करली गई हैं; और

(घ) क्या अपराधियों का पता लगा लिया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना उड़ीसा सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली में बच्चों को उठा कर ले जाने के मामले

1564 श्री झारखण्डे राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करगे क :

(क) क्या हाल के महीनों में दिल्ली में बच्चे उठा कर ले जाने की घटनाएं बढ़ गई हैं ;

(ख) क्या यह शंका सही है कि बच्चों की देश के बाहर तस्करी की जाती है और पश्चिम एशिया तथा अरब देशों में उन्हें गुलामों के रूप में बेचा जाता है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) राजधानी में बच्चे उठा कर ले जाने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् । सन 1973 की द्वितीय तिमाही में कुछ वृद्धि हुई है जबकि वर्ष की प्रथम की तिमाही में 16 मामलों की अपेक्षा ऐसे 25 मामलों की रिपोर्ट दी गई थी ।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है ।

(घ) सादे कपड़ों में तथा वर्दी में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है । वायरलेस युक्त मोटर सायकल तथा सायकल गश्त बढ़ाई गई है । बच्चों का अपहरण करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है । 1973 की दूसरी तिमाही मे अपहरण किए गए 26 बच्चों में से 22 बरामद किए गए तथा उनके माता पिता/अभिवाहकों को सौंपे गये । वर्ष की प्रथम की तिमाही में 17 अपहृत बच्चों में से 15 बच्चों को बरामद किया गया और सौंप दिया गया ।

Cutting of the Water Pipeline of Fire Brigade by Rioters during Communal Riots in Sadar Bazar, Delhi

1566. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether the press report that the rioters during Communal riots in Sadar Bazar, Delhi had cut off the water pipeline of the fire brigade so that the fire could not be extinguished is true ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri R. N. Mirdha) : No, Sir. However, the fire bridgade experienced some difficulty in reaching the place of fire because of the presence of mobs indulging in violent activities on the routes which it had to pass.

Loss of Life and property due to Communal Riots in Sadar Bazar, Delhi

1567. Shri Shiv Kumar Shastri :

Shri M. C. Daga :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the extent of loss of life and property suffered as a result of communal riots that took place in Sadar Bazar area of Delhi recently ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : Attention is invited to the reply given to Unstarred Question No. 425, dated the 25th July, 1973.

Provision of facilities for Fan and Lavatory in the room where undertrials are Lodged

1568. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the undertrials, brought from Tihar Jail, Delhi for being produced before the courts are lodged in a small dark room having no fan and lavatory arrange ments, due to which they are forced to respond to the call of nature in the said room itself ; and

(b) if so, whether Government propose to take any steps to remedy the situation?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Disturbances in Delhi during bye-elections to Delhi Municipal Corporation

1569. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether violent disturbances broke out during the bye-elections to the Delhi Municipal Corporation at two places;

(b) the extent of loss suffered and the number of lives lost as a result of such disturbances;

(c) the number of persons arrested in this regard and the action taken against them; and

(d) the reasons for not making proper arrangement or for not taking action in time?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) According to the information received from Delhi Administration, some violent incidents took place during the bye-elections to the Delhi Municipal Corporation.

(b) No one was killed. However a jeep was damaged.

(c) 26 persons were arrested. While cases against 19 persons have been challaned, cases against 7 persons are under investigation.

(d) Adequate police arrangements were made. Preventive action was also taken and 24 persons were proceeded against under sections 107/151 Cr. P.C.

Utilisation of Amounts Allocated for Irrigation, Power and Industrial Development during Forth Plan

1570. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the targets fixed for irrigation, power and industrial development in the Fourth Five Year Plan would be achieved and the financial allocations made therefor would be fully utilised ; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See. No. L. T.* 5271/73.]

Books published and publicised to give encouragement to Small Industries

1571. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the names of the books published and publicised during the year 1972 to give encouragement to the small industries in the country and the total amount spent thereon and the number of copies of each book published ;

(b) the name of the persons who prepared the matter for these books and the basis on which the matter was prepared; and

(c) the number of people who wrote to the Central Information Department for the supply of those books ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) (a) A statement showing the names of the books published during 1972 and the number of copies printed is enclosed (Annexure I). [*Placed in Library. See No. L.T.*5272/73.] Information regarding the amount spent on publication of books is being collected and will be laid on the table of the House.

(b) The books were prepared by the Small Scale Industries Development Organisation and not by any particular individual. The books were prepared on the basis of experience gained, observations and the relevant literature available in the Office.

(c) There is no such department as the Central Information Department. The books prepared by the Small Scale Industries Development Organisation are generally supplied on their own to different Departments/Organisations and individuals and sometimes on request received from them.

Framing of Service Act for Central Government Employees

1572. **Shri M. C. Daga** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the reasons for not framing Service Act for the employees in the Central Government even after 25 years of independence;

(b) whether Government have so far been conducting their work by framing Service Rules under Article 309 of the Constitution of India; and

(c) if so, the time by which Service Act is likely to be enacted and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c) Article 309 of the Constitution provides for two alternative modes for prescribing the method of recruitment and conditions of service of Government Servants, namely :

(1) Legislation, and

(2) Presidential Regulations.

Similar provisions are contained in some other articles of the Constitution. When the Constitution provides for two alternative modes, it is not mandatory that one must be preferred to the other. The regulation-making power of the President of India under proviso to Article 309 cannot be said to be transitory or short-term and it is not obligatory on the part of the Government to sponsor legislation for regulating the conditions of service of Government servants. Public services in India have been largely governed by rules framed by Government because this facilitates periodic changes that are necessary to adjust the administration to the needs of a developing society. The Administrative Reforms Commission have also recommended that rules relating to the recruitment and other conditions of service of Government Employees serving the Union may continue to be made by the President in the exercise of his powers derived from the Constitution.

'केबल' उद्योग में एल्युमिनियम की कमी

1573. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल उद्योग डी० सी० ग्रेड एल्यूमीनियम की कमी के फलस्वरूप गम्भीर संकट का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो केबल उद्योग को डी० सी० ग्रेड एल्यूमीनियम सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) संभवत : माननीय सदस्य के मन में ई० सी० ग्रेड अल्यूमीनियम की बात है । देश में ई० सी० ग्रड अल्युमीनियम की वर्तमान कमी के फलस्वरूप केबलों के उत्पादन में कमी होने की संभावना है । फिर भी, अल्युमिनीयम के स्मेल्टरों में विद्युत सप्लाई में क्रमश: सुधार होने से ऐसी आशा है कि ई० सी० ग्रेड अल्युमीनियम का उत्पादन शीघ्र ही सामान्य हो जायेगा ।

राज्यों के लिए स्वायत्तता के बारे में संविधान में संशोधन के लिए तामिलनाडु सरकार के सुझाव

1574. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि राज्यों की स्वायत्तता सुरक्षित करने के लिए संविधान में अनेक संशोधन करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग और आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल द्वारा केन्द्र राज्य सम्बन्धों से संबंधित प्रश्न पर गहराई से विचार किया जा रहा है। प्रशासनिक सुधार आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केन्द्र राज्य सम्बन्धों को नियंत्रण करने वाले संविधान के उपबन्ध इस क्षेत्र में उत्पन्न किसी स्थिति का सामना करने के प्रयोजन के लिए अथवा किसी समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त है। केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की परीक्षा की जा रही है। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें, राज्य सरकारों के विचार तथा उनकी प्रतिक्रिया भी मांगी गई थी। अब तक मैसूर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सरकारों के विचार प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु सरकार ने विचार व्यक्त किए हैं कि राज्य स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए संविधान में अनेकों संशोधन करने आवश्यक हैं। तमिलनाडु सरकार के विचारों की अन्य सभी राज्य सरकारों से प्राप्त विचारों के साथ परीक्षा की जायेगी।

देश में आत्मसमर्पण करने वाले डाकुओं की संख्या

1575. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश के विभिन्न भागों में कुल कितने डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया :

(ख) उनमें से कितने डाकुओं पर मुकद्दमा चला है और उन्हें क्या सजा मिली है ; और

(ग) मुकद्दमे के दौरान उनके साथ यदि किसी प्रकार का तरजीही व्यवहार किया जाता है तो क्या किया जाता है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, दमन और दीव, मिजोराम, पांडिचेरी, लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदीवी, अन्दमान तथा निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवली की सरकारों / प्रशासनों से प्राप्त सूचना से ज्ञात होता है कि उनके क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान किसी डाकू ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। अन्य राज्यों से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायगी।

हैदराबाद मे टिटेनियम स्पंज संयंत्र

1576. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद में एक टिटेनियम स्पंज संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, यदि हां तो उसकी रुपरेखा क्या है ;

(ख) संयंत्र की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इस संयंत्र का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) वर्तमान में, हैदराबाद में कोई बड़े आकार का व्यावसायिक टाइटेनियम स्पंज संयंत्र लगाने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वहां एक प्रायोगिक आकार का टाइटेनियम स्पंज संयंत्र लगाया जा रहा है जिसकी उत्पादन क्षमता 7.5 मीटरिक टन की होगी। यह संयंत्र लगभग तैयार हो चुका है। इस संयंत्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एक टाइटेनियम स्पंज के उत्पादन में काम में आने वाली विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना है ताकि किसी ऐसी प्रक्रिया को चुना जा सके जिसका प्रयोग बाद में लगाये जा सकने वाले बड़े आकार के किसी संयंत्र में किया जा सके। इस प्रायोगिक संयंत्र पर लगभग 25.03 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसमें 4.20 लाख रुपयेकी विदेशी मुद्रा के संघटक भी शामिल है।

आकाशवाणी के रांची केन्द्र से व्यावसायिक प्रसारण सेवा आरम्भ करने का सुझाव

1577. कुमारी कमला कुमारी: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी के रांची केन्द्र से व्यावसायिक प्रसारण सेवा आरम्भ कर दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने वाणिज्यिक सेवा का रांची केन्द्र में विस्तार करने का प्रस्ताव मन्जूर कर लिया है। उम्मीद है इसको मार्च 1974 तक कार्यरूप दे दिया जायेगा। उपकरण खरीदने जैसा प्रारम्भिक कार्य पहले ही हाथ में लिया जा चुका है।

बिहार में सांप्रदायिक और चीन समर्थक समाचार पत्रों का परिचालन

1578. कुमारी कमला कुमारी : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कुछ साम्प्रदायिक और चीन समर्थक समाचार पत्र निकलते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) बिहार में कोई भी चीन समर्थित साम्प्रदायिक समाचार पत्र सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवी योजनावधि में बिहार में डाक, तार संबंधी सुविधाएं

1579. कुमारी कमला कुमारी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितने नये डाकघर खोले जाएंगे;

(ख) बिहार में पांचवीं योजनावधि में कितने डाकघर में टेलीफोन और तार भेजने संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी ; और

(ग) बिहार के डाकघरों का विकास करने हेतु योजना में कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में डाक सुविधाओं से संबंधित कार्यक्रमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। योजना का मसौदा योजना आयोग के पास उनको स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। योजना आयोग की स्वीकृति मिल जाने पर, हर एक सर्किल के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार के कितने डाकघरों में टेलीफोन और तार की सुविधाएं दी जाएंगी, इसकी संख्या अभी निश्चित नहीं की गई है। ये सुविधा नयें स्थानों पर इस शर्त पर दी जाएंगी कि इन से विभाग को फायदा हो अथवा ये सुविधाएं उन स्थानों पर दी जाएंगी जो इस संबंध में सरकार की नीति में निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

(ग) सदस्य संख्या (क) के संबंध में दिए गए उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

Facilities Provided to Freedom Fighters

1580. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether in addition to the pension scheme of the Central Government, some States and Union Territories have formulated certain new schemes to provide some other facilities to the freedom fighters in their States and Union territories; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) States and Union Territories have schemes and a few of these have been in existence for some time, relating, *inter alia*, to the grant of pensions, lump-sum grants for specific purposes, medical facilities to freedom fighters and their dependents, land grants on priority, educational concessions in schools and colleges to the dependents of the freedom fighters etc.

Allotment of Land to Freedom Fighters for Construction of Houses

1581. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a news item published in the newspapers is correct that Government have decided to give land to the freedom fighters for the construction of houses ; and

(b) if so, the main points of the decision taken in the matter and the time by which Government propose to implement it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) and (b) Information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

Grant of Pension to Freedom Fighters Amongst Members of Parliament And State Legislatures

1582. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the State wise number and names of the Members of Parliament and Members of the Legislatures who applied for freedom fighter's pension till the 30th June, 1973 ;

(b) the State-wise names of the persons who have been sanctioned pension ; and

(c) the time by which Government propose to take a decision on the remaining ones ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) A statement showing the names of Members of Parliament and State Legislatures with the States to which they belong is attached. [*Placed in Library See No. L.T.-5273/73.*]

(b) Pension has not been sanctioned to any M.P. of M.L.A. so far. However, the widow of Late Shri K. Baladhandayudham, M.P.(Lok Sabha), Tamil Nadu has been sanctioned pension of Rs. 150 per month. This includes a pension of Rs. 50 p.m. for the unmarried daughtar which will be tenable till her marriage and the pension of Rs. 100 p.m. for life-time of the widow.

(c) Pension will be sanctioned in such cases on receipt of declaration that the annual income of the applicant has fallen below of Rs. 5,000. This is subject to other condition of eligibility being fulfilled.

Biographical Sketches of Freedom Fighters

1583. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme to publish biographical sketches of the freedom fighters ;

(b) if so, the main points thereof ; and

(c) the time by which Government propose to implement this scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) to (c) The State Governments/Union Territory Administrations had been requested in 1960 to take necessary steps to bring out a "Who's Who" of freedom fighters pertaining to their respective areas. These were to contain brief biographical sketches of the freedom fighters as also their main life achievements. While a few State Governments/Union Territories have brought out such publications, the work is still incomplete in most of the States/Union Territories. They have been requested to expedite this work.

The Ministry of Education and Social Welfare are bringing out "Who's Who of Indian Martyers". The first two volumes in the series have already been published and third and last volume will be brought out by the middle of August.

आकाशवाणी के संगीत तथा नाटक प्रभाग द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सम्बन्ध में नाटकों का आयोजन करने हेतु आबंटित धन का दुरुपयोग

1584. श्री एच० एम० पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में नाटकों का आयोजन करने हेतु सरकार द्वारा आबंटित किए गए धन का संगीत तथा नाटक प्रभाग ने दुरुपयोग किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर नाटकों का आयोजन करने हेतु गीत और नाटक प्रभाग के लिये कोई धन-राशि आबंटित नहीं की गई है, अत: इस निमित्त धन के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इण्डियन टोबॅको कम्पनी की पंजीकृत क्षमता से अधिक क्षमता का उपयोग

1585. श्री मधु लिमये : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टोबॅको कंपनी ने अपने पंजीकृत क्षमता से अधिक क्षमता का उपयोग किया है ;

(ख) क्या पंजीकृत क्षमता में 25 प्रतिशत तक विस्तार संबंधी परिपत्र गैर-अत्यावश्यक क्षेत्र में विदेशी एकाधिकार प्राप्त कार्यों पर लागू नहीं होना था ; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो, सरकार द्वारा इण्डियन टोबॅको कंपनी तथा इससे संबंधित कम्पनियों को यह आदेश देने में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं कि वे अपनी अतिरिक्त क्षमता में कमी करके मूल क्षमता तक पहुंच जाएं जिससे सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में नए कारखाने स्थापित किए जा सकें ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) इण्डिया टोबॅको कंपनी को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र में क्षमता संबंधी किसी निर्दिष्ट संख्या का उल्लेख नही किया गया था क्योंकि प्रमाणपत्र के फार्म में इस विवरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी ।

सभी विदेशी प्रतिष्ठान चाहे वे विदेशी कंपनीयों से संबंधित हो या न हों, कुछ शर्तों के अधीन उन वस्तुओं की लाइसेंसीकृत अथवा पंजीकृत क्षमता के 25% तक उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वतंत्र-है जिन के लिए उन्हें लाइसेंस दिया गया है या पंजीकृत हैं ।

ग्रामोफोन रिकार्डों में एफ० एम० आई/एच० एम० वी० का एकाधिकार

1586. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ग्रामोफोन रिकार्डों के उत्पादन और विपणन के मामलेमें एफ० एम० आई० / एच० एम० वी० का प्रभुत्व है ;

(ख) यदि हां, तो देश में रिकार्ड के कुल उत्पादन और बिक्री में उनकी मांग कितनी है ;

(ग) क्या यह कम्पनी कलाकारों और व्यापारियों का शोषण करने के लिए अपनी एकाधिकार प्राप्त स्थिति का उपयोग कर रही है ; और

(घ) रिकार्डों के उत्पादन और बिक्री में इसके एकाधिकार को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिसमें कलाकारों और व्यापारियों के साथ न्याय हो सके तथा मूल्यों में कमी हो सके ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) ग्रामोफोन रिकार्डों के उत्पादन करने वाली तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया लि० ही ऐसा एकक है जो एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया आयोग के अन्तर्गत प्रभुत्वशाली उपक्रम की हैसियत से पंजीकृत है। वर्ष 1972 में इनका उत्पादन 84 लाख रेकार्ड रहा।

(ग) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(घ) दो और योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। ईसके अतिरिक्त लघु क्षेत्र में ग्रामोफोन रिकार्डों का उत्पादन करने वाली मै० पालीदोर आफ इंडिया लि० नामक अन्य एकक ने प्रतिवर्ष 30 लाख रिकार्ड की क्षमता के लिए पंजीकरण हेतु तकनीकी विकास के महानिदेशालय को आवेदन किया हैं ।

नन्दगाव (महाराष्ट्र) के टेलीफोन प्रयोक्ताओं की शिकायतें

1587. **श्री मधु लिमये** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन अधिकारियों को नन्दगांव (जिला नासिक महाराष्ट्र) के टैलीफोन प्रयोक्ताओं की ओर से उनके टेलीफोनों की मरम्मत न किये जाने और पिछले दो महीने से टेलीफोन पूर्णतया बंद पड़े रहने की हालत के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या टेलीफोन चालू न रहने के कारण गंभीर हालत वाले एक रोगी की इसलिये मृत्यु हो गई कि नासिक शहर से विशेषज्ञ की समय पर सहायता प्राप्त नहीं की जा सकी ; और

(ग) यदि हां, तो टेलीफोन विभाग के इन उदासीन रवैये का क्या कारण है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) टेलीफोन नम्बर 71 के उपभोक्ता डा० पी० आर० कोठाडिया ने यह शिकायत की थी कि वे जब अपने मरीज के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेने के लिए नासिक टेलीफोन मिलाना चाहते थे तो वे समय पर नासिक टेलिफोन नहीं मिला सके।

(ग) नंदगांव में एक छोटा आटोमेटिक एक्सचेंज है। यह एक्सचेंज मनमाड ट्रंक ऐक्सचेंज से जड़ा हुआ है। इसे जोड़ने के लिए दोनों दिशाओं में ए० सी० डायल रिले सेटों का प्रयोग किया गया है। जब बिजली की सप्लाई में गड़बड़ी आती है तो संचार व्यवस्था में भी गड़बड़ी आ जाती है। तथापि, उस तारीख को एस० ए० एक्स० के दूसरे यूनिट का लाइन फाइंडर स्विच ठीक काम नहीं कर रहा था। टेलीफोन नं० 71 इसी यूनिट पर है। सभी दोष दूर करने दिए गए हैं। अकोला के डिवीजनल इंजीनियर, तार ने टेलीफोन उपभोक्ताओं से संपर्क स्थापित किया है। इसके बारे में जो रिपोर्टें मिली हैं, उनसे पता चलता है कि एस० ए० एक्स० अब संतोषजनक काम कर रहा है।

बड़े उत्पादकों और लघु उद्योग क्षेत्र में टेलीविजन सेटों का निर्माण

1588. **श्री मधु लिमये** : क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैलीविजन सैटों का उत्पादन लघु क्षेत्र में ही होगा,

(ख) क्या बड़े उत्पादक टेलीविजन सेटों का निर्माण करते रहेंगे,

(ग) यदि हाँ, तो ये बड़े उत्पादक (नाम सहित) कितना उत्पादन करेंगे और कितने सेट बेचेंगे ; और

(घ) इस संबंध सरकार की नीति को लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिक्स मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष-मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) हाँ, श्रीमान।

(ग) कलैण्डर वर्ष 1972 में टी० वी० अभिग्राहियों का कुल उत्पादन 29284 था, जिसमें से 14071 सेट बड़े उद्योग क्षेत्रों द्वारा बनाये गये, जैसा कि नीचे प्रदत्त है :—

यूनिट का नाम	1972 के दौरान उत्पादन (संख्याओं में)	19" सेट के लिए सन्निकट ग्राहक मूल्य
1. मे० जे० के० इलैक्ट्रानिक्स कानपुर।	6591	रु० 2,218.00
2. मैसर्स टेलीरेड, बम्बई . .	6800	रु० 2,130.00
3. इलैक्टानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया (सरकारी क्षेत्र उपक्रम) 'हैदराबाद'	680	रु० 2,116.00

1970, 1971 और 1972 वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र में कुल उत्पादन 27224 था, जब कि लघु क्षेत्र में 33154 था।

(घ) टेलीविजन सेटों के निर्माण से संबंधित सरकारी नीति 1971-1972 के लिये इलैक्ट्रानिक्स विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में वर्णित है, जिसे सदन के सभापटल पर रख दिया गया है ; सरकार इस निति का पालन कर रही है।

Reorganisation of the Administrative set up of All India Radio

1589. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government propose to re-organise the administrative set-up of All India Radio ;

(b) if so, the outlines thereof ; and

(c) the reasons for such re-oraganisation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Vir Sinh) ; (a) Yes, Sir.

(b) Certain proposals for decentralizing the administrative set up of the Directorate General All India Radio and establishing regional offices are under consideration.

(c) On account of increase in the number of A. I. R. Stations, it has become necessary to have an intermediate level of supervision and authority to ensure efficient functioning of Stations and qualitative improvement in programmes broadcast by them.

फिल्म सेंसर बोर्ड के कार्यकरण की जांच

1591. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म सेंसर बोर्ड के कार्यकरण की जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच समिति को किन-किन बातों की जांच करने को कहा गया है ; और

(ग) उक्त जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) और (ख) : फिल्म सेंसार के बारे में एक जांच समिति 1968 में गठित की गई थी। इसके विचारणीय विषय निम्नलिखित थे :—

1. इस बात का पता लगाना कि जनता को जो फिल्में दिखाई जाती हैं, उनका समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के संदर्भ में लोगों पर क्या असर पड़ता है।

2. इस बात की जांच करना कि फिल्मों में कितनी कलात्मकता है और वे जनता पर कितना अच्छा प्रभाव डालती हैं तथा इस दृष्टि से भारत में उनकी कैसी स्थिति है।

3. भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये देशी और विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने के मौजुदा कानूनों, व्यवस्थाओं और विधियों का अध्ययन करना।

4. इन सब बातों के अध्ययन के आधार पर, मौजुदा सेंसर कानूनों व्यवस्थाओं और विधियों के सुधार के लिए , इस दृष्टि से उपायों की सिफारिश करना कि —

(क) भारतीय फिल्म एक प्रभावशाली रचनात्मक माध्यम बन सके, सामाजिक आचार और व्यवहार की समकालीन प्रवृत्तियों के का मेल में रह सके तथा लोगों की भावनाओं को तृप्त कर सके और उनके ज्ञान की वृद्धि कर सके।

(ख) फिल्म उद्योग तथा नियामक संगठन में ऐसा घनीष्ठ संबंध स्थापित हो जाए, जिससे ऐसी फिल्में बनाई और दिखाई जा सकें, जो कला की दृष्टि से भी उत्तम हों और मनोरंजन भी भरपुर प्रदान करती हों साथ ही नैतिकता की दृष्टि से भी उच्च कोटि की हो ।

(ग) ऐसी फिल्मों के बनाने और दिखाने पर रोक लगाई जा सके, जो जनता की रुचि को दूषित करती हों।

(घ) समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई, 1969 को दे दी थी।

वैध दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिक

1592. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी राष्ट्रिक भारत के बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 1973 तक ऐसे कितने पाकिस्तानी गिरफ्तार किये गये ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

देश में दूर संचार लाइनों से तांबे के तारों की चोरी

1593. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश की दूर संचार लाइनों से तांबे के तारों की बड़े पैमाने पर चोरी होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरुप प्रत्येक डाक सर्किल में कितने कार्य घंटों की क्षति हुई; और

(ग) तांबे के तारों को चोरी का रोकने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) ताम्बे के तारों की चोरी से काम के कितने घंटों की क्षति हुई, इसके ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। डाक–तार सर्किल में इस तरह के ब्यौरे नहीं रखे जाते।

(ग) (I) राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा गया है कि वे पुलिस के महानिरीक्षकों को हिदायत कर दें कि वे इस समस्या पर विशेष ध्यान दें और तांबे के तारों की चोरियोंको रोकने के वास्ते कारगर कदम उठाएं।

(II) जांच पड़ताल का काम जल्द निपटाने और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विभागीय अधिकारी पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं।

(III) टेलीग्राफ तार (गैर कानूनी कब्जा) अधिनियम, 1950 में संशोधन करने के बारे में विचार किया जा रहा है, ताकि अपराधियों को औरभी कड़ा दंड देने की व्यवस्था की जा सके।

(IV) तांबे के तारों की जगह उत्तरोत्तर तांबा झलें तार और ए० सी० एस० और० तार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी चोरी होने की आशंका नहीं है।

बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली में टेलीविजन निर्माण केन्द्रों की स्थापना

1594. श्री डी० के० पंडा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, मद्रास,कलकत्ता और दिल्ली महानगरों में टैलीविजन निर्माण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रुपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इन 4 टेलीवीजनों निर्माण केन्द्रों मे से प्रत्येक टेलीविजन केन्द्रों के लिए 16 मिलीमीटर फिल्मों का निर्माण करेगा। इन केन्द्रों की स्थापना पर 560 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। ब्यौरा तय किया जा रहा है।

फिल्म सेंसरों के बारे में खोसला जांच समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

1595. श्री डी० के० पंडा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने फिल्म सेंसरों के बारे में खोसला समिति के प्रतिवेदन की कितनी सिफारिशें को अब तक स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) दस ।

(ख) कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई चलचित्र अधिनियम, 1952 में प्रस्तावित संशोधन के बाद की जायेगी ।

सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योग

1516. श्री डी० के० पण्डा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योग स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन उद्योगों के बारे में निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या पांचवीं योजनावधि में उन उद्योगों की स्थापना के लिए कोई योजनायें तैयार की हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार के अनेक उद्योगों में से एक उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की भूमिका का जिनमें अधिकांश जनता द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन सम्मिलित है तथा जिनके उत्पादन में भविष्य में भारी कमी होने की संभावना है, का नये-नये क्षेत्रों में विस्तार और विकास करना है। अधिकांश जनता द्वारा उपयोग में लाई जाने वस्तुओं के उत्पादन में सहकारी संस्थाओं तथा लघु और माध्यम श्रेणी के उद्यमियों को भी भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।

कुछ उपभोक्ता वस्तुएं, जैसे कार्ब सेल, बिजली के बल्ब, टायर व ट्यूब आदि के सरकारी क्षेत्र में बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन है तथा कुछ वस्तुओं के संबंध में संभाव्यता रिपोर्ट तैयार हो चुकी अथवा हो रही है। ये प्रस्ताव विचार की विभिन्न अवस्थाओं में है। सरकारी क्षेत्र में लिये जाने-वाले उपभोक्ता उद्योगों के अन्तिम चयन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है।

उत्तर प्रदेश सरकार के एक सचिव के विरुद्ध आरोप

1598. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव, श्री के० एन० श्रीवास्तव, आई० ए० एस० पर यह आरोप लगाया गया है कि जब वह गोआ में मुख्य सचिव थे, तो उन्होंने सरकार को धोखा दिया था ;

(ख) क्या गोआ के मुख्य सचिव के रूप में उन्होंने अपने को गोआ का उप-राज्यपाल बताया और उन्होंने राज्यपाल को देश के बाहर विभिन्न स्थानों पर प्राप्त होने वाले सब विशेषा-धिकारों और सुविधाओं का लाभ उठाया ;

(ग) क्या अशोका होटल, नई दिल्ली, के प्रबन्धकों ने गोआ, पणजी के उप-राज्यपाल को श्री के० एन० श्रीवास्तव द्वारा उक्त होटल में अतिथि के रूप में ठहर कर लिए गये भोज तथा, शराब आदि का 226.70 रुपये का बिल भेजा है ;

(घ) क्या अशोका होटल के बिल का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है और यदि नहीं तो इसका भुगतान किसने किया है ; और

(ङ) उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) अशोक होटल, नई दिल्ली द्वारा "श्री श्रीवास्तव, उप-राज्यपाल, गोआ" के नाम गोआ सरकार को भेजे गये 226.70 रुपये के बिल का संबंध श्री श्रीवास्तव द्वारा ई०सी०ए०एफ०ई० के एक दल के सदस्यों को जिनके साथ गोआ में एक इस्पात संयंत्र स्थापित के बारे में होटल में विचार विमर्श किया गया, दिये गये दोपहर के भोज से था।

(घ) जी नहीं, श्रीमान। गोआ, दमन व दीव सरकार द्वारा बिल का भुगतान कर दिया गया है।

(ङ) जिन परिस्थितियों में बिल उप-राज्यपाल को भेजा गया था, उनकी जांच की जा रही है।

भारत ऑफथेलमिक ग्लास लिमिटेड द्वारा प्राइवेट पार्टियों को विदेशी मशीनरी की सप्लाई

1599. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत ऑपथेलमिक ग्लास लिमिटेड के प्रबन्धको ने अपने संयंत्र की कुछ अमूल्य विदेशी मशीनरी प्राइवेट पार्टीयों को दे दी है और इनमें से कुछ मशीनरी ऐसी है जो इस संयंत्र में पहले लगी हुई थी;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे मे कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्ष क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत औपथेलमिक ग्लास लिमिटेड से यह सुनिश्चित किया गया है कि उन्होंने अपने एक मुख्य खरीददार को, अपनी ग्लास मिलिंग मशीनों (8000 रुपये के अनुमानित मूल्य की) में से एक मशीन को माहवारी किराये में समंजित होने वाली जमानती राशि तथा अतिरिक्त राशि अग्रिम लेने के पश्चात 200 रुपये प्रति मास किराये पर दिया है। मशीन को इसलिये किराये पर दिया गया है कि भारत औपथेलमिक ग्लास लि० द्वारा बनाये गये ग्लास ब्लैंकों के ग्राहक द्वारा लैंस बनाते समय रद्द किये जाने वाले माल की मात्रा कम हो। भारत आपथेलिमिक ग्लास लि० द्वारा मशीन को किराये पर देना उनके हित में है क्योंकि इसके परिणामस्वरुप ग्राहक उनके माल को लगातार उठा सकेगा। किराये पर दी गई मशीन उन तीस मशीनों में से है जो भारत औपथेलमिक ग्लास कम्पनी लि० के पास बेकार पड़ी हैं क्योंकि भारत आपथेलमिक ग्लास लि० द्वारा बनाये गये लैंसों की अधिक कीमत होने से मांग की कमी के कारण लैंस निर्माणशाला की पर्याप्त क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है। यदि मशीन किराये पर न दी जाती तो भारत औपथेलमिक ग्लास लि० को ग्राहक को बेचे गये ब्लैंकों को अपने खर्चे पर अपनी जिम्मेदारी पर प्रारम्भिक घिसाई करने के पश्चात वापिस देना पड़ता। वह स्थिति अधिक व्ययपरक और जिम्मेदारी वाली होती और इसमें ग्राहक को हाथ से जाने की भी संभावना थी।

अस्थायी नियुक्तियों में संघ लोक सेवा आयोग के विनियमों का पालन न करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मंत्रालयों तथा सरकारी उपक्रमों के विरुद्ध की शिकायतें

1600. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग से सरकार को शिकायतें मिली हैं कि आयोग के साथ पूर्व परामर्श किये बिना ही की गई अस्थायी नियुक्तियों के बारे में अनेक मंत्रालयों और सरकारी उपक्रम संघ लोक सेवा आयोग के विनियमों का पालन नहीं कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ग) संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार के अधीन केवल सिविल पदों और अन्य निकायों के ऐसे पदों की भर्ती से संबंधित हैं, जिन्हें विशेष रुप से उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया गया है। 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक की अवधि के लिए बाईसवीं वार्षिक रिपोर्ट, जिसकी एक प्रतिलिपि 1 मार्च, 1973 को सदन के पटल पर रख दी गई थी, के पैराग्राफ 34 तथा 41 में संघ लोक सेवा आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे मामलों का उलेख किया है जहां आयोग के सा परामर्श करने में देर हुई है या जहां नियुक्तियां आरम्भ से ही अनियमित रूप से की गई हैं। ऐसी अनियमित रूप से की गई नियुक्तियों के मामले समय-समय पर संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में लाये गये हैं ताकि वे उन परिस्थितियों की जांच कर सकें, जिनके अधीन ऐसी नियुक्तियां की गई थीं, उसके लिये जिम्मेवारी निर्धारित कर सकें और जहां भी आवश्यक हो, ऐसी अनियमितता को दूर करने के लिए कार्यवाही कर सकें। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गई है कि वे संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श के संबंध में नियमों के उपबन्धों का सख्ती से अनुपालन करें।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कृषि मंत्रालय के एक विभाग मे परिवर्तित करने का प्रस्ताव

Proposal to Convert Indian Council of Agricultural Research into a Department of the Ministry of Agriculture

श्री गजेन्द्रगडकर समिति की शिफारिश पर भारतीय कषि अनुसंधान परिषदको कृषि मंत्रालय का एक विभाग बनाये जाने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किये जाने का समाचार

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : श्रीमान मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दे ;

"गजेन्द्रगडकर समिति की सिफारिश पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कृषि मंत्रालय का एक विभाग बनाये जाने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किये जाने का समाचार ।

कृषि मंत्री (श्री फकरूद्दीन अली अहमद) : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नयी दिल्ली में वरिष्ठ सस्य–विज्ञानी स्व० डा० वी० एच० शाह की दुःखद आत्महत्या पर मई, 1972 में संसद में विचार विमर्श के दौरान माननीय सदस्यों के साथ गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए अन्य बातों के अलावा मैंने निम्नलिखित आश्वासन दिया था :

"मेरा मंत्रालय इस दुर्घटना पर अत्यन्त चिन्ता व्यक्त करना चाहेगा और मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भर्ती के नियमों और कार्य पद्धति संबंधी क्रियाविधियों की अधिक अच्छी व्यवस्था के विकास के लिए इसके आशयों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा ।"

उपरोक्त आश्वासन के अनुसार, दिनांक 7 जून, 1972 की अधिसूचना द्वारा भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भर्ती और कार्मिक नीति की जांच करने के लिए डा० पी० बी० गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित की । शिक्षा और विज्ञान के प्रख्यात नेता इस समिति के सदस्य थे। समिति के विचारार्थ निम्नलिखित विषय निर्धारित किये गये थे :

(1) आत्महत्या करने से पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के महा-निदेशक को संबोधित 5 मई, 1972 के अपने पत्र में डा० शाह द्वारा उल्लीखित व्यक्तव्यों और घटनाओं की जांच करना ।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके अधीन कार्य कर रहे संस्थानों और केन्द्रों की भर्ती तथा कार्मिक नितियों की संवीक्षा और उनको सुधारने के उपाय सुझाना ।

(3) समिति की राय में प्रभावकारी सिफारिशें करने में सहायक अन्य संबद्ध विषयों पर विचार करना ।

समिति ने 24 जुलाई, 1972 से अपना कार्य आरम्भ किया और 19 जनवरी, 1973 को कृषि मंत्री को रिपोर्ट दी । समिति ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्तमान संगठनात्मक ढांचे में कुछ मौलिक परिवर्तन का सुझाव दिया है । सिफारिशों पर निर्णय लेने के लिए देश के वैज्ञानिक संस्थानों के संपूर्ण संगठन और प्रबन्ध के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है । तदनुसार, मंत्रीमण्डल ने विषय के सभी पक्षों कि जांच करने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक दल नियुक्त किया है, ताकी विस्तृत एवं व्यापक सिफारिशों पर निर्णय लिये जा सकें ।

मंत्रियों के दल की सलाह पर कुछ अत्यावश्यक विषयों पर निर्णय पहले ही लिये जा चुके हैं। ऐसा एक निर्णय यह है कि संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से महा-निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार की गयी आपत्कालीन भर्ती कार्यविधि द्वारा लगभग 1,200 खाली पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकती है, जिससे महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक योजनाओं के कार्य को हानि न पहुंचे। यह भी निर्णय लिया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जांच समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लिये जाने तक भविष्य में होने वाले रिक्तिया को भरने के लिए भी वही आपत्कालीन कार्यविधि अपनायी जाए। इसी प्रकार यह निर्णय किया गया कि जब तक अन्य कार्यावधि निश्चित नहीं की जाती तब तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के खाली वरिष्ठ पद संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से सरकार के प्रचलित नियमों और कार्यविधियों के अनुसार स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जा सकते ह। भारत सरकार के अनुरोध पर आयोग और परिषद द्वारा परस्पर सम्मत शर्तों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से संघ लोक सेवा आयोग इस आपत्कालोन भर्ती को करने के लिए सहमत हो गया है। इस आपत्कालीन भर्ती कार्यविधि की क्रियाविधि एवं रीति के संबंध में अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है और आयोग द्वारा शीघ्र ही भर्ती संबंधी कार्यवाही शुरु करने की आशा है ।

भारत सरकार इस विषय के महत्व और अत्यावश्यकता के प्रति पूर्ण रुप से सजग है और भारतीय कृषि अुनसंधान परिषद जांच समिति की प्रमुख सिफारिशों के विषय में यथासंभव शीघ्रातीशीघ्र निर्णय लेने के लिये सभी संभव कदम उठाये जा रहे है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपूर) : इसमें गजेन्द्रगडकर समिति के प्रतिवेदन का उलेख किया गया है, जो गत जनवरी के महीने में सरकार को पेश किया गया था । मंत्री महोदय उसकी प्रति सभा पटल पर क्यों नहीं रखते ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री पी० के० देव : भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की महत्व पूर्ण भमिका है। परन्तु डा० विनोद शाह की आत्महत्या के कारण एक विवाद उठ खड़ा हुआ है। आत्महत्या से पूर्व लिखे एक नोट में उन्होंने कहा कि वह विज्ञान और वैज्ञानिकों की सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के लिए अपना बलिदान कर रहे हैं।

श्री डाह्याभाई पटेल के पहल करने पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई की थी और 'व्हिदर इण्डियन साइन्स' नामक पुस्तक प्रकाशित की गई थी। सरकार ने भी इस बारे में गजेन्द्रगडकर समिति की नियुक्ति की। उक्त समिति ने भी विचार गोष्ठी के कार्यवाही वृतान्त और उक्त पुस्तक की उपयोगिता की सराहना की है। विचार गोष्ठी की एक सिफारिश यह भी थी कि वैज्ञानिक संस्थाओं पर नौकरशाही का प्रभुत्व समाप्त किया जाना चाहिए। गजेन्द्रगडकर समिति की रिपोर्ट , 19 जनवरी, को सरकार को पेश की गई थी। सरकार को सदन को विश्वास में लेना चाहिए था और रिपोर्ट को सदन में पेश करके इस पर चर्चा करनी चाहिए थी, परन्तु सरकार ने अपनी इच्छानुसार निर्णय ले लिया है।

यह पता चला है कि उक्त संस्थान में वैज्ञानिकों के 1,200 पद रिक्त हैं, जबकि देश में वैज्ञानिक गतिविधि की अत्यधिक आवश्यकता है। गजेन्द्रगडकर समिति के सुझाव के अनुसार डा० देव की पुनः अपने पूर्व पद पर नियुक्ति कर दी गई है और यह सुझाव भी दिया गया है कि इस संस्था को खाद्य और कृषि मन्त्रालय का एक विभाग बना दिया जाये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसंधान संस्थाओं को अपना कार्य करने के लिए पूर्ण स्वाधीनता और स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। खाद्य और कृषि मंत्रालय का इस संस्था को विभाग बनाकर लालफीता

(श्री पी० के० देव)

शाही में उलझा देनेसे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वाद-विवाद का मुख्य कारण तो पदोन्नतियों के कारण उत्पन्न हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की वैज्ञानिक संस्थाओं को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जायगी और क्या वहां पदोन्नतियों के अवसर पर उत्पन्न किये जायेंगे। किसी भी वैज्ञानिक संस्था में पदोन्नतिका मुख्य आधार किये गये शोध कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए।

श्री फखरुद्दिन अली अहमद : माननीय सदस्य ने अनेक अभिमत व्यक्त किये हैं, लेकिन उनका प्रमुख तर्क यह रहा है कि इस मामले में सरकार उदासीन रही है। जहाँ तक इस मामले का संबन्ध है, भारत सरकार कतई उदासीन नहीं रही है। रिपोर्ट और समिति द्वारा की गई सिफारिशों का हमने अध्ययन किया है। मन्त्रिमण्डल में चर्चा होने के बाद इस बारे में यह निर्णय किया गया कि चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए इस मामले की व्यापक जांच की जाए। इस मामलो को विचारार्थ मन्त्रियों के ग्रुप को सौंप दिया गया है। उनकी सिफारिश प्राप्त होते ही सरकार द्वारा निर्णय किया जायगा। तब अन्तिम रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जायगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, You might remember that I have tabled a Privilege Motion regarding this matter. The basis of today's Calling Attention Notice is the report of Gajendragadkar Committee. The Government is taking more time in taking a decision than the time taken by the Committee in preparing the report, but why should the Parliament be kept in the dark ? In reply to my Privilege Motion, I have received a reply in which it has been said that the report has been treated as a classified document by the Ministry of Agriculture. Is this report concerned with the security of the country ? The proceedings cannot go on unless you direct the Minister to place the report on the Table of the House.

In an interview to the correspondent of 'Times of India', Shri Shinde had told that the Union Cabinet has decided that all selections in Institutes run by the Indian Council of Agricultural Research will now be made by the Union Public Service Commission. Shri Shinde had also told that the candidates selected for various posts in I.C.A.R.institutions before the ban on recruitment was imposed were being asked to join their new posts. Interviews are being given to the Press, but report is not being placed before the House. What is the reason for not bringing the report before the House ?

Under the rules, if a document or report is referred, it should be placed on the Table of the House.

श्री वसन्त साठे (अकोला) : इसमे क्या गुप्त बात है। इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा ही जाना चाहिये।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Sir, I rise on a Point of Order. The Committee was appointed after the discussion in Parliament. It is the privilege of the Members to ask for a copy of the report submitted by the Committee. The report should be laid on the Table of the House first and till then this call-attention should be postponed.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में मालवीय समिति की रिपोर्ट पर सदन से बाहर चर्चा की जा रही थी और उसे सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया था, तब भी आपने सदस्यों के अधिकार की रक्षा की थी।

श्री वसंत साठे : सबसे अधिक खेदजनक बात यह है कि रिपोर्ट की समाचार पत्रो में तो प्रकाशित किया जा रहा है, परन्तु सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बोइंग दुर्घटना की रिपोर्ट समाचारपत्रों में दिये जाने के बाद सभापटल पर रखी गई थी। श्रीमती गांधी और उनकी सरकार द्वारा यह सब किया जा रहा है।

श्री सेझियान (कुम्बकोनम) : श्री शिन्दे ने यह कहा था कि सरकार रिपोर्ट पर विचार करने के लिए और अधिक समय चाहती है और इसके मानसून सत्र से पहले संसद में प्रस्तुत किये जाने की संभावना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने अभिमत जिस रिपोर्ट के आधार पर व्यक्त कर रहे हैं, उस बारे में पूछताछ करना स्वाभाविक ही है।

श्री फखरुद्दिन अली अहमद : इस रिपोर्ट को सभा पटल पर न रखने का कारण यह था कि यह बेहतर होता कि इस रिपोर्ट पर सरकार द्वारा किये गये निर्णयों से भी सदन को विदित कराया जाय। अगर सदस्य चाहते हैं, तो रिपोर्ट को सभापटल पर पेश कर दिया जायगा।

Shri Atal Behari Vajpayee : The discussion on calling attention should be postponed unless the report is presented to the House.

अध्यक्ष महोदय : अब इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस स्थगित नहीं की जा सकती, जबकि कुछ सदस्य अपना भाषण दे चुके हैं।

Shri Atal Behari Vajpayee : The hon'ble Minister has not said even a single word regarding the recommendations of Gajendragadkar Committee that I.C.A.R. will be made a Deptt. of Agriculture Ministry.

The hon'ble Minister has said in his statement that the Government is making emergeny recruitment in consultation with the U.P.S.C. Shri Shinde had said in Rajya Sabha that the Commission had advised them not to make recruitment and therefore, almost 4,200 posts were lying vacant. They suggested that unless the new procedure or the recommendations were taken into consideration by the Government of India, no further recruitment should be made. So, as far as this thing is concerned, we have stayed action. In spite of that the appointment of Dr. Rajendra Prasad was regularised. Due to the appointment of Dr. Rajendra Prasad, Dr. Vinod Shah had committed suicide. There is difference in appointment by the U.P.S.C. and in consultation with the U. P. S. C.

I would also like to know whether some strictness have been passed against the appoint ment of Dr. Rajendra Prasad as Professor of Agronomy ?

Shri Shinde has said that the report of Gajendragadkar Committee would be sent to the National Council of Science and Technology. Is it not a fact that some prominent scientists were also associated with the Gajendragadkar Committee ? Then what is the need to refer it to the N.C.S.T.

We favour the autonomy, but there should not be any sort of bungling in the name or autonomy. The Government should take the decision at the earliest and announce its decision before the house, so that they could be considered by this House.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : श्रीमन, चूंकि मेरे नाम का उल्लेख किया गया है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री वाजपेयी ने जो रिपोर्ट पढ़ी है उसमें मेरे कथन का उद्धरण यथावत नहीं दिया गया है। मैं केवल दो बात कहना चाहता हूं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के सम्बन्ध में मैंने राजेन्द्र प्रसाद की नियुक्ति की बात कही थी, उससे अधिक कुछ नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेई : क्या राष्ट्रीय परिषद की रिपोर्ट भेजे जाने के बारे में कुछ भी नहीं ?

श्री फखरूद्दिन अली अहमद : श्रीमान, मेरा यह निवेदन है कि जो कई बातें कही गई हैं वे गलत धारणा पर आधारित है चुंकि रिपोर्ट सभा के और माननीय सदस्यों के पास नहीं है। मैं रिपोर्ट सभा पटल पर रखने का आश्वासन पहले ही दे चुका हूं। रिपोर्ट के प्रस्तुत हो

[श्री फखरुद्दिन अली अहमद]

जाने के बाद ही माननीय सदस्यों द्वारा टिप्पणी करना लाभप्रद होगा। जहां तक भर्ती का सम्बन्ध है, संघ लोक सेवा आयोग इस सम्बन्ध में सिफारिश करेगा और सरकार उस पर निर्णय करेगी।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : मुझे यह प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री रिपोर्ट सभा पटल पर रखने के लिये सहमत हो गये हैं। मेरे विचार से, जैसे ही कोई अनुसंधान संस्थान सरकार के नियंत्रण में आता है, वैसे ही उसमें अनुसंधान का काम स्थिर-सा हो जाता है, उसमें अपेक्षित लचीलापन नहीं रह पाता। उससे अनुसंधान कार्य में बाधा पड़ती है। अतः मैं आशा करता हूं कि यह संस्था पूर्ववत स्वायत्तशासी ही बनी रहेगी और उसे सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं लाया जायेगा, जैसा कि समाचार है।

उन युवक वैज्ञानिकों के, जो अनुसंधान कार्य में लगे हैं, सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि वरिष्ठ वैज्ञानिकों की तुलना में कनिष्ठ वैज्ञानिकों को अपनी इच्छानुसार विषय का चयन करने और अनुसंधान के लिए अपेक्षित उपकरण और सामग्री खरीदने की सुविधा नहीं दी जाती। उन्हें अनुसंधान के क्षेत्र में पर्याप्त अवसर नहीं दिये जाते। क्या उन्हें ऐसी सुविधा दी जायेगी? क्या उन युवक वैज्ञानिकों को जो अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी योग्यता का प्रमाण देते हैं, विशेष पदोन्नति दी जायेगी। क्या मंत्री महोदय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों की मांगो की ओर ध्यान देंगे और उन्हें आवास और अनुसंधान सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करेंगे।

श्री फखरुद्दिन अली अहमद : ये सुझाव महत्वपूर्ण हैं और रिपोर्ट पर विचार करते समय इन पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : चूंकि रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है इसलिये चर्चा का क्षेत्र ही सीमित है। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संस्था का कार्यकरण और प्रबन्ध दोषपूर्ण रहा है। स्थिति यहां तक बिगड़ी कि प्रभावित लोगों को आत्महत्या तक करने के लिये मजबूर होना पड़ा। गजेन्द्रगड़कर समिति ने यह सिफारिश की है कि इस परिषद को एक सरकारी विभाग में बदल दिया जाये। यदि सरकार इस सिफारिश को मानती है, तो क्या उसका यह निर्णय सभी स्वायतशासी अनुसंधान संस्थाओं पर लागू होगा अथवा नहीं। सरकार इस समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लेने में और सभा को उसे बताने में कितना समय लेगी।

श्री फखरुद्दिन अली अहमद : जहां तक मंत्रियों की समिति द्वारा रिपोर्ट पर निर्णय लिये जाने का सम्बन्ध है, औद्योगिक विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री और मेरी एक समिति बनी थी, जिसकी तीन बैठकें हो चुकी हैं। किन्तु उनमें कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। नियुक्तियों के बारे में वर्तमान नीति यह है कि हम सभी मामले संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजे रहे हैं और उसकी सिफारिश पर नियुक्तियां की जायेंगी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या समिति ने यह सिफारिश की है कि इस परिषद को एक सरकारी विभाग बना दिया जाये ?

श्री फखरुद्दिन अली अहमद : यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता इस सम्बन्ध में कई बातों पर विचार करना है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह सभा के प्रति उचित व्यवहार नहीं है। यह बताने में मंत्री महोदय के सामने क्या दिक्कत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह भी एक सिफारिश है कि नहीं? वह हां कहे या ना।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए विवश नहीं कर सकता ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : क्या मंत्री महोदय के लिए यह उचित है कि वह एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दे जो अपेक्षित और संगत जानकारी के लिए पूछा गया है ? क्या आप सभा के उचित अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : इसका समाधान यही है कि प्रतिवेदन के सभा पटल पर रख दिये जाने के बाद यह प्रश्न लिया जाये ।

श्री फखरुद्दिन अली अहमद : जिन तीन मंत्रियों के नाम मैंने अभी बताये थे, उनके साथ उप समिति में कार्मिक विभाग के मंत्री भी है। मुझे माननीय सदस्यों के उत्तर देने में कोई आपत्ती नहीं है किन्तु इस प्रश्न का उत्तर 'हा' या 'ना' में देना उचित नहीं है । रिपोर्ट आने के पश्चात माननीय सदस्य इस पर खुलकर टिप्पणियां करें ।

श्री समरगुह (कन्टाई) : एक अनुसंधान संस्थान से सम्बधित रिपोर्ट को एक 'वर्गीकृत दस्तावेज' बना देना महामूर्खता है । यह देश की रक्षा से सम्बन्धीत कोई रिपोर्ट नहीं है जिसे गुप्त रखा जाये । मंत्री महोदय ने बताया है कि रिपोर्ट से सम्बन्धित कोई समाचार कृषि विभाग ने 'हिन्दुस्तान टाइम्स' को नहीं दिया है, इसलिए विशेषाधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता । अब प्रश्न यह उठता है कि किसने यह समाचार 'हिन्दुस्तान टाइम्स' को दिया । क्या सरकार इसका पता लगाने के लिये जांच करायेगी ताकि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी का पता लग सक ।

श्री पित्रु मोदी (गोधरा) : उस अधिकारी कों बधाई दी जाये और मंत्री महोदय की निन्दा की जाये । (**अन्तर्बाधा**)

श्री समर गुह (कन्टाई) : एक अधिकारी को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। माननीय मंत्री ने कहा है कि गजेन्द्र गडकर समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में सरकार को परामर्श देने हेतु मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया गया है ताकि सभा में इस बारे में लाभदायक चर्चा की जा सके । वास्तव में माननीय मंत्री को चाहिए कि वह प्रतिवेदन का सर्वप्रथम सभापटल पर रखते और सभा में उसपर चर्चा की अनुमति देते । तब उसके पश्चात इसको स्वीकार करने से पूर्व इसमें सभी पहलुओं पर सभा में हुई चर्चा के आधार पर विचार कर सकत थे ।

आपको याद होगा कि सदन में डा० शाह के आत्मदाह पर कितने भावनात्मक ढंग से विचार किया था । उन्होंने मरने से पूर्व लिखा था कि अब समय आ गया है जब कि एक वैज्ञानिक को उचित व्यवहार के लिए पुन: अपना बलिदान देना होगा । इसी घटना के आधार पर गजेन्द्र-गडकर समिति स्थापित की गयी थी । इस समिति ने 19 जानवरी, 1973 को अपना प्रतिवेदन दिधा है । यदि सरकार ने सदन की भावनाओं को महसूस किया होता तो उसे प्रथम दिन ही प्रतिवेदन सभापटल पर रख देना चाहिये था परंतु हो जाने के बजाये माननीय मंत्री ने कहा है कि मंत्रियों के एक ग्रुप के परामर्श पर कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर पहले ही निर्णय ले लिए गये है ।

मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार 1200 पद रिक्त पड़े हुए है । छह महिने का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी इन पदों को भरा नहीं गया है । उन्होंने आपात भर्ती के तरीकों के बारे में ही अभी निर्णय लिया है । सरकार संघ लोक सेवा आयोग से अभी आशा कर रही है कि वह अपना काम शीघ्र आरम्भ कर देगा । अर्थात उन्होंने अब तक इस बारे में अपना कार्य आरम्भ नहीं किया है ।

[श्री समर गुह]

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि डा० शाह ने अप ने अन्तिम पत्र में जो शिकायतें की थी उनको समिति द्वारा उचित पाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है। क्या यह भी सच है कि प्रतिवेदन में डा० डे की नियुक्ति तथा पदोन्नति का अननुमोदन किया गया है। यदि यह ठीक है तो क्या सरकार इन सभी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिन्होंने डा० शाह की शिकायतों को अस्वीकार किया था।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वैज्ञानिकों के वर्गों को युक्तिसंगत बनाने, उनके वेतनमानों के निर्माण निर्धारण अनुसंधान कार्य में स्वतंत्रता देने तथा पी० एच० डी० देने के लिए उनको अनुमति दी जायेगी। क्या गजेन्द्रगडकर समिति ने इन सब बातों पर विचार किया है!

अन्त में मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे निदेश दें कि जब कभीभी सदन में कहे चर्चा के आधार पर समिति नियुक्त कि जाये, उसके प्रतिवेदन को सर्वप्रथम सभापटल पर ही रखा जाये। प्रतिवेदन किसीभी सिफारिश को क्रियान्वित करने से पूर्व सरकार को कम से कम आप की अनुमति अवश्य ही लेनी चाहिए।

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दिन अली अहमद) : माननीय सदस्य ने यह कहा है कि मेरे मंत्रायल से कोई सूचना निकली है। मैंने जाच कराही है। हमारे मंत्रालय से कोई सूचना बाहर नहीं निकली।

जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है मैंने बताया था कि सदस्यों द्वारा प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिए जाने के पश्चात ही उसपर चर्चा करना लाभदायक होगा। उन्होंने डा० डे की नियुक्ति का उल्लेख किया है, समिति ने इस नियुक्ति को अनियमित ठहराया है। हमने इस बारे में विधि मंत्रालय से परामर्श मांगा है। उनकी नियुक्ति 1971 में अपाति समिति गठित किये जाने से पूर्व की गई थी।

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्रीने अपने उत्तर में कहा है कि प्रतिवेदन पर उसको सभापटल पर रखे जाने के पश्चात ही चर्चा हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने यह किस अधिकार से बताया है कि समिति द्वारा डा० डे की नियुक्ति को अनियमित ठहराया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन के सभापटल पर रखे जाने के पश्चात सभी मामलों को उठाया जाना चाहिए।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE : QUESTION OF PRIVILEGES

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हमने विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है। क्या आप हमें इस बारे में निवेदन करने की अनुमति देंगे। संसद भवन के अहात में यह हुआ है...

अध्यक्ष महोदय : आप इसे विशेषाधिकार के प्रस्ताव के रूप में किस प्रकार उठा सकते है। यदि कोई घटना किसी दल की कार्यवाही बैठक में घटी है, तो वह उस दल का अपना मामला है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री शामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह आप के द्वारा दिये गये विनिर्णय में उत्पन्न होता है।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि कोई दल अपनी बैठक की कार्यवाही के बारे में प्रेस को सूचित करता है, तो फिर यह जानकारी समूचे देश की सम्पति बन जाती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक दल को अपने सदस्यों को निदेश देने का अधिकार है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं चाहता हूं कि आप अपने निदेश संख्या 124 क (2) (आठ) पर विचार करें ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका बिल्कुल अलग अर्थ लगा रहे है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : This matter does not pertain to Congress party only. We have been told not to have contacts.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस मामले को विशेषाधिकार प्रस्ताव के रुप में लिया जाना चाहिये। प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि यदि वह समझे कि उसकी भावनाओं को ठेस लगी है, तो वह विशेषाधिकार का मामला उठाये। यह प्रत्येक सदस्य का मूल अधिकार है। आप के निदेश 124(क) 2 (आठ) में यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रत्येक सदस्य को संसद भवन के अहाते में घूमने तथा भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है। परन्तु सत्तारूढ दल की कार्यकारी की बैठक में जो चेतावनी दी गई है उससे इस घूमने फिरने... (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री राम सहाय पांडे (राजनन्दगाव) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में नियम 223 का उल्लेख करना चाहता हूं। इसके अन्तर्गत विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले सदस्य को लिखित रुप में सचिव को सूचना भेजनी चाहिए। उसमें आगे कहा गया है कि यदि प्रश्न किसी दस्तावेज के आधार पर उठाया गया हो, तो सूचना के साथ दस्तावेज को भी भेजा जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप समाचार पत्रों को अधिकृत दस्तावेज मानते हैं। दूसरे यह कि वास्तविक बात क्या है ? किसी भी दल को अपने सदस्यों को निदेश देने का अधिकार है। दूसरे लोगों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं यह निवेदन कर रहा था कि अध्यक्ष पीठ के स्पष्ट निदेश के बावजूद सत्तारूढ़ दल ने यह चेतावनी दी है। सत्तारूढ़ दल की कार्यकारी समिति ने यह निदेश दिया है कि यदि कोई सदस्य विरोधी दल के सदस्यों में मिल बैठता है तो वह ऐसा अपने जोखिम पर करता है।

Mr. Speaker : He may please sit down.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इसमें विरोधी दलों पर भी बात आती है। अतः मैं इसपर गम्भीर आपत्ति करता हूं। आपको भी इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि सैन्ट्रल हाल में प्रत्येक पग पर हमारी जासूसी हो रही है। इस चेतावनी से सदस्यों के घूमने पर प्रतिबन्ध लगता है। इस प्रतिबन्ध से विशेषाधिकार भंग होता है। प्रश्न यह है कि अब प्रशासन का विरोधी दलों के प्रति क्या रवैया होगा ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भाषण कर रहे हैं अथवा व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। मैं विशेषाधिकार का प्रस्ताव उठाने की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैंने यह निवेदन किया है कि इसमें विशेषाधिकार भंग होता है। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में अपना विनिर्णय दें।

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं श्री मिश्र की बात का उत्तर देना चाहता हूं।

(अन्तर्बाधाएं)**

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्य अपने अपने स्थान पर बैठ जायें ।

श्री आर० के० सिन्हा : सेन्ट्रल हाल में केवल ससद सदस्य, भूतपूर्व संसद सदस्य, विद्यापक तथा उनकी पत्नियां आदि ही आती है। अतः इस हाल में जासूस कहां से आ गये। श्री मिश्र विश्व की दृष्टि में हमें गिराने के लिए ही ऐसा कह रहे हैं। मैं इस बारे में आप का विनिर्णय चाहता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि सत्तारूढ़ दल की कार्यवाही समिति की बैठक में कुछ सदस्यों की आलोचना की गई है।

अध्यक्ष महोदय : उनको ऐसा करने का अधिकार है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कार्यवाही समिति ने अपनी बैठक में कुछ सदस्यों की आलोचना की तथा उनको दण्ड देने की धमकी दी उनमें एक श्री दिनेश सिंह है। यह संसद, सैन्ट्रल हाल और लाबी विचारों के निर्बाध रूप से तबादले के लिए ही बने हैं। श्री रघुरामैया प्रत्येक एक घण्टे बाद विरोधी दलों के पास आते है। यह सब संसदीय कार्य का ही एक भाग है। यदि इसमें कोई बाधा डाली जाती है तो यह सदस्यों के अधिकारों तथा विशषाधिकारों को कम करना है। यह विशेषाधिकार भंग का एक बिल्कुल उचित मामला है। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप इसे स्वीकार करें।

श्री ए० के० एम० इब्राहिम (बशीरहाट) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I rise on a point of Order. Several times decision to this effect has been given that Central Hall and lobbies are only the extensives of this House. Only you can put restriction through the rules on the speech of the Members. If the Secretary, Leader or Deputy Leader of the Congress Party tries to put some sort of restrictions on it then it is a clear case of the contempt of the House. You may please allow me to seek the permission of the House under Rule 225.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I rise on a point of order. Today morning I wanted to talk to the Deputy leader Shri Sharma on some matter of national importance. He told me that he is sorry because under the new directive they cannot talk to any Member of the opposition. It is a serious matter. (*Interruption*).

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विरोधी पक्षों का मुख्य विरोध यह है कि उन्हें मिलजुल कर बात करने से रोका जाता है (**अन्तर्बाधाएं**) वे यह समझते हैं कि मिलजुलकर बात करना उनका मूलभूत अधिकार है ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने बोलने के लिये आपसे अनुमति मांगी थी।

श्री अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : माननीय मंत्री ने मामूली सी बात के लिये सभा का बहुमूल्य समय नष्ट किया है। (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य यह कहता है कि उक्त विवरण से उसके कार्य में बाधा पड़ती है, तो यह बात समय में आती है। उन्हें अपनी बैठक में सब विषयों पर चर्चा करने का अधिकार है और उन्हें अपने दल के सदस्यों को निदेश देने का अधिकार है। यदि उक्त दल का कोई सदस्य मुझसे आकर यह कहता है कि दल द्वारा दिये निदेशों से उसके कार्य में बाधा पडती है, तो मैं इस बारे में विचार कर सकता हूं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1973 का छठा संशोधन जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 649 में प्रकाशित हुआ था ।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 650 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 651 में प्रकाशित हुए थ ।

(4) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 652 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5256/73]**

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन नियम, 1973

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): मैं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 21 की उप धारा (3) के अन्तर्गत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन नियम, 1973 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 346 (ङ) में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5257/73]**

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में अपना विनिर्णय दे चुका हूं और इस मामले में व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता । यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है । किसी भी दल को अपनी बैठक बुलाने का अधिकार है यह निजी मामला है । मुझे दुःख है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र---जारी
PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, 1973

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया) : मैं भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 498 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5258/73]**

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के कार्य की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नईदिल्ली का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5259/73**]

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न सभा में चल रहे कार्य सम्बन्धित होना चाहिए । इस बारे में मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं यह बात रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि अध्यक्ष-पीठ द्वारा दिया गया विनिर्णय निदेश संख्या 124क (2) (आठ) के उपबन्धों से भिन्न है । **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक दल को अपने दल की बैठक बुलाने तथा अपने दल के सदस्यों को निदेश देने का अधिकार है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बधी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILL AND RESOLUTIONS

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिलें): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 29वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बण्धी समिति
COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

22 वां प्रतिवेदन

श्री एस० एम० सिद्दया (चामराजनगर) : मैं गृह मंत्रालय—मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास खण्ड के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का 22 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(अन्तर्बाधाएं)

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : Sir, I had placed before the House a case of breach of privilege arising out of the treatment meted out to me by the Madhya Pradesh Police on 13th April in Dewas. The speaker had asked the State Government to submit a report in this regard. But the State Government did not care to send a reply for three weeks which was a gross contempt of this House. Regarding the delay in submitting the reply the daily "Swadesh" dated 3rd May 1973 carried the news that in the course of investigation no one sided with the police. On this the police harassed the villagers of that area and forced them to give evidence in favour of police.

Afterwards on the 16th May I again gave notice of another privilege motion. The reason why the State Government was delaying the reply was that in the meantime the police were threatening and intimidating the people who had given evidence against them before the District Magistrate.

Sir, you are the guardian of the dignity and honour of the Members. It is my submission that the matter may be sent to the Privileges Committee. Such thing can happen with any member tomorrow.

As I have stated earlier, the police threatened and intimidated the witnesses. Since I belong to scheduled caste, such treatment was meted out to me knowingly. Had I not pacified my workers, the Situation would have gone out of Control. It is my submission that the matter may be referred to the Privileges Committee. This will ensure the protection of Members' rights and enhance the dignity of the House.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनसार श्री फूल चन्द वर्मा 13 अप्रैल, 1973 को देवास जिले के ग्राम बोरदा में गेहूं आदेश 1973 का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किए गए थे, श्री वर्मा ने जो आरोप लगाये है, उन की जांच हेतु नियुक्त जिलाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पुलिस अधिकारियों ने कोई ज्यादती नहीं की है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The reply of the State Government has no convencing points. It has not mentioned the names of the officers who conducted the enquiry nor the names of witnesses have been given. There is a serious allegation that witnesses were subjected to harsh treatment.

Shri K. C. Pant : I have stated that the District Magistrate conducted the whole enquiry. He has mentioned everything in his report which has been submitted to the Hon. Speaker.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी): इस घटना की जांच अदालती अधिकारी से कराई जानी चाहिए थी। श्री फूलचन्द वर्मा से सलाह-मशविरा नहीं किया गया था, उचित यह रहेगा कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये जिससे इस बारे में प्रतिवेदन मिल जाने पर यहां चर्चा की जा सके और स्थिति स्पष्ट हो सके।

श्री इन्द्रजित गुप्त (अलीपुर) : माननीय सदस्य ने जो कुछ सविस्तार वर्णन किया है वह जिलाधीश की रिपोर्ट से मेल नहीं खाता है, मेरे विचार में इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप देना बेहतर होगा।

श्री शामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों में राज्य सरकार का प्रतिवेदन इस समय सभा में नहीं लाया जाना चाहिए क्योंकि यह माननीय सदस्य के कथन से विपरीत जाता है। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उसे हम मान्यता देंगे, राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन हमें मान्य नहीं है, यह प्रतिवेदन निष्पक्ष नहीं हो सकता है। अतएव यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : इस मामले पर चर्चा किए बिना इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिए। संबंधित पुलिस अधिकारी समिति के समक्ष अपना वक्तव्य दे सकता है और अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : हमने पूर्व स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इस मामले को राज्य सरकार के जांच हेतु सौंपा था। यदि माननीय सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हैं तो यह मामला विशेषाधिकार समिति को जांच हेतु सौंपा जा सकता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : हम इस पत्थर का क्या करें। खादयान्न के नाम पर पश्चिम बंगाल में राशन की दुकानों पर यह बेचा जा रहा है। आप इसकी जांच कराइये।

Mr. Speaker : Shri Ram Kanwar may take one minute to make his observations.

Shri Ram Kanwar (Tonk) : The Government servants of Rajasthan are on strike for the last twenty four days. The public life has disrupted completely. The Centre should intervene and tackle the situation immediately.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए तीन बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteen of the Clock

---

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा तीन बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha then re-assembled after lunch at five miuutes past of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

सरकारी क्षेत्र के एक विद्युत संयंत्र को बिरला बन्धुओं को बेचें जाने के समाचार के बारे में

RE. REPORTED SELLING OF A PUBLIC SECTOR POWER PLANT TO BIRLAS

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आज के 'पैट्रियट' समाचार पत्र में गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बिजली संयंत्र के बिडला बन्धुओं को बेचे जाने का समचार प्रकाशित हुआ है। सिंचाई और विद्युत मंत्री डा० के० एल० राव ने 25 जुलाई, 1973 को एक बैठक बुला कर इस को स्वीकृति दी। यह मामला औद्योगिक नीति के विरुद्ध है। संसद का सत्र 23 तारीख से चल रहा है। अतः इस बारे में संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिये था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्य सूची में सम्मिलित नहीं है परंतु तब भी मैंने आपको यह कहने का अवसर दिया है। माननीय सदस्य इस बारे में चर्चा के लिए नियमित नोटिस दे सकते है। इस पर इस समय चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री एम० एम० बनर्जी : डा० राव को सदन में बुला कर कहा जाए कि वे इस बारे में वक्तव्य दें (अन्तर्बाधाएं)।

श्री मधु लिमये (बांका) : मेरा एक व्यवस्था अथवा औचित्य का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न पर मैं आप की बात सुन सकता हूं, औचित्य के प्रश्न पर नहीं।

Shri Madhu Limaye : Is it not within the powers of the house to seek clarification from Minister about his conduct ? Can a Minister act in this manner when Lok Sabha is in Session ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि यह कार्य सूची में सम्मिलित नहीं है इस कारण इस पर व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता। आप यदि चाहें तो इस बारे में नियमित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमने ऐसा किया है ... **(अन्तर्बाधाएं)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप के प्रस्ताव पर इस समय विचार नहीं हो सकता। **(अन्तर्बाधाएं)*** यह सब कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया जायेगा।

आज सुबह श्री वाजपेयी ने व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा के दौरान श्री ए० पी० शर्मा के बारे में कुछ कहा। अब श्री शर्मा उक्त स्थिति को स्पष्ट करना चाहते है।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : आज सुबह ग्यारह बजे के लगभग मैं केन्द्रीय कक्ष से बाहर जा रहा था। श्री वाजपेयी ने मेरे से बात करना चाहा। मैं एक बैठक में उपस्थित होने के लिए जा रहा था इस कारण मैंने उन से बात नहीं की। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंनें कहा है कि मैंने उनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया। यह बात सच नहीं है। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर आप सब के व्यवस्था के प्रश्न सुनुंगा।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : My point of order is that he has given his explanation without going through the record. This is not fair. Secondly, I have found whenever we try to talk to them they avoid us.

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : It appears from the explanation of Shri A. P. Sharma that neither was he present in the house nor did he read the proceedings. When Shri Atalji wanted to talk to him he had clearly stated that he was sorry.

श्री पी० एम० मेहता : मेरे विचार से श्री ए० पी० शर्मा ने अध्यक्षपीठ को सूचित नहीं किया कि किस आधार पर अथवा किस विषय पर वे वक्तव्य दे रहे है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंनें मुझे सूचित कर दिया है। यदि आप ने मेरी बात सुनी होती तो आपने यह प्रश्न नहीं पूछा होता। मैंने सारी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी थी।

श्री पी० एम० मेहता : उन्होंने केवल यही कहा था कि वे स्पष्टीकरण के लिए एक वक्तव्य देना चाहते है। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे क्या वक्तव्य देना चाहते है।

Shri Madhu Limaye : Right of personal explanation is very sacred right. When he does not know what was stated by Shri Vajpayee, what explanation was he giving ? This has happened with me also. This matter should be treated as a contempt of the House.

श्री पी० जी० मावलंकर : श्री ए० पी० शर्मा ने कहा कि जो कुछ उन्हें बताया गया अथवा जो कुछ उन्होंने सुना उसके आधार पर वे वक्तव्य देना चाहते है। मेरा सुझाव है कि उन्हें पहले तथ्य मालूम कर लेने चाहिये। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी संसद सदस्य द्वारा केवल इस बात के आधार पर कि उन्हें बताया गया है कि उनके

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया।

*Not recorded.

[श्री पी० जी० मावलंकर]

बारे में कुछ कहा गया था, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के रुप मे वक्तव्य देने के अधिकार का दुरुपयोग किया जा सकता है। श्री शर्मा को चाहिये कि वे पहले कार्यवाही वृत्तान्त देख ले बाद में कल अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दें।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है की इस प्रकार के विषयों को केवल विनोद के रुप में ही लिया जाना चाहिए ।

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप को कोई नई बात कहनी है तो मुझे इस पर अपनी व्यवस्था को लेने दे . . .

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इनमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । यह सब भी वक्तव्य हैं।

Shri Shashi Bhushan : Leader No. 2 of our Party has explained the position. There is no such decision by our Party.

सीमा शुल्क, स्वर्ण (नियन्त्रण) और केन्द्रीय ऊत्पाद शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक—जारी

CUSTOMS, GOLD (CONTROL) AND CENTRAL EXCISE AND SALT (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब श्री के० आर० गणेश द्वारा 31 जुलाई, 1973 को प्रस्तुत निम्न-लिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :—

> " की सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ । जहां तक स्वर्ण नियन्त्रण का संबंध है, विधेयक (1) सजा को बढ़ाने और (2) धारा 100 में कुछ परिवर्तन करने तक ही सीमित है । स्वर्ण नियन्त्रण आदेश ने छोटे स्वर्णकारों का विनाश किया है । इसने लाखों स्वर्णकारों को बेरोजगार किया और उन्हें जीवन निर्वाह साधनों से वंचित किया । जिस समय हमारी प्रधान मंत्री कांग्रेस की अध्यक्ष थी उस समय उन्होंने उन स्वर्णकारों की मुसीबतों के बारे में अपने विचार व्यक्त किये ।

आज अधिनियम में अनेकों संशोधनों एवं परिवर्तनों के पश्चात् भी स्वर्णकारों की वही अवस्था है । छोटे स्वर्णकार कार्य नहीं कर सकते । इन संशोधनों से बड़े बड़े नगरों के बड़े बड़े ज्यूलर्स तथा व्यापारी लाभान्वित हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे शहरों के छोटे स्वर्णकार 22 कैरेट के आभूषण नहीं बना सकते । वे अपने ग्राहकों से पुराने गहने खरीद कर उन्हें फिर से नया नहीं बना सकते । इस स्थिति का सुधार होना चाहिये ।

खंड 16 के अधीन 'छोटे लेनदेन' की व्याख्या के परिवर्तन के द्वारा धारा 100 का संशोधन प्रस्तावित है । इसके अन्तर्गत 25 ग्राम की मात्रा को बढ़ा कर 100 ग्राम किया जा रहा है । यह तो ठीक है । परन्तु धारा 42 का क्या होगा ? क्या वह स्वत: ही समाप्त हो जायेगी ।

इस बारे में मेरा सुझाव है कि 100 ग्राम की इस मात्रा को बढ़ाकर 500 ग्राम कर दिया जाये। किसी भी स्वर्णकार के लिये दिन में आभूषण तैयार करने के लिये 100 ग्राम की मात्रा पर्याप्त नहीं है ।

छोटे स्वर्णकार ऋणों की अदायगी के बारे में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं । ये ऋण उन्हें पुनर्वास के लिये दिये गए थे । अब तक इनको वापस करने की अवधि पांच वर्ष थी । अनेक छोटे स्वर्णकार इस अवधि में अपने आप को ठीक से कारोबार में लगा नहीं सके । अत: वे ऋणों की अदायगी नहीं कर सकते । मेरा अनुरोध है कि इस पांच वर्ष की अवधि को पांच वर्ष और बढाया जाये ।

इस समय ऋण के वापस न कर सकने की स्थिति में उनका प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाता है। यह उचित नहीं है। ऋण अदा करने में उसकी असमर्थता ही प्रकट करती है कि वह गरीब और असमर्थ है । यह शर्त भी हटाई जानी चाहिये । मेरा एक और सुझाव है कि 1500 रुपए तक के ऋण को राजसहायता माना जाये ।

स्वर्णकारों को प्रमाणपत्र देने के नियम बहुत ही बेढंगे है । एक नियम के अनुसार केवल 1963 से पूर्व अथवा 1963 तक आवेदन पत्र देने वाले स्वर्णकारों को ही प्रमाणपत्र मिलेगा । एक आयोग ने कहा 1968 तक प्रमाणपत्र मिलेगा । बाद में एक अधिसूचना द्वारा कुछ संशोधन किया गया । उसके बारे में अधिकतर लोग ही नहीं अनेक अधिकारी भी नहीं जानते । अत: इस बारे में अधिनियम में ही संशोधन किया जाना चाहिये। यह संविधान के भी प्रतिकूल है । संविधान के अन्तर्गत व्यवसाय का अधिकार सब को प्राप्त है। इस प्रकार की बातों से स्वर्ण का उपयोग नहीं रोका जा सकता । अत: इस बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । क्या हम उन्हें देश में वैकल्पिक रोजगार दे सकते हैं ? देश में लाखों व्यक्ति बेरोजगार हैं । आप और लोगों का रोजगार छीन कर उन्हें बेरोजगार कर रहे हैं ।

सभी प्रमाणिकृत स्वर्णकारों को अनुमति होनी चाहिये कि वे ग्राहकों से हर बार 200 ग्राम तक पुराने आभूषण व स्वर्ण खरीद सकें और अपने पास 500 ग्राम तक के आभूषण रख सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संशोधन विधेयक को मुख्य अधिनियम से अलग करना कठिन है परन्तु फिर भी इस विधेयक का प्रयोजन सीमित है। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सब इस विधेयक की सीमा से बाहर है । मेरा अनुरोध है कि सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिय ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (ओसग्राम)* : मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। यह बताया गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य बीजकों में हेराफेरी के द्वारा विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकना है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हुं कि काले धन वाले, पूंजी पति बडे बडे आयातक तथा निर्यातक देश को इस बारे में धोखा दे रहे हैं । अत: विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है परन्तु यह अपूर्ण है और इस बारे में अधिक विस्तृत विधेयक की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत समाज विरोधी तथा राष्ट्र-विरोधी कार्य करने वालों को सजा दी जा सके । 1968 के स्वर्ण नियंत्रण आदेश से स्वर्णकारों का घरेलू उद्योग के रूप में व्यवसाय लगभग समाप्त हो गया उक्त आदेश के विरोध में सारे देश में आन्दोलन हुए । केवल बंगाल प्रांत में ही 100 से अधिक स्वर्णकारों ने आत्महत्या की । अन्य लोगों के समान मेरा भी मत है कि ऋण की अदायगी के लिये नियत अवधि को 10 वर्ष तक बढाया जाए । सरकार को 1500 रुपए तक

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Engligh Translation of the Speech delivered in Bengali.

[श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर]

के ऋण लेने वाले स्वर्णकारों को ऋण की वापसी के लिये नहीं कहना चाहिये । इससे छोटे स्वर्णकारों की बहुत सहायता होगी । प्रमाणपत्र जारी करने के नियमों में संशोधन होना चाहिये । अतः इन सब बातों के लिये एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

श्री बनमाली पटनायक (पुरी) : एक धारा में उल्लेख है कि स्वर्णकारों को अपना लेख रखना होगा । परन्तु अधिकतर स्वर्णकार अशिक्षित हैं अतः वह लेखे नहीं रख सकते । लाइसेंस के अनुदान के लिये आवेदन पत्र मांगने के बारे में अनेक अधिसूचनाएं जारी की जा रही है । परन्तु सीमाशुल्क विभाग के सहाय्यक आयुक्त के भुवनेश्वर कार्यालय में 1967-68 अवधि में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों का अभी भी निपटान होना है । स्वर्णकारों को इससे अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं । सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वर्णकारों को सताया जाता है । इस बारे में स्पष्ट आदेश जारी किए जाने चाहिये कि स्वर्णकारों को सताया न जाय ।

स्वर्णकारों द्वारा ऋण की वापसी में कठिनाई अनुभव की जा रही है । कई राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि ये ऋण वसूल करना संभव नहीं अतः इसे बट्टे खाते डालो जाए । केन्द्रीय सरकार को इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये ।

सोने चांदी का बारीक काम करने वाले संगठन के कार्य मे सीमा–शुल्क अधिकारियों द्वारा बाधाएं पैदा किये जाने के कारण 10 लाख रुपए का निर्यात आदेश का पालन नहीं किया जा सका ।

उड़ीसा में पृथक सीमा शुल्क केन्द्र खोलने का आश्वासन दिया गया था परन्तु उसका पालन नहीं किया गया । क्या मंत्री महोदय स्थानीय लोगों की कठिनाईयां दूर करने के लिए शीघ्र ही वहां एक निदेशालय स्थापित करेंगे ?

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : In connection with the present Bill it has been stated that it has been brought in accordance with forty seventh report of the commission. In this Bill three bills are consolidated and it has become a lucky document.

I feel that if this Bill is circulated for eleciting public opinion, it would be a good thing. Gold Control was brought about to check smuggling of Gold. Gold worth crores of rupees is being smuggled into the country every day. Custom authority hardly take any action. Severe punishment should be given to the smugglers. It smuggling is not stopped, the rates of gold would continue to rise.

When gold control was introduced, an assurance was given that the children of goldsmiths would be given priority in employment. But their interests have not been cared for. The goldsmith of Bombay have not been permitted to display gold ornaments in show rooms even though they possess licences.

The Gold Control Act failed to Control gold but has succeeded in imposing checks on goldsmiths.

As regards imposing production fee an salt is concerned, I would like to refer to Salt Satyagrah of Mahatma Gandhi. No such duty should be imposed.

Shri Shashi Bhushan (South-Delhi) : The love for gold in our country is a bad thing. In capitalist and Socialist countries the people's love for gold is on the decline.

So long as love for fold continues, the efforts of the labourers cannot succeed.

China has mobilised all its gold resources and has become a self reliant country today.

The Food corporation is working for collecting foodgrains. We have to take over rice, oil.

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिये आप संशोधन रखिए ।

Shri Shashi Bhushan : Small goldsmiths should be provided employment in Food Corporation Railways etc.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने विधेयक को पढ़ा है ?

Shri Shashi Bhushan : I have gone through it. So I say that the use of gold may be banned in India. Smuggling cannot be checked by the methods presently being adopted offenders should be severly punished. There was a proposal to engage fast vessels and aircrafts to check smuggling. But the proposal was not put into action under influence of smugglers. In the interest of the country you have to take strong action against the law breakers.

Shrimati Saharda Bai Rai (Sagar) : The village farmers depend on gold at the time of need. These days our sisters do not possess gold to help their husbands in difficult times. For small farmers and village goldsmiths there should be no restriction. There should be no limit on the ladies to wear gold.

The ornaments given to goldsmiths for their rehabilitation should not be recovered from them as they are starving these days without employment.

श्री ए० के० एम० इसराक (बसिरहाट) : इस विधेयक द्वारा दोष सिद्धि का भार अभियोजक के स्थान पर अभियुक्त पर डाला जाने का प्रस्ताव है । मुझे पता नहीं है कि क्या इसे गैर कानूनी घोषित किया जायेगा । खण्ड 9 द्वारा साक्ष नियमों में संशोधन करने का यत्न किया गया है और खंड 9 मे एक नया साक्ष नियम रखा गया है । मंत्री महोदय इन बातों का उत्तर दे ।

श्री धामनकर (भिवंडी) : नमक अधिनियम के उल्लंघन किये जाने पर कुछ दंड निर्धारित किये गये हैं । छोटे नमक निर्माताओं को लाइसेंस शुल्क देने के लिये दूर दूर तक जाना पडता है । मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : इस वाद विवाद में भाग लेने तथा उपयोगी सुझाव देने के लिये मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं ।

यह विधेयक विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित है । औद्योगीकरण एवं नागरीकरण के कारण वित्तीय एवं आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं और कानूनों मे उनका सामना करने के लिये समुचित व्यवस्था नहीं है ।

विधि आयोग ने इन समस्यायों का सम्यक अध्ययन करने के पश्चात मूल्यवान सुझाव दिये हैं ।

सदस्यों द्वारा कुछ कानूनी मामले उठाये गये हैं । इस बारे में की गई सिफारिशें विधि आयोग जैसी शक्ति सम्पन्न समितियों द्वारा की गई है । ये सभी व्यवस्थाएं विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक में सम्मिलित हो चुकी हैं । हमारे लिये आवश्यक हैं कि हम कुछ आवश्यक शक्तियों से युक्त हों । इस विधेयक द्वारा यही चेष्टा की गई है ।

अधिकतर चर्चा स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम से सम्बन्धित थी । जहां तक सरकार का प्रश्न है हमारी स्वर्णकारों के साथ पूरी सहानुभूति है । उनकी कठिनाईयों के बारे मे सरकार अब भी सचेत है ।

उचित सजा न दिये जाने के बारे में कहा गया है । हमारे पास इस बारे में शक्तियां नही की जिन्हें इस विधेयक द्वारा प्राप्त करने का यत्न किया जा रहा है ।

[श्री के० आर० गणेश]

श्री बनर्जी ने सीमा-शुल्क रोकथाम विभाग द्वारा तस्करी के विरूद्ध आवश्यक जल पोतों की खरीद का उल्लेख किया है। उस प्रस्ताव को समाप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।

उक्त पोतों की उपयोगिता का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने कुछ पोतों के बारे में सिफारिश की थी। प्रधान मंत्री ने इसे रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक परामर्श दाता को भेजा था जिसने एक विशेष प्रकार के जलपोत का समर्थन किया है। कुछ सरकारी अधिकारियों को कुछ देशों में जलपोत के चयन के लिये भेजा गया था। मैं समझता हूं कि हम इस समस्या का समाधान कर पायेंगे। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने 4.50 लाख रुपए वापस कर दिये हैं।

स्वर्णकारों द्वारा आभूषण रखने की सीमा पर नियंत्रण रखने के बारे में कुछ सदस्यों ने उल्लेख किया है। स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम में 25 ग्राम सोने तक का क्रय-विक्रय वैध था। परन्तु बंबई तथा कुछ अन्य स्थानों पर कुछ व्यक्ति एक ही दिन में 25 25, ग्राम के कई सौदे करते हैं। इस संशोधन का एक उद्देश्य यह भी है कि 100 ग्राम से अधिक सोना बेचने वालों का विवरण रखा जायेगा। लाइसेंस प्राप्त स्वर्णाकारों को इस प्रकार का विवरण रखना पड़ेगा।

श्री वसंत साठे : छोटे ग्रामीण लोगों के लिये खाता रखना कठिन है।

श्री के० आर गणेश : मैं संशोधन के उद्देश्य को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं जो बेईमान लोगों द्वारा लाभ उठाई जा रही इस कमी को दूर करने के लिये है। जहां तक स्वर्णकारों का सम्बन्ध है, हमने यह अनुदेश दे दिया है कि निरीक्षण कर्मचारी खाते आदि न रखते जैसे तकनीकी अपराधों के लिये स्वर्णकारों के साथ कठोर बर्ताव न करें। हम स्वर्णकारों के हितों की रक्षा के लिय कार्यवाही करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अधिनियम के लागू होने की प्रक्रिया में उन्हें सताया न जाये।

श्री वसंत साठे : क्या इससे धारा 42 पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

श्री के० आर० गणेश : जी नहीं।

यह मामला राज्य सरकारों का है। व छोट स्वर्णकारों की समस्याओं की जांच करेगी और आवश्यक कार्यवाही करेंगी।

जहां तक उड़ीसा के माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं उन्हें सूचित करता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिये एक निर्णय किया गया है कि उड़ीसा के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की प्रभार भर्ती, कार्मिक, नीति, तकनिकी मामलो और मूल्लांकन के संबन्ध में स्वतंत्र रूप से चला रहे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस निर्णय को क्रियान्वित किया जाये।

जहां तक प्रो० मधु दंडवते के इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि धारा 85 मे संशोधन करने से छोटे स्वर्णकार प्रभावित होंगे या नहीं, वे इससे प्रभावित नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : हम खंडवार विचार करेंगे। खंड 2 से 7। कोई संशोधन नहीं है। मैं उन्हें सभा के समक्ष रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 7 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 2 से 7 विधेयक में जोड दिए गए।

Clauses 2 to 7 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रस्ताव विधेयक का अंग बनने के लिये नया खंड 7 क रखने का है। क्या आप वह संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री के० आर० गणेश : जी, हां। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"7A. In Section 138 of the Customs Act, for the words, brackets and figures "under Clause (i) of Section 135" the words, brackets and figures "under clause (i) of Sub-Section (2) of that Section" shall be substituted."

"7 क. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 138 में "धारा 135 के खण्ड (i) में" शब्द, अंक और कोष्ठक के स्थान पर "धारा 135 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जायेंगे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

7A. "In Section 138 of the Customs Act, for the words, brackets and figures "under Clause (i) of Section 135" the words, brackets and figures "under clause (i) of Sub-Section (2) of that Section" shall be substituted.

"7 क. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 138 मे "धारा 135 के खण्ड (i) में शब्द, अंक और कोष्ठक के स्थान पर "धारा 135 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के अधीन या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन" शब्द, अंक और कोष्टक रखे जायेंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7क विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 7क को विधेयक में जोड दिया गया।

Clause 7A was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 8 । कोई संशोधन नहीं है । मैं इसे सभा के मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 8 को विधेयक में जोड दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 9 । आपका संशोधन है ।

श्री के० आर० गणेश : जी, हां । मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 43 :—

"Offence" (अपराध) के बाद "alleged to have been committed bv any person" (किसी व्यक्ति द्वारा किये गये अभिकथित) शब्द रखे जायें (संख्या 4) ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह औपचारिक संशोधन है ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 4, पंक्ति 43 :--

"Offence" (अपराध) के बाद "alleged to have been committed by any person" (किसी व्यक्ति द्वारा किये गए अभिकथित) शब्द रखे जायें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 9 को संशोधित रूप में, विधेयक में जोड दिया गया ।

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

खंड 10 से 14 विधेयक में जोड दिये गए ।

Clauses 10 to 14 were added to the Bill.

नया खंड 14क

New Clause 14A

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 6, पंक्ति 48 के बाद रखा जाये–

14क. स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम की धारा 98 में खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाय, अर्थात् : –

"(ii) every offence against this Act, other than an offence punishable under clause (a) of sub- section (1), or under sub-section (2) of section 85 may be tried summarily by a magistrate."

(ii) धारा 85 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध से भिन्न इस अधिनियम के विरुद्ध प्रत्येक अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जा सकेगा ।] (संख्या 5)

(श्री० के० आर० गणेश)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14 क विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 14 क विधेयक में जोड दिया गया ।

Clause 14A was added to the Bill.

खंड 15 से 22 विधेयक में जोड दिए गए ।

Clauses 15 to 22 were added to the Bill.

खंड 1

Clause 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6 :

"1973" (1972) शब्द के स्थान पर "1973" (1973) शब्द रखा जाय । (संख्या 2)

(श्री के० आर० गणेश)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 [संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 1 मे संशोधित रुप में विधेयक में जोडे दिया गया ।

Clause 1, as amended was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र

Enacting Formula

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1 पंक्ति । :—

"Twenty-third" (तेईसवें) शब्द के स्थानपर "Twenty-fourth" (चौंवीसवें, शब्द रख दिया जाये । (संख्या 1)

(श्री के० आर० गणेश)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड दिया गया ।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिया गया ।

The Tittle was added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

Shri Madhu Limaye : I have been raising the question of smuggling since long. I raised an issue regarding Chhoti Sadari Gold Scandal in 1966 when Shri Sukhadia was the Chief Minister. I was informed that the matter had been referred to the C.B.I.

Shri Nawal Kishore Sharma : How it is relevant to Gold Control ?

Shri Madhu Limaye : There is a clause in the Bill providing for punishment to the smugglers. (*Interruptions*)

कुछ माननीय सदस्य : हमारा व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक–एक करके बोलिये ।

श्री बी० वी० नायर : चर्चा के दौरान उन्होंने ... नाम लिया है (व्यवधान) श्री सुखाडिया इस समय मैसूर के राज्यपाल हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : मजदूर संघ के नेता के नाते राष्ट्रपति गिरि द्वारा कही गई बातों का उल्लेख जब सदन में किया गया तो अध्यक्ष महोदय ने उस पर आपत्ति नहीं की ।

Shri Madhu Limaye : I am referring to the proceedings of this House.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इस व्यवस्था के प्रश्न पर निवेदन करना चाहते हैं तो आप वैसा कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : When Shri Sukhadia was the Chief Minister of Rajasthan, Shri Chavan himself....

श्री मूलचंद डागा : नियम 352 के अनुसार कोई सदस्य बोलते समय उस समय तक 'उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण' के बारे में नहीं बोलेंगे जब तक चर्चा उचित रुप में रखे गए किसी मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो।

श्री बी० आर० शुक्ल : राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध आक्षेप लगाया गया है। राज्यपाल के नाते उनका आचरण चर्चा का विषय नहीं है। संसदीय शिष्टाचार और प्रथा तो यही है कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध आक्षेप नहीं लगाये जाने चाहियें जो उनका खंडन करने की स्थिति में नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : जो व्यक्ति सभाका सदस्य नहीं है उसके विरुद्ध आक्षेप लगाया गया है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब इसकी लिखित सूचना दी जाये।

श्री लिमये से अनुरोध है कि वह यह आरोप सभा के बाहर लगायें।

श्री जी० विश्वनाथन् : इस बात पर चर्चा करने में कोई गलत बात नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच का क्या निष्कर्ष निकला।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : नियम 352 में इस बात का स्पष्ट निषे किया गया है कि उच्च प्राधिकार वाले किसी व्यक्ति के आचरण पर यहां चर्चा की जाये। अतः मुख्य मंत्री की हैसियत से उनके आचरण की भी चर्चा यहां नहीं की जा सकती।

श्री नवल किशोर शर्मा : श्री गोस्वामी ठीक ने ही कहा है। मुझे आशा है कि श्री लिमये स्वस्थ संसदीय प्रथा का पालन करेंगे।

Dr. Laxmi Narain Pandeya (Mandsaur) : I think any reference can be made in this House regarding the previous proceedings of this House.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : On a point of order.....

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यदि आप नई बात कहना चाहते हैं तो मैं उसे नहीं सुनूंगा।

Shri Ramavatar Shastri : If any subject, which has already been discussed in this House, is raised again, would it be improper to raise that ?

श्री वसंत साठे : नियम 352 के अनुसार यदि मूल प्रस्ताव लाया जाये तो उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के आचरण पर चर्चा की जा सकती है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्री सुखाडिया के मित्रों को चाहिये कि उनका बचाव करने की बजाय इन बातों को लेकर आगे आना चाहिये . . . (**व्यवधान**)

श्री पी० के० देव : यह कोई नया विषय नहीं है। छोटी सादड़ी के मामले को लेकर दो लोक सभाओं में चर्चा हो चुकी है।

कुछ माननीय सदस्य—**खड़े हुए**।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं काफी सुन चुका हूं। मैं समझता हूं इस विषय पर अब और निवेदन नहीं किये जायेंगे। श्री स्टीफन, यदि आपको कोई नई बात कहनी है तो आप कह सकते है।

श्री सी० एम० स्टीफन : हम इस समय विधेयक के तीसरे वाचन पर चर्चा कर रहे हैं। नियम 94 में स्पष्ट लिखा है कि तीसरे वाचन पर विधेयक के समर्थन अथवा विरोध म तर्क प्रस्तुत किये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। मैं अब और तर्क नहीं सुनूंगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे—खडे हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि मामला बहुत नाजुक है अत: मैं अधिक से अधिक सदस्यों की बात सुनूंगा। मैं श्री सालवे तथा श्री रामकंवर की बात सुनूंगा। श्री साल्वे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : इस विषय का निर्णय करने के लिये जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जिस व्यक्ति के आचरण के विरुद्ध जो बात कही जा रही है वह व्यक्ति इस समय उच्च पद पर आसीन है या नहीं इसका निर्णय उसी संदर्भ मे किया जाना चाहिए।

Shri Ram Kanwar (Tonk) : The Government have been saying time and again that the case is being investigated. This case should have been decided before he resigned the office of the Chief Minister.

उपाध्यक्ष महोदय : यह अलग प्रश्न है। इसका व्यवस्था के प्रश्न के साथ कोई सम्बध नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। वैसे प्रथा तो यह है कि जब किसी नाम का उल्लेख करना होता है तो अध्यक्ष महोदय को किसी प्रस्ताव की पहले से सूचना देकर, उनकी अनुमति ले ली जाती है परन्तु छोटी सादड़ी के इस विशेष सोना कांड पर सभा मे कई बार चर्चा हो चुकी है। जब हमने प्रधान मंत्री से अपील की तो उन्होंने इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंप दिया और जब श्री सुखाड़िया त्यागपत्र दे रहे थे तो पार्टी ने धमकी दी कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तो उन्हें जबरदस्ती त्याग–पत्र देना पड़ा . . . (**व्यवधान**)

इस विषय पर जब सभा मे चर्चा हो चुकी है तो यह पूरी तरह उचित है कि इसे फिर लाया जाये।

Shri K. C. Pandey (Khalilabad) : If the allegation made by Shri Limaye against a Governor is kept in the proceedings of the House, it will hurt the decorum and decency of the House. It should be expunged from the proceedings.

Shri Hukam Chand Kachwai : A new legislation is going to be enacted. The report of the inquiry is also to be received. If any issue is quoted which has been discussed earlier in this House, I think nobody should have anv objection to that.

श्री एच० एम० पटेल : 1966 में श्री सुखाड़िया उस राज्य के मुख्य मंत्री थे और उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री ने विस्तारपूर्वक इस विषय पर हुई चर्चा का उत्तर दिया था। इस विषय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए श्री सुखाड़िया से सम्बन्ध मामले के उल्लेख की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर काफी चर्चा कर चुके हैं। इस पर मेरे विनिर्णय के बिना चर्चा कैसे होगी। मैंने आप सबकी बातें सुनी हैं। मैं सरकार से कुछ तथ्यों का पता लगाउंगा। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री सभा में मौजूद हैं। यह निवेदन किया गया है कि लोक-सभा की कार्यवाही में पहले भी यह विषय आ चुका है।

मैं कुछ बातों का उनसे उल्लेख कर रहा हूं। क्या छोटी सादड़ी का सोने का मामला लोक-सभा की कार्यवाही में पहले आ चुका है ? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या श्री मोहनलाल सुखाड़िया का नाम सभा की चर्चा में आया है ? मैं इस बात की पुष्टि करना चाहूंगा कि क्या इस समूचे मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था ?

यदि यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था तो क्या यह जांच अभी भी चल रही है, जांच किस अवस्था मे है ? यदि आप मुझे ये बात बता सकें तो मैं निर्णय कर सकूंगा।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने तीसरे वाचन के समय एक विशिष्ट प्रश्न उठाया है। यदि वह इसे पहले उठाते तो मैं यह जानकारी प्राप्त कर लेता। अतः इस समय में यह जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं (व्यवधान)

श्री मधु लिमये (बांका) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक के प्रथम पाठ के समय मैंने सदस्यों को बार बार कहा था कि वे संशोधन विधेयक पर नहीं बल्कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम की त्रुटियों पर बोल रहे हैं। विधेयक में विभिन्न अधिनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए और अधिक कठोर दण्ड देने की व्यवस्था है। इसमें दोषियों के नाम प्रकाशित करने की बात भी कही गई है। कई सदस्यों ने तो मुख्य विधेयक को रद्द करने अथवा उस में संशोधन करने का सुझाव दिया है। यह सभी बातें वर्तमान विधेयक से सम्बन्धित नहीं है। अतः इसी कारण मैंने श्री मधु लिमये की बात को रद्द नहीं किया था क्योंकि यदि उसको रद्द किया जाता है, तो जो सुद कहा गया था उसका तीन चौथाई भाग---असम्बन्धित घोषित करना पड़ता।

श्री सी०एम० स्टीफन (मुक्तुपूजा) : प्रक्रिया पर समूचे सदन को ध्यान देना चाहिए यदि को आपत्ति करता है तो अध्यक्ष को उस पर ध्यान देना चाहिए और नियम को कठोरता से लागू करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि तीसरे पाठ में सदस्यों को विधेयक के ब्यौरे का उल्लेख नहीं करना चाहिए। उन्हें विधेयक के पक्ष अथवा विपक्ष में तर्क ही देने चाहिए। मैं इससे सहमत हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं एक शब्द कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपा करके बैठ जाईए। श्री मधु लिमये ने अभी अभी अपना भाषण जारी किया है। मैं उनको सुनने का प्रयास कर रहा हूं। उनको सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैंने सरकार से कुछ जानने का प्रयास किया था परन्तु माननीय मंत्री ने कहा है कि वह इस समय कुछ जानकारी देने की स्थिति में नहीं हैं। उनकी जानकारी के बिना मेरे लिए अपना विनिर्णय देना कठिन है। मंत्री महोदय ने कहा है कि रिकार्ड देखने के लिए उनके पास समय नहीं था। इसी कारण वह तथ्य नहीं बता सके इनके बिना मैं अपना विनिर्णय नहीं दे सकता। यदि, सदन सहमत हो तो विधेयक पर चर्चा को स्थगित किया जा सकता है।

श्री वसंत साठे (अकोला) : चर्चा जारी रह सकती है। आप अपना विनिर्णय स्थगित कर सकते है। माननीय सदस्य केवल इस प्रश्न पर नहीं बोल सकते।

Shri Madhu Limaye : For saving the time I was speaking in the Third reading otherwise I wanted to speak during the clause by clause discussion. You told me to speak at one time on all the points.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लिमये कृपा करके बैठ जाए।

श्री मधु लिमये : क्या आपने मुझे नहीं कहा था कि मैं तृतीय पाठ के समय ही अपना भाषण करूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा की कार्यवाही को उचित ढंग से चलाना चाहता हूं। मै चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिले। अब प्रश्न यह है कि क्या श्री मधु लिमये अपना भाषण जारी रख सकते है अथवा नहीं। मुख्य प्रश्न यह है कि बिना मेरे विनिर्णय के वह अब आगे बोल सकते हैं कि नहीं।

श्री वसंत साठे : प्रश्न यह था कि एक व्यक्ति विषश का उल्लेख वैध हैं अथवा नहीं। आप इस पर अपना विनिर्णय बाद में दे सकते हैं। आप माननीय सदस्य को भाषण जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक नाजुक प्रश्न है। अतः में जल्दी में अपना विनिर्णय नहीं देना चाहता। यदि सदस्यगण कुछ और बात कहना चाहते हैं, तो मैं सुनने को तैयार हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप ने कहा है कि यह विधेयक स्वर्ण नियंत्रण अधिनिश्चम से सम्बन्धित नहीं है। परन्तु इसके कारण तथा उद्देश्य बताने वाले विवरण में इसका उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह है कि स्वयं अधिनियम में ही संशोधन किया जा रहा है और कुछ खण्ड शामिल किए जा रहे हैं। श्री स्टीफन की आपत्ति यह है कि ऐसे मामले को तीसरे पाठ में क्यों उठाया जा रहा है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि इस मामले को पहले अथवा दुसरे पाठ के समय उठाया जाना चाहिए था। यह आपत्ति तकनीकी है।

श्री लिमये ने छोटी सादडी के मामले का उल्लेख किया है। यदि इस बात का पहले अथवा दूसरे पाठ के समय उठाया जाता तो श्री स्टीफन को कोई आपत्ति नहीं थी।

दूसरी आपत्ति यह उठाई गई है कि अब उनको मुख्य मंत्री से राज्यपाल बना दिया गया। इसलिए अब उनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि मुख्य मंत्री पर इस सदन में आक्षेप किया जा सकता है। मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जबकि कानुनगो पर, जबकि वह गवर्नर नियुक्त हो गये, इस सदन में आक्षेप किये गये थे। श्री धर्मवीर पर भी इस सदन में आक्षेप किया गया था। सत्तारुढ़ दल के सदस्यों को इतना भावुक नहीं होना चाहिए। वह वास्तव में इस मामले में अन्तर्ग्रस्त थे।

श्री बी० वी० नायक (कनारा): यदि माननीय सदस्य श्री मधु लिमये यह आश्वासन दे कि वह श्री मोहन लाल सुखाडिया के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेंगे तो उन्हें अपना भाषण जारी रखने की अनुमति दी जाये और आप यदि चाहें तो अपना विनिर्णय दे सकते थे। श्री लिमये किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र पर कीचड़ उछालने में मास्टर है।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डिवाश) : माननीय सदस्य ने कहा है कि श्री लिमये किसी के चरित पर कीचड़ उछालने में मास्टर हैं। यह गलत है। उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने इन शब्दों पर गम्भीर आपत्ति उठाई है।

एक माननीय सदस्य : वह एक पास्टमास्टर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। पास्टमास्टर।

श्री शिवनाथ (झुनझुनु) सिंह : यह एक बुरा शब्द नहीं है। यह एक अच्छा शब्द है, माननीय सदस्य को आप परामर्श दें कि वह इन शब्दों पर आपत्ति न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार मे यह शब्द असंसदीय नही हैं। परन्तु मैं मधु लिमये को अपने बचाव का अवसर देता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : क्या माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : उन्होंने अपना भाषण अभी समाप्त नहीं किया (**व्यवधान**)।

Shri Madhu Limaye : You cannot take up next item unless I reply to this (*Interruption*)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये की शंका ठीक नहीं है। आधे घण्टे की चर्चा भी उनके नाम पर है अतः वह कुछ मिनट आगे की जा सकती है। मैं उन्हें बचाव का अवसर देना चाहता हूं।

श्री बी० बी० नायक : इस सदन में किसी न किसी के चरित्र को उछाला जाता है। आज दुर्भाग्य से श्री सुखाडिया की बारी आ गई। कल किसी अन्य के चरित्र पर कीचड़ उछाला जा सकता है। मैं चाहता हूं कि श्री लिमये अपने उपर नियंत्रण रखें और वह लोकतंत्रात्मक प्रथाओं के अनुसार ही कार्य करें।

Shri Madhu Limaye : It is in the proceedings of the 17th April, 1970. A question was asked on that. The question was 'The names of State Chief Ministers and State Ministers against whom a case was referred to the C.B.I. for enquiry in the last three years. What were the allegations against each Minister and what was the enquiry report ? The 'c' part of the Question was the names of the Chief Ministers and Ministers about whom C.B.I. recommended prosecution and the 'd' part was about names of the Ministers against whom the enquiry is still pending?'

So this the hon. Minister replied "Shri Mohan Lal Sukhadia, Chief Minister of Rajasthan."

In reply to parts (c) and (d) it was stated "that the allegations against Shri Sukhadhia relate to misapropriation of a portion of Gold entrusted to Shri Ganpat Lal by Shri Gunwant Lal Godavat of Chhoti Sadri". The C.B.I. is conducting a preliminary enquiry into the "Chhoti Sadri Gold Case."

Mr. Deputy Speaker in 1966 Graised half-an-hour discussion (*Interruption*)

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : He should answer in 'Yes' or 'No'.

Shri Madhu Limaye : I am quoting from the debate I am explaining as to whether it is character assassination or not ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रकार आक्रोश में न आयें। मैं पहले ही व्यवस्था का प्रश्न सुन रहा हूं अतः कोई दूसरा व्यवस्था का प्रश्न इस समय नहीं सुन सकता अब प्रश्न यह है कि श्री नायक ने श्री मधु लिमये के विरूद्ध कुछ शब्द कहें हैं और सदस्यों ने मांग की है कि उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाये, मैं ने इस पर यह कहा था कि ये शब्द असंसदीय नहीं हैं और श्री लिमये स्वयं अपना बचाव कर सकते हैं। मेरे विचार में वह ऐसा ही कर रहे हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : अब साढ़े पांच बजे गये है। अतः आधेघंण्टे की चर्चा आरम्भ होनी चाहिए।

श्री मधु लिमये : मैं इसे स्थगित करने के लिए तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इस चर्चा को अब रोककर आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ की जाती है तो श्री मधु लिमये को अपना भाषण जारी रखने की कल अनुमति देनी होगी।

श्री मधु लिमये : मेरे विरुद्ध जो आरोप लगाया गया है मुझे उसका उत्तर देना है। आधे घण्टे की चर्चा स्थगित कर दी जाये।

श्री शिवनाथ सिंह : आधे घण्टे की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अभी लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या हमें अगले मद पर चर्चा करनी चाहिए। मैं चाहता हूं इस बारे में सदन निर्णय करे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कुछ समय पूर्व मैंने आप से कहा था कि मैं एक व्याख्या करना चाहता हूं। आपने कहा था कि आप मुझे समय देंगे और उसके पश्चात अगले मद पर चर्चा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय मंत्री इस मामले में क्या कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मेरा सुझाव है कि अब आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

श्री मधु लिमये : मैं अपने उपर लगाये गये आरोपों का उत्तर आज ही देना चाहता हूं। आपने मुझे इसकी अनुमति दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह उत्तर कल भी दे सकते हैं।। इस सेआपको क्या अन्तर पड़ेगा।

Shri Madhu Limaye : I am speaking on a point of order. You are breaking your promise.

प्रो० मधु दण्डवते : पहले एक बात श्री गुह के नामपर आधे घण्टे की चर्चा होने वाली थी तो श्री गुह ने कहा था कि चल रही चर्चा को देखते हुए वह अनुरोध करते है कि आधे घण्टे की चर्चा स्थगित कर दी जाये। अब श्री लिमये ने भी यही अनुरोध किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय सहमत हो जायें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यदि आपत्ति नहीं है तो मुझे सदन की राय जाननी होगी।

Dr. Laxminarayan Pandeya (Mandsaur) : Preference should be given to the question of personal explanation (*Interruption*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैं अपना वचन तोड़ रहा हूं। मैंने यह कहा था कि मैं आपकी पूरी बात पर ध्यान दूंगा और यदि आप साढ़े पांच बजे तक अपनी बात पूरी नहीं कर सके तो फिर कल आप अपनी बात कह सकते हैं **(व्यवधान)**।

यह ठीक है कि पहले आधे घण्टे की चर्चा को स्थगित किया गया था। परन्तु ऐसा सदन की राय से ही किया गया था परन्तु अब इसपर आपत्ति की गई है। अतः मुझे सदन की राय जाननी होगी।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब श्री नायक बोल रहे थे तो श्री लिमये उठकरकहा था कि यह चर्चा साढ़े पांच बजे बन्द हो जायेगी और उनको अपनी व्याख्या देने का अवसर नही मिलेगा। उस समय आपने कहा था कि आप की शंका निराधार है। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि आपकी शंका निराधार है। परन्तु साढ़े पांच बजे की सीमा के बारे में मेरा मन पूर्ण तया स्पष्ट है। मेरे मन में साढ़े पांच के बाद भी जारी रखने की बात कभी नहीं थी। **(व्यवधान)**।

Shri Madhu Limaye : You are breaking your promise. I have to bring a no-confidence motion against you. You are not keeping your words.

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : वह अध्यक्षपीठ को धमकी कैसे दे सकते हैं?

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : उनको प्रस्ताव लाने दीजिए। हम इसपर आपत्ति करते हैं... **(व्यवधान)**

श्री लिमय ने अभी कहा है कि वह अध्यक्षपीठ के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लायेंगे। वह धमकी दे रहे है। यह असंसदीय बात है।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसिरहाट) : अध्यक्षपीठ पर गम्भीर आक्षेप किया गया है। उन्हे अपने शब्द वापस लेने चाहिएं।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : When you are breaking your promise, we must bring a no-confidence motion, You are lowering the dignity of the chair.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमयेअविश्वास का प्रस्ताव ला सकते है। ऐसा करना नियमानुसार है। परन्तु अध्यक्षपीठ को उसपर नहीं जा सकता।

प्रो० मधु दंडवते : यह ठीक है कि श्री मधु लिमय ने जो कुछ कहा आप उसे सुन नहीं सके। परन्तु आपने जो कुछ कहा वह मैने और अनेक अन्य सदस्यों ने सुना है। जब मने आपको कहा कि मैं एक निवेदन करना चाहता हूं...

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहली बात दोहरा रहे है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं। मैं उसके आगे कहना चाहता हूं कि श्री मधु लिमये ने कहा था कि जब श्री नायक अपनी बात जारी रखेंगे तो साड़े पांच बज जायेंगे और मुझे अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलेगा। इस के बाद आपने कहा था कि अगले मद पर चर्चा आरम्भ करने से पूर्व आप कुछ मिनट बोल सकते है। इसका अर्थ यह था कि साड़े पांच बजे के बाद की श्री मधु लिमये को अपनी बात कहने का अवसर दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि श्री लिमये को अपनी बात कहने से वंचित नहीं किया जायेगा। उनकी शंका निराधार है। मेरे मन में यह था कि यदि वह अपनी बात आज पूरी नहीं कर सके तो वह कल उसको जारी रख सकेंगे।

अब मेरा निर्णय है कि सदन आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ करे।

प्रो० मधु दंडवते : आप रिकार्ड देखिए।

निर्मित वस्तुएं और कृषी उत्पादों के मूल्यों में समानता सिद्धांत*

PRINCIPLES OF PARITY BETWEEN THE PRICES OF MANUFACTURED ARTICLES AND AGRICULTURAL PRODUCTS

उपाध्यक्ष महोदय : अब आधे घंटे की चर्चा की जायगी।

---

*आधे घंटे की चर्चा।

*Half an hour discussion.

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order. You have decided to postpone this discussion till tomorrow. You have also allowed to continue tomorrow. I only want to say that character assassination is done only of those persons who have some character but these persons have no character.

श्री भागवत झा आजाद : इस समय सभा के समक्ष कोई मद नहीं है। अत: व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी विषय के समाप्त होने तथा अगले विषय के आरम्भ होने से पूर्व व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। श्री मधु लिमये आधे घन्टे की चर्चा आरम्भ कर सकते है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I rise on a point of order. The time is now three minutes to Six. Are you going to finish it within three minutes ?

Shri Phool Chand Verma : Are you going to allow half an hour or not for this discussion ?

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा आरम्भ होने के समय ही आधे घण्टे के समय भी गणना आरम्भ होती है। माननीय सदस्यो को यह बात याद रखनी चाहिए।

Shri Madhu Limaye : There is absence of balance between prices of Agricultural commodities and industrial products. This results in exploitation of farmers and I want to raise half an hour discussion on the matter.

[श्री सेझियान पीठासीन हुए
SHRI SEZHIYAN *in the Chair*]

I had asked whether the raw material producing countries suffer in their trade *vis-a-vis* the furnished goods producing Countries. The prices of the farmers commodities fall during the harvesting season and when the products have been purchased by businessmen the prices start rising. As a result of this seasonal fluctuation the interests of the peasants are jeopardised. What steps the Government is taking to remedy the grievences of peasants.

The support price of wheat was suggested @ Rs. 76 per quintal. Now because Government have taken over the entire trade, the procurement price and the support price will be the same.

Shri Shanker Dayal Singh (Chatra) : There is no guorum in the house.

सभापति महोदय : सदन की यह परम्परा है कि 6 बजे के पश्चात कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जाता।

श्री पी० जी० मावलकर (अहमदाबाद) : पिछले सप्ताह कई अवसर ऐसे आये कि स ा मे गणपूर्ति नहीं थी परन्तु हमने जानबूझ कर मामला नहीं उठाया । अब यदि उधर के सदस्य इस पर जोर डालते है तो हम भी इसे उठाया करेंगे।

संविधान के विरुद्ध परम्परा कैसे बन सकती है। मैं सभा में गणपूर्ति की मांग करता हूँ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : यह भी परम्परा रही है कि खाने के समय जब सभा बैठती है तब भी गणपूर्ति का मामला नहीं उठाया जाता । आशा है आप इस परम्परा का आदर करेंगे ।

श्री पी० जी० मावलंकर : सभा में हर समय गणपूर्ति होनी चाहिए !

सभापति महोदय : अब सभा में गणपूर्ति है ।

Shri Madhu Limaye : Japan was not self reliant in the production of rice. Land reforms were introduced there and as a result of that 95% land now belong to tillers whereas the land in the hands of tenants is only 5%. They assist power tillers in order to increase the production of rice. Japan has now became self reliant in Rice.

In India levy has been enhanced on furtilizer. twice and the price of pesticides has also increased. In regard to procurement of wheat and rice do the Government want that the Agriculture should run in less, when prices of fertilizer and other factory products have been increased by 100 per cent to 150 per cent.

Factory owners are organized in such a way that even if the production is increased they would create artificial scarcity and raise the prices whereas the percents are unorganized There has been basically no change in the policy of nationalized banks for giving credit. The banking system has nine thousand crores of rupees while there is no money for installing pumping sets.

Is it not a fact that the prices of cotton between Jan., 1971 and April 1973 have declined by 28 to 50 per cent. At what rates the farmers sold groundnut and now what is the rate of Vanaspati.

Tobacco earns a lot of foreign exchange. The farmers do not get even 1/4 of its price. Nearby in cotton trade the farmers have been deprived of 400 Crores of rupees.

Shri Satpal Kapoor (Patiala) : You know that there are various qualities of cotton.

सभापति महोदय : आप व्यवधान न डालें ।

Shri Madhu Limaye : Suger cane growers in U. P. and Bihar are unorganized and were being badly exploited ast year. Shri Chavan stated that the price of sugar could be reduced by more production. But even after increase in production the price has not declined.

While determining the prices of farmer produce the production cost should be worked out and a crop plan drawn. Time has now come to have planning for farmers and have a plan for proper development of Agriculture.

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : There is a lot of difference between the price of farmer commodities and factory products because of the faulty policies of the Government. Does the Government propose to increase the prices of wheat, rice and sugar cane. ?

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर (औसग्राम) : पिछले 15 दिन में पटसन का मूल्य 45 रु० से घट कर 30 रु० रह गया है । क्या सरकार पटसन का मूल्य 80 रु० प्रतिमन निश्चारित करेगी ?

Shri M. C. Daga (Pali) : What are the reasons for the difference in the prices advised by the Agricultural Price commission and those advised by the Agricultural Institutes ?

How many farmers have holdings of less than 5 acres and what amount of loan has been advanced to them ?

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : It has been stated that prices are fixed in accordance with position of demand and supply. Finsihed goods are made of the agricultural raw material. But there is no relation between the prices of raw materials and those finished goods. Can there be parity between the labour and profit of Industries and Agricultural produce.

[Shri Shivnath Singh]

The members of the Agricultural Price Commission do not know what is the production cost of Agricultural produce and what are the difficulties they have to face.

Wheat is being served to cattle where as gram is being sold in the market. Will the Government declare the price of wheat before the sowing season ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मुझे प्रसन्नता है कि श्री मधु लिमये एवं अन्य साथियों ने एक राष्ट्रीय महत्व के मामले को उठाया है। कृषि उत्पादनों के देश के विकास में महत्वपूर्ण हाल है और रहेगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारी नीति कृषि उत्पादों के लिये समुचित मूल्य निर्धारित करने की होनी चाहिए ।

कृषि उत्पादनों एवं औद्योगिक उत्पादनों के मूल्यों में संलतुन का मामला उठाया गया है । यह वास्तव में गम्भीर मसला है। मैं स्वीकार करता हूं कि न केवल औद्योगिक एवं कृषि उत्पादों के मध्य अपितु कृषि उत्पादों के बीच भी मूल्यों में संतुलन की आवश्यकता है। अमरीका तथा कई अन्य देशों में ऐसे पन्तुलन बनाने की चेष्टा की गई थी। परंतु हमें अपने देश की स्थिति को ध्यान में रख कर इसपर विचार करना होगा। मेरा विचार इस मामले को कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग को सौंपने का है।

मैंने भी जापान की मूल्य संबन्धी नीतियों का कुछ अध्ययन किया है। जापान ने समर्थक मुल्यों की नीति द्वारा अपना उत्पादन बढाया। उन्होंने बहुत अधिक मूल्य पर खरीद कर बहुत कम मूल्य पर चावल बेचा।

भारत सरकार की इस बारे में कोई नीति नहीं रही थी। 1964 अथवा 1966 से पूर्व कीमते भी स्वेच्छापूर्वक निश्चित की गई थी। कृषि मूल्य आयोग प्रत्येक खाद्य पदार्थ की समस्याओं का अध्ययन कर उनकी कीमतें निर्धारित करता है। अब देश भर में खाद्यान्नों के उत्पादन मूल्य के व्यापक अध्ययन के लिये व्यवस्था की गई है।

अभी पहली बार आंकड़े एकत्र किये गये हैं जो आगे के लिये भी काम आते रहेंगे। मुझे आशा है कि भविष्य में हम कृषि उत्पादनों के मूल्य निर्धारण के लिये और अधिक दृढ नीति अपना पाएंगे।

श्री मधु लिमये : कृषि मूल्य आयोग में कितने प्रतिनिधि कृषकों के हैं।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह मामला कई बार सदन में उठाया गया है। शास्त्री जी के समय भी यह मामला उठाया गया था। यह मामला इतना सरल नहीं है। पहले ही कृषकों का एक परामर्शदातृ पेनल है जो कृषि मूल्य आयोग को परामर्श देता है। मैं स्वीकार करता हूं कि इस पद्धति में सुधार के अवसर है।

यह वर्ष तो विशेष रूप से असामान्य रहा है। पिछले 40, 50 अथवा 100 वर्षों का रिकार्ड देखने से पता चलता है कि फसल के समय मूल्य घटते रहे है और बाद में बढते रहे हैं। इन्हीं बातों को दूर करने के लिये खाद्य व्यापार का सरकारी करण किया गया है।

पटसन के उत्पादकों को भी समर्थन मूल्य देने का प्रस्ताव है।

Dr. Laxminarain Pandye : Prices of wheat and rice have risen. Do the Government prepare to raise the price of suger cane ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : उत्पादको को प्रोत्साहन मूल्य दिये जा रहे हैं।

27 जुलाई 1973 को पुराने सचिवालय भवन, दिल्ली के बाहर प्रदर्शन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. DEMONSTRATION OUTSIDE THE OLD SECRETARIAT BUILDING, DELHI ON JULY 27, 1973

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): 27 जुलाई, 1973 को लगभग 600 व्यक्ति पुराना सचिवालय भवन के बाहर प्रदर्शन करने के लिये एकत्रित हुये। महानगर परिषद का सत्र जारी था। शाम को लगभग 4.00 बजे जब उनके नेता भवन के अन्दर थे तो कुछ व्यक्तियोंनें जबर्दस्ती उस क्षेत्र में घुसने की कोशिश की जहां प्रवेश पासों द्वारा नियमित है। दरवाजे पर भारी दबाव भी डाला गया। बताया जाता है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया। पुलिस ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों के जबरन प्रवेश को रोकने के लिये अश्रुगैस छोड़ी। घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 2, अगस्त 1973/11 श्रावण, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 2, 1973/Sravana 11, 1895 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि० 6—18 एल०एस०एस०/73—23-10-1973—490.